खण्ड-382, अंक-2
मंगलवार, 30 आषाढ़, शक संवत् 1909
(21 जुलाई, 1987 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 382 में 2 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1987

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1—2
प्रश्नोत्तर	3—61
आज की कार्यसूची को निलम्बित करके मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर विचार किये जाने की मांग	61—63
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों तथा भूतपूर्व उप मुख्य मंत्री श्री नारायण सिंह के निधन पर शोकोद्गार	63—67
मंत्रि परिषद् से त्याग-पत्र देने वाले तीनों मंत्रियों से स्पष्टीकरण दिलाये जाने की मांग (जारी)	67—70
औचित्य के प्रश्न तथा कार्य-स्थगन प्रस्ताव	70
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	70—71
नियमों को निलम्बित करके सदस्यों की उपलब्धियों के सम्बन्ध में लाये गये विधेयक के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	71—74
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेन्शन) (संशोधन) विधेयक, 1987 (स्वीकृत)	74—77
उत्तर प्रदेश पत्रकार कल्याण और पेंशन निधि विधेयक, 1985 को सदन की प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने तथा समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बढ़ा दिये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	77
जनपद बलिया में छात्र छात्राओं की शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश नीति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	78
फिरोजाबाद, आगरा के ग्रामीण अंचलों में पेयजल संकट होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	78
नगरपालिका सम्भल, मुरादाबाद में जल प्रदूषण होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	79
आजमगढ़ में ताल रतोय के बरसाती पानी के निकास की समस्या के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	79

विषय	पृष्ठ-संख्या
खलीलाबाद, बस्ती में बखिरा झील के पानी की निकासी के लिए तत्काल व्यवस्था के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना ...	79—80
महिला चिकित्सालय, अछनेरा, आगरा में व्याप्त भ्रष्टाचार होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	80
गाजियाबाद में आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने हेतु दान में दी गयी भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	80—81
मेरठ जनपद में सूखे से प्रभावित लोगों को राहत दिलाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	81
विकास खण्ड लोनी, गाजियाबाद की ग्राम सभाओं की भूमि पर अनधिकृत कब्जा किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	81—82
प्राइमरी पाठशाला कुचेरा, मिल्कीपुर, फैजाबाद के भवन तथा परिसर पर अनधिकृत कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	82
विकास खण्ड खैराबाद, सीतापुर के कर्मचारियों के आवास हेतु आवंटित भूमि पर विवाद होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	82
प्रदेश के महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में छात्र संघों के चुनाव न होने के संबंध में नियम 301 अन्तर्गत सूचना ...	83
भूमि संरक्षण विभाग, बस्ती द्वारा बरती गयी अनियमितता के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	83
नगरपालिका आंवला, बरेली द्वारा भूमि भवन कर का निर्धारण होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	84
जनपद फैजाबाद में पुलिस उत्पीड़न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	84
अतरौलिया, आजमगढ़ के निवासियों पर दोहरी प्रशासन व्यवस्था के कारण न्याय पाने में कठिनाई उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	84—85
दुपहिया वाहन चालकों तथा उनके पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट पहनने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	85
पैराफीन वैक्स से संबंधित लघु उद्योग धन्धे हेतु कच्चे माल का अभाव होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	85—86
ग्राम चिकसार, थाना सतरिख बाराबंकी में पेड़ों की अवैध कटान होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	86

विषय	पृष्ठ-संख्या
तहसील नरैनी, बांदा में रेंज नदी का कटाव रोकने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	86
मंत्रि परिषद् से त्याग-पत्र देने वाले तीनों मंत्रियों से स्पष्टीकरण दिलाये जाने की मांग	86—98
उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समित का 50वां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	98
ग्राम सेमरी, जनपद उन्नाव के छुलामऊ गांव में बसहा नाले पर पुल बनाने विषयक याचिका (उपस्थित की गयी)	99
आगरा टाउन एरिया किरावली के पाइप लाइन व टंकी बनाकर पेयजल आपूर्ति की शीघ्र व्यवस्था किये जाने विषयक याचिका (उपस्थित की गयी)	99
आगरा की तहसील किरावली के ब्लाक फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत राजस्थान सीमा से जुड़े हुए चालीस गांवों में सिंचाई व्यवस्था नहरों, राजकीय नलकूपों और पलेवा चैनेल निकाले जाने विषयक याचिका (उपस्थित की गयी)	99
नगरपालिका अछनेरा में सीवर लाइन ठीक कराकर ठप्प पड़ी जलोत्सारण योजना सुचारु रूप से चलाये जाने विषयक याचिका (उपस्थित की गयी)	99
मथुरा जिले के ग्राम किरारयी, चुड़ावई और आगरा जनपद की तहसील किरावली के ग्राम गड़ीमा, नगला, लक्ष्मण, मागरौलजाट आदि की कृषि भूमि की बरबादी रोकने के लिये जनपद में स्थित वेस्टर्न डिफरेशन ड्रेन की जल निकासी की सुव्यवस्था कराने विषयक याचिका (उपस्थित की गयी)	99—100
कल दिनांक 22-7-87 को सदन का उपवेशन बुलाये जाने का आश्वासन दिये जाने की मांग	100—110
प्रदेश में सूखे की स्थिति पर चर्चा	110—128
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	128
जनपद देवरिया के कोषागार में 1.5 लाख रुपये के रवेन्यू स्टैम्प एवं एक बड़ी धनराशि की चोरी के संबंध में वक्तव्य	128—130
श्री रामाश्रय राम पुत्र लक्ष्मण राम, निवासी दलजीत टोला, थाना बैरिया, जिला बलिया के यहां भीषण डकैती के संबंध में वक्तव्य	130
सदन को अनिश्चित काल के लिये स्थगित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	130—132
नत्थियां	133—136

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 21 जुलाई, 1987

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अकबर अहमद (डम्पी)	नैनीताल
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर
अरविन्द तिवारी, श्री	जालौन
अरुण प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
कुशल पाल सिंह, श्री	मथुरा
कृष्ण दत्त उर्फ वालराज, श्री	फतेहपुर
खरपत राम, श्री	वाराणसी
गोपीनाथ दीक्षित, श्री	उन्नाव
जगदीप सिंह बरार, श्री	बरेली
जय नारायण शर्मा, श्री	मेरठ
दीपक कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
दूधनाथ, श्री	जौनपुर
नरेन्द्र सिंह, चौधरी	कानपुर
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
पद्मा सेठ, श्रीमती	सीतापुर
पुष्पा सिंघल, श्रीमती	मुरादाबाद
महावीर सिंह, श्री	सहारनपुर
महावीर सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
मुस्तमन्द अली खां, श्री	मथुरा
रजनी कान्त दत्त, डा0	वाराणसी
रणजीत, श्री	देवरिया
राजीव कुमार सिंह, श्री	वाराणसी
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री	बुलन्दशहर
राजेश कुमार खैरा, श्री	ललितपुर
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया

रेवती रमण सिंह, कुंवर	इलाहाबाद
लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
विजय लक्ष्मी, श्रीमती	बलिया
विलायती राम कत्याल, श्री	कानपुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
श्याम लाल, चौधरी	जालौन
सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
सुनील शास्त्री, श्री	गोरखपुर
सैयद सइदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर

विधान सभा सचिवालय

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, दिनांक 21 जुलाई, 1987

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में सार्वजनिक सभाओं, रैलियों सभा जुलूसों पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के निर्देश

**1—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश भर में सभी प्रकार की सार्वजनिक सभाओं और रैलियों तथा जलूसों पर 25 मई से 10 जून तक प्रतिबन्ध लगा दिया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

प्रदेश की वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए तथा कानून-व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से प्रदेश के केवल 31 जनपदों में सार्वजनिक सभाओं/प्रदर्शनों/रैलियों आदि के आयोजन पर 25 मई, 1987 से 10 जून, 1987 तक धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगाये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्देश दिए गये थे ।

इलाहाबाद मण्डल में मुख्य अभियन्ता कार्यालय खोले जाने की मांग

**2—कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री राकेशधर त्रिपाठी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के सभी मण्डलों में इलाहाबाद मण्डल को छोड़कर मुख्य अभियन्ता का कार्यालय है ? यदि हां, तो इलाहाबाद में मुख्य अभियन्ता कार्यालय न खोले जाने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी यहां भी मुख्य अभियन्ता कार्यालय खोलने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

चूंकि प्रत्येक मण्डल में एक ही क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता कार्यालय स्थापित है, इलाहाबाद में भी एक क्षेत्रीय कार्यालय, जिसका मुख्यालय कानपुर में है, स्थापित है । अतः इलाहाबाद में दूसरा क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का प्रश्न नहीं उठता ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

अयोध्या में सरयू नदी जल को प्रदूषण मुक्त किये जाने की मांग

*1—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में और विशेषकर अयोध्या में सरयू नदी का पानी अत्यधिक प्रदूषित हो जाने के कारण पीने और स्नान करने के योग्य नहीं रह गया है ? क्या यह सही है कि इसके बावजूद सरयू के विभिन्न घाटों पर हजारों धार्मिक

तीर्थ यात्री प्रतिदिन स्नान करते हैं और पानी पीते हैं जिससे उनके स्वास्थ्य और जीवन को गम्भीर खतरा पैदा हो सकता है ? यदि हां, तो सरयू नदी के पानी के वैज्ञानिक विश्लेषण का विवरण क्या है और उसे प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए तथा उसका पानी पीने वालों तथा उसमें स्नान करने वाले लोगों के जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

अयोध्या में सरयू नदी के विभिन्न घाटों पर जल अधिक प्रदूषित नहीं है जिससे कि इस जल से तीर्थ यात्रियों, जो सरयू नदी के घाटों पर नहाने के लिए आते हैं, के स्वास्थ्य को खतरा हो । पेयजल की आपूर्ति नलकूपों से की जाती है ।

लागू नहीं होता ।

टिहरी बांध के क्षेत्र में स्थित मंदिरों व अन्य धार्मिक स्थलों को पुर्नस्थापित किये जाने पर विचार

*2—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद टिहरी गढ़वाल में निर्माणाधीन विशाल टिहरी बांध के डुबाव व प्रभावित क्षेत्र में बहुमूल्य ऐतिहासिक, सांस्कृतिक पुरावशेष, धार्मिक महत्व के अनेकों भवन व अन्य निर्माण हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इन महान कृतियों को अत्याधुनिक तकनीकी द्वारा पूरी की पूरी कृतियां सुरक्षित स्थलों पर ले जाकर स्थापित करने तथा उनकी उचित देख रेख करने के लिये क्या-क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

पुनर्वास निदेशक, टिहरी बांध परियोजना द्वारा डूब क्षेत्र में स्थित मंदिरों व अन्य धार्मिक स्थलों को पुनर्वास स्थलों और नए टिहरी नगर में पुनस्थापित किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त प्रभावित क्षेत्र के गांव व टिहरी नगर के भवनों में ऐतिहासिक सांस्कृतिक व धार्मिक महत्व की कलाकृतियों के चित्र बनवाकर सुरक्षित रखे गये हैं । उ0 प्र0 राज्य पुरातत्व संगठन के अनुसार इस क्षेत्र में केवल दो ऐतिहासिक महत्व के प्राचीन मंदिर हैं । इन मंदिरों की फोटो, नाप-जोख तथा रेखा-चित्र आदि लेकर अभिलेखीकरण कर लिया गया है । मूर्तियों, अभिलेखों एवं प्राचीन कलात्मक वास्तु अवशेषों को संग्रहीत करने के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है । इन मंदिरों को पूर्ण रूप से हटा-कर पुनर्वास स्थान पर पुनः स्थापित करने के सम्बन्ध में भी भारत सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से परामर्श लिया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के जिलों में गन्ने की पेराई समाप्त होने में विलम्ब के कारण

*3—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अब तक किन जिलों के गन्ने की पेराई समाप्त नहीं हुई है ? किसानों के जनपद देवरिया, शाहजहांपुर, सहारनपुर

आदि जिलों में खड़े गन्ने को देखते हुए जून माह के भीतर पेराई समाप्त करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि पूरे प्रदेश में गन्ने की पेराई समाप्त होने में विलम्ब के कारण क्या रहे हैं और भविष्य में अप्रैल के अन्त तक पेराई समाप्त हो जाय, इसके लिए सरकार की क्या योजना है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रदेश के लखीमपुर एवं सीतापुर जनपद के गन्ने की पेराई दिनांक 15-7-87 तक समाप्त नहीं हुई है । लखीमपुर, सीतापुर तथा पीलीभीत जनपदों को छोड़कर देवरिया, शाहजहांपुर एवं सहारनपुर सहित प्रदेश के शेष सभी जनपदों में, चीनी मिलों को पूर्ति हेतु उपलब्ध समस्त गन्ना, जून माह के भीतर पेराई करके समाप्त कर लिया गया है । प्रदेश में गन्ने की पेराई समाप्त होने में विलम्ब का मुख्य कारण गन्ने का अधिक उत्पादन है जिसकी वजह से चीनी मिलों को गन्ने की उपलब्धता अधिक रही । भविष्य में समय से गन्ने की पेराई समाप्त हो सके इस उद्देश्य से भारत सरकार की लाइसेंन्सिंग नीति को दृष्टिगत रखते हुए धन की उपलब्धता के अनुसार अतिरिक्त पेराई क्षमता का सृजन एवं चीनी मिलों की वर्तमान पेराई क्षमता में वृद्धि करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश के आठों पर्वतीय जनपदों (उत्तराखण्ड) को अलग प्रान्त बनाये जाने के संबंध में रैली

*1—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश के आठों पर्वतीय जनपदों (उत्तराखण्ड) को अलग प्रान्त बनाये जाने के समर्थन में उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के तत्वावधान में कुमायूं मण्डल मुख्यालय नैनीताल में 10 नवम्बर, 1986 को तथा गढ़वाल मण्डल मुख्यालय पौड़ी में 9 मार्च, 87 को हजारों पर्वतीय जनता ने बृहद प्रदर्शन किया था ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने वहां की व्यापक जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार को इस हेतु अपनी संस्तुति प्रेषित की है ? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

नैनीताल में हुई रैली के अवसर पर प्रस्तुत ज्ञापन भारत सरकार गृह मंत्रालय को 18 मई, 1987 को तथा पौड़ी में हुई रैली के अवसर पर प्रस्तुत ज्ञापन भारत सरकार गृह मंत्रालय को 3 जुलाई, 1987 को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिये गये हैं ।

*2—श्री पूरन सिंह माहरा—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

[मंगलवार, दिनांक 21 जुलाई, 1987 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

विभिन्न जनपदों में नदियों पर सेतु निर्माण हेतु स्वीकृत मानक तथा जनपद फैजाबाद में मिझौड़ा घाट पर मड़हा नदी पर पुल निर्माण की मांग

*1—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986 में विभिन्न जनपदों में नदियों पर सेतु निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान करने के लिए निर्धारित मानक क्या थे और उन निर्धारित मानकों में से कौन सी शर्त ऐसी थी जिसके पूरा न होने के कारण जनपद फैजाबाद के कटेहरी विधान सभा क्षेत्र में तिवारीपुर नन्शा बाजार मार्ग पर स्थित

मिझौड़ा गांव सभा में मड़हा नदी पर मिझौड़ा घाट पर पुल निर्माण नहीं कराया जा सका ? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रतिवर्ष वर्षा में उक्त नदी को पार करते समय मिझौड़ा घाट पर बहुत से यात्रियों की डूबने से मृत्यु हो जाती है ? यदि हां, तो वर्ष 1987 में क्या सरकार उक्त मार्ग की विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुये मिझौड़ा घाट पर मड़हा नदी पर पुल के निर्माण की स्वीकृति प्राथमिकता के आधार पर प्रदान करने की कृपा करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1986 में प्रदेश में विभिन्न श्रेणी के मार्गों, जैसे राज्य मार्गों, मुख्य जिला मार्गों अन्य जिला मार्गों पर अनुपलब्ध सेतुओं में से, मार्ग की श्रेणी के अनुसार तथा आवश्यक पुल के स्थल से वर्तमान पक्के पुल की निकटतम दूरी के अनुसार पुल के निर्माण की स्वीकृति पर विचार करने हेतु मानक थे । प्रश्नगत पुल ग्रामीण मार्ग पर पड़ता है और एक दीर्घ सेतु होगा जो राज्य सेक्टर का कार्य है । अतः सीमित संसाधनों के कारण इसके निर्माण की स्वीकृति अभी नहीं दी जा सकी है ।

ऐसी कोई जानकारी नहीं है । विस्तृत सूचना जिलाधिकारी से अपेक्षित है ।

संसाधनों की कमी की विवशता के कारण प्रश्नगत सेतु के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करना सम्भव नहीं है ।

प्रदेश की चीनी मिलों पर गन्ना किसानों की बकाया धनराशि

*2—श्री राम नरेश यादव—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में गन्ना मिलों पर कितना गन्ना किसानों का बकाया पड़ा हुआ है ? सरकार उसका भुगतान कब तक करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रदेश की चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का पेराई सत्र 1986-87 में दिनांक 30-6-87 की स्थिति के अनुसार 652.72 करोड़ रुपये देय हुआ, जिसमें से 618.14 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है जो देय धनराशि का लगभग 95 प्रतिशत है और अवशेष धनराशि केवल 34.58 करोड़ रुपये है । 1986-87 से पूर्व वर्षों का 5.71 करोड़ रुपया बकाया है ।

अवशेष धनराशि के भुगतान कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

टनकपुर असकोट अश्व मार्ग के चरमगढ़ में लोहे के पुल के निर्माण की स्वीकृति

*3—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टनकपुर असकोट अश्व मार्ग के चरमगढ़ में लोहे के पुल की मांग जनता विगत 5 वर्षों से करती आ रही है ? क्या यह सही है कि पुल न होने के कारण कई व्यक्ति बह गये हैं ? यदि हां, तो सरकार लोहे का पुल बनाने के लिए क्या कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत पुल के निर्माण की स्वीकृति जनवरी, 1985 में दी जा चुकी है और उसका निर्माण कार्य फरवरी, 1986 से प्रारम्भ कर दिया गया है जिसको दिसम्बर, 1987 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है । पुल के न होने के कारण किसी व्यक्ति के बह जाने की कोई सूचना नहीं है ।

जिला गोरखपुर में फरेन्दा धानी मार्ग पर स्थित पोहनाला सेतु के निर्माण की लागत तथा पथ-कर की वसूली

*4—श्री हर्ष वर्धन—

क्या सरकार को जानकारी है कि गोरखपुर जनपद में फरेन्दा धानी मार्ग के पोहनाला पर बने सेतु पर कुल कितना व्यय हुआ था तथा 31 मई, 86 तक पथकर द्वारा कुल कितनी वसूली हुई है ? क्या जनहित को दृष्टिगत रखते हुये अब उक्त सेतु से आवागमन निःशुल्क कर दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जिला गोरखपुर में फरेन्दा धानी मार्ग के कि0 मी0 5 पर स्थित पोहनाला सेतु के निर्माण की लागत, उक्त लागत पर ब्याज, पुल के अनुरक्षण तथा पथ-कर वसूली में हुये व्यवस्थापन अपव्यय आदि को सम्मिलित करते हुये दिनांक 31 मई, 1986 तक रुपये 32.92 लाख व्यय हुआ है तथा 17.60 लाख रुपये पथ-कर के रूप में वसूल हुआ है । नियमानुसार पुल की लागत अभी वसूल नहीं हुयी है । अतः उक्त पुल को पथ-कर से मुक्त नहीं किया जा सकता है ।

उपाय लिमिटेड की स्थापना का औचित्य

*5—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

प्रथम सत्र 1986 के दूसरे मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या 17 के उत्तर से संबंधित क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपाय लि0 ने जब 28 अप्रैल, 1977 से अभी तक किसी प्रकार का कारोबार चालू नहीं किया तो उसे बनाये रखने का औचित्य क्या है ? क्या यह सही है कि इससे केवल कुछ बड़े अधिकारियों को कुछ सुख-सुविधायें ही उपलब्ध करायी जा रही हैं ? ऐसी स्थिति में क्या मुख्य मंत्री इस निगम को लिक्वीडेट कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उपाय लिमिटेड की स्थापना पहाड़ी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रोजेक्ट को लगाने के लिये की गयी है । इस उद्देश्य से प्रोजेक्ट पर विचार-विमर्श चल रहा था । अब कामनवेल्थ सेक्रेटेरियट के औद्योगिक विकास इकाई द्वारा प्रस्तुत एक उपयोगी तथा लाभदायक प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन ज्वाइन्ट सेक्टर में किया जा रहा है जिसके लिये विदेशी मुद्रा का ऋण उपलब्ध कराना आश्वासित किया गया है । भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय से लेटर आफ इन्टेन्ट प्राप्त किया गया है तथा प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु साझेदार का चयन भी कर लिया गया है । अन्य औपचारिकताओं की पूर्ति तत्परता के आधार पर की जा रही है । निगम से बड़े अधिकारियों को कोई विशेष सुविधायें उपलब्ध नहीं है । अतः इस स्टेज पर निगम को लिक्वीडेट कराने की आवश्यकता नहीं है ।

*6—श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

*7—श्री बदन सिंह—

[11वें गुरुवार में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*8—डा0 शिवानन्द नौटियाल—

[दिनांक 30-6-87 को ता0 प्र0 सं0 16 द्वारा उत्तरित]

यूकेलिप्ट्स के वृक्षारोपण पर रोक लगाये जाने की जानकारी

*9—श्री शारदा प्रताप—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यूकेलिप्ट्स के वृक्षारोपण पर कई प्रदेशों की सरकारों ने रोक लगा दी है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार भी यूकेलिप्ट्स के वृक्षारोपण पर तत्काल पूर्णतया रोक लगाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं । यूकेलिप्ट्स के वृक्षारोपण पर किसी भी प्रदेश की सरकार द्वारा रोक लगाये जाने की जानकारी प्रदेश सरकार को नहीं है ।

जी नहीं ।

क्योंकि यूकेलिप्ट्स एक बहुपयोगी प्रजाति है ।

*10—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

[दिनांक 3-7-87 को अल्प सूचित तारांकित प्रश्न सं0 10 द्वारा उत्तरित]

जनपद हरदोई में गंगा नदी पर मैंहदी घाट पर बनने वाले गाइडबन्ध के निर्माण हेतु पत्थरों के बोल्डरों की आपूर्ति हेतु टेण्डर

*11—श्री अशोक बाजपेयी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि हरदोई जनपद में गंगा नदी पर मैंहदी घाट पर बनने वाले गाइडबन्ध के निर्माण हेतु पत्थरों के बोल्डरों की आपूर्ति हेतु 290/- रुपये घन मीटर की दर पर टेण्डर हुए थे जिन्हें निरस्त करके अधीक्षण अभियन्ता 21 वां वृत्त ने उन्हें 320/- रुपये प्रति घन मीटर की दर पर बोल्डरों की आपूर्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की जिससे कि लगभग दो करोड़ रुपये की वित्तीय क्षति उ0 प्र0 शासन को उठानी पड़ेगी ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस पूरे प्रकरण की जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति की कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद हरदोई में गंगा नदी पर मैंहदी घाट पर बनने वाले गाइडबन्ध के लिए पत्थरों के बोल्डरों की आपूर्ति हेतु 290/- रुपये घन मीटर की दर पर कोई टेण्डर प्राप्त नहीं हुए ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*12—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

*13—श्री राज किशोर सिंह—

[दिनांक 10-3-87 को ता0 प्र0 सं0 20 द्वारा उत्तरित]

दौराला शुगर मिल, मेरठ के प्रबन्धकों द्वारा अनधिकृत कब्जा

*14—श्री सरदार सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि दौराला शुगर मिल, मेरठ के प्रबन्धकों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के दौराला से सरधना जाने वाले मार्ग पर अनधिकृत कब्जा कर लिया है जिसके कारण आवागमन अवरुद्ध होता है और जनता को परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन अविलम्ब जनहित में अनधिकृत कब्जे को हटवाने की कृपा करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद मेरठ में दौराला शुगर मिल एवं उससे संबंधित भवन दौराला सरधना मार्ग के कि0 मी0 एक में चैनेल 00.4 से 00.8 तक मार्ग के दोनों तरफ सड़क की स्थायी भूमि के बाहर स्थित है । वस्तुत: उक्त मिल के प्रबन्धकों द्वारा उक्त सड़क पर कोई अनधिकृत कब्जा नहीं किया गया है । अत: उसे हटवाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

उक्त मार्ग के बांई तरफ मिल के पास ही 92 मीटर की लम्बाई में वन विभाग द्वारा सोशल फारेस्ट्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़क की 5.6 मीटर चौड़ी लेपित सतह से 3 मीटर की दूरी पर सौन्दर्यीकरण का कार्य किया गया है । परन्तु इससे यातायात में कोई व्यवधान उत्पन्न होने अथवा जनता को परेशानी होने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

बद्रीनाथ मंदिर की हिमस्खलन से सुरक्षा करने हेतु रिपोर्ट के सुझावों पर कृत कार्यवाही

*15—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पवित्र बद्रीनाथ मंदिर की हिमस्खलन से सुरक्षा करने के लिये उपाय सुलझाने हेतु हिम एवं हिमस्खलन अध्ययन संगठन की कोई रिपोर्ट उ0 प्र0 शासन को हाल में ही प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो रिपोर्ट का संक्षेप क्या है ? सुरक्षा हेतु दिये गये मुख्य सुझाव क्या है तथा प्राप्त सुझावों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, रिपोर्ट 5 अक्टूबर 1982 को प्राप्त हुई । इसमें मुख्यत: बर्फीले तूफानों से मंदिरों की सुरक्षा व अलकनन्दा नदी से मंदिर तथा नगर की सुरक्षा हेतु संस्तुति की गयी थी । रिपोर्ट के सुरक्षा संबंधी सुझावों/उपायों और उन पर की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 233 पर)

जनपद अल्मोड़ा के ब्लाक सल्ट में घोषित पालीटेक्निक में प्रशिक्षार्थियों तथा प्राध्यापक व स्टाफ की संख्या

*16—श्री पूरन सिंह माहरा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लगभग दो वर्ष पूर्व भू0 पू0 मुख्य मंत्री श्री नरायण दत्त तिवारी द्वारा जनपद अल्मोड़ा के ब्लाक साल्ट में घोषित पालीटेक्निक वहां पर कार्य कर रहा है । यदि हां, तो इस समय उसमें कितने प्रशिक्षार्थी हैं तथा कितने प्राध्यापक व स्टाफ के सदस्य कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

वर्ष 1986-87 के प्रशिक्षण सत्र में 14 प्रशिक्षार्थियों ने प्रवेश लिया था । वर्तमान में संस्था में कार्यरत प्राध्यापक व स्टाफ की संख्या पांच है ।

उ0 प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ द्वारा विपणन अधिकारी के पद हेतु कथित प्रकाशित रिक्तियां

*17—श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ लि0 द्वारा वर्ष 1984 में विपणन अधिकारी पद हेतु जो रिक्तियां प्रकाशित की गयी थीं तथा प्रत्येक अभ्यर्थी से 10 रु0 जमा कराये गये थे, का साक्षात्कार आज तक क्यों नहीं कराया गया है ? क्या इस सम्बन्ध में दो बार संघ द्वारा तिथियां भी घोषित की गयी थीं ? यदि हां, तो संघ द्वारा अभ्यर्थियों के साथ धोखा दिये जाने का क्या कारण है तथा साक्षात्कार कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उ0 प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ द्वारा वर्ष 1984 में "विपणन अधिकारी" पद हेतु कोई रिक्तियां प्रकाशित नहीं की गई थीं । अतः शेष का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

मेसर्स पिलखानी डिस्टिलरी एण्ड केमिकल वर्क्स पिलखानी, जनपद सहारनपुर के विषाक्त पानी से प्रदूषण को समाप्त करने हेतु उपाय

*18—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि जनपद सहारनपुर में अम्बाला रोड स्थित ग्राम पिलखानी, अहमदपुर ब्राह्मण, अलीपुरा जयरामपुर, इस्माइलपुर व धोसीपुरा आदि अनेक गांव में कुंओं, हैण्ड पम्पों एवं नलकूपों द्वारा प्राप्त भू-गर्भीय जल पीने तथा सिंचाई के लिए सर्वथा अनुपयुक्त हो चुका है क्योंकि इस भू-गर्भीय जल में पिलखानी डिस्टिलरी द्वारा कच्चे स्टोरेज में डाले गए विषाक्त पानी का असर रिसाव के कारण पहुंच चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रदूषण को समाप्त करने हेतु उपाय करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

मेसर्स पिलखानी डिस्टिलरी एण्ड केमिकल वर्कर्स पिलखानी, जनपद सहारनपुर द्वारा अपने उद्योग का उत्प्रवाह कच्चे लैगून्स में एकत्र किया जाता है, जिसके कुछ अंश भूमि में रिस जाने से आसपास के क्षेत्रों में भूमिगत जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं ।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उक्त उद्योग के विरुद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही की गयी थी । मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा दिनांक 12-7-84 को उद्योग को प्रदूषण नियंत्रण की समुचित व्यवस्था करने का आदेश पारित किया गया । उद्योग ने इस निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में एक याचिका दायर की थी, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के आदेश का कार्यान्वयन रोक दिया था । बोर्ड की ओर से इस स्थगन आदेश को निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है ।

ग्राम साकरौंद, जनपद मेरठ में सामाजिक वानिकी के कार्यकलापों के संबंध में गठित समिति

*19—श्री रिछपाल सिंह बंसल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मेरठ के विकास खण्ड खेकड़ा के ग्राम साकरौंद के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 में सामाजिक वानिकी में लाखों रुपये के घोटालों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा कोई जांच समिति गठित की गयी थी ? यदि हां, तो जांच समिति की रिपोर्ट पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं, वन विभाग के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी के वर्ष 1985-86 के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी मेरठ द्वारा कोई जांच समिति गठित नहीं की गयी । प्रश्न नहीं उठता ।

सुखनई नदी पर सेतु के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि तथा प्रगति

*20—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि झांसी जिले के मउरानीपुर कस्बे में सुखनई नदी पर पुल निर्माण हेतु शासन ने वर्ष 86-87 के बजट में पुल की कुल लागत एक करोड़ दस लाख में से तीस लाख रुपये दिये जाने का प्राविधान किया था ? यदि हां, तो क्या शासन ने उक्त धन सेतु निगम को दे दिया था ? यदि हां, तो पुल के निर्माण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत सेतु के निर्माण हेतु वर्ष 86-87 में 28 लाख रुपया का प्राविधान था, जिसे सेतु निगम को उपलब्ध करा दिया गया था । सेतु का स्थल चयन हो चुका है, स्थल पर भूमि परीक्षण का कार्य प्रगति पर है जिसके पूर्ण होने के पश्चात् सेतु की परिकल्पना की जायेगी तथा निर्माण कार्य आरम्भ किया जायेगा ।

अतारांकित प्रश्न

सहायक रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसायटीज तथा चिट्स बरेली के कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का स्थानान्तरण

1—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसाइटी तथा चिट बरेली के कार्यालय में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी सेवाएं इस जिले में 5 वर्ष से

अधिक हो चुकी है ? उनके नियमानुसार अभी तक स्थानान्तरित न किये जाने के कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सहायक रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसायटीज तथा चिट्स बरेली के कार्यालय, जो सम्भागीय कार्यालय है, में कार्यरत तीन कर्मचारियों की सेवाएं 5 वर्ष से अधिक हो चुकी है । उनमें से एक का स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से दिनांक 14-7-87 को कर दिया गया है । शेष दो कर्मचारियों का स्थानान्तरण शासन की सामान्य नीति के अनुसार सम्प्रति अपेक्षित नहीं है ।

पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा प्रदेश के विभिन्न नगरों की सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपने का प्रस्ताव

2—श्री धनराज यादव—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वोत्तर रेलवे ने प्रदेश के विभिन्न नगरों की कुछ सड़कों को सा0 नि0 वि0 को सौंपने का प्रस्ताव किया है ? क्या शासन उन सड़को को लेने का विचार कर रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि इन्हीं सड़कों में बस्ती जिले के नौगढ़ रेलवे स्टेशन से संबंधित सड़क भी है ? यदि हां, तो उसे सा0 नि0 वि0 को लेकर मेन्टेन करने में क्या कठिनाई है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं, शासन को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्वोत्तर रेलवे से जनपद बस्ती के नौगढ़ रेलवे स्टेशन से संबंधित सड़क का अनुरक्षण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ था । रेलवे विभाग भूमि का स्वामित्व हस्तान्तरित करने को तैयार नहीं है वह केवल एक लाइसेंसी के रूप में सड़क का अनुरक्षण कराना चाहते हैं । मार्ग सा0 नि0 वि0 के लिये अनुपयोगी है तथा किसी दूसरे विभाग के स्वामित्व वाली सड़क का अनुरक्षण सा0 नि0 विभाग द्वारा कराया जाना सम्भव नहीं है ।

3—श्री धनराज यादव—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

उत्तर प्रदेश राजकीय वेधशाला, नैनीताल में दूरबीन बनाने के सम्बन्ध में योजना

4—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या विज्ञान एवं टेक्नालाजी मंत्री कृपया बतायेंगे कि खगोल शास्त्री अध्ययन के लिये उ0 प्र0 राजकीय वेधशाला नैनीताल में एक 4 मीटर व्यास की विशाल दूरबीन बनाने की कार्य की प्रगति क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उत्तर प्रदेश राजकीय वेधशाला, नैनीताल में 4 मीटर व्यास की दूरबीन बनाने के सम्बन्ध में नेशनल कमेटी की संस्तुतियां योजना आयोग के विचाराधीन है ।

5—श्री हरि शंकर तिवारी 'बिलग्रामी'—

[5वें बुधवार में अता0 प्र0 सं0 63 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आयुक्त बिक्री कर बनाम आदर्श पेपर एण्ड बोर्ड मैन्यूफैक्चरिंग के निर्णय के सम्बन्ध में पत्र

6—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के सातवें मंगलवार के लिये निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 130 के संदर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि धारा 21 के अंतर्गत तीनों वर्षों में अलग-अलग कितना कर लगा था जो कि रद्द हो गया ? वर्ष 75-76, 76-77 व 77-78 के मूल आदेशों के विरुद्ध धारा 10-वीं के अन्तर्गत रिवीजन क्यों नहीं दायर किया गया ? माननीय उच्च न्यायालय में पैरवी के लिये सरकारी वकील को कितनी फीस देनी पड़ी ? कास्ट एकाउण्ट के आधार पर कितना खर्चा आया ? धारा 21 के अन्तर्गत आदेश पारित करने वाले अधिकारी की पदोन्नति कब और किस पद पर हुई ? कुल कितने राजस्व की हानि हुई ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत व्यापारी पर धारा 21 के अन्तर्गत वर्ष 1975-76, 76-77 तथा 77-78 में क्रमशः 4,888·10, 9,339·20 और 9,918·60 रु0 कर लगाया गया था । चूंकि व्यापारी पर धारा 21 के अधीन कर-निर्धारण कर ही दिया गया था, मूल कर-निर्धारण आदेश के विरुद्ध धारा 10-ख के अधीन कार्यवाही किये जाने का न तो अवसर था और न इससे स्थिति अन्यथा ही होती । माननीय उच्च न्यायालय में विभाग के मामलों की पैरवी का कार्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा देखा जाता है, जिन्हें अलग से कोई फीस विभाग द्वारा नहीं दी जाती है । यह सूचना दिया जाना न तो सम्भव है और न संगत ही, कि इस मामले में कितना खर्चा आया । उच्च न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप यह नहीं कहा जा सकता कि कोई राजस्व हानि हुई है और फलतः सम्बन्धित अधिकारी को जिम्मेदार ठहराने अथवा उसकी पदोन्नति आदि के सम्बन्ध में सूचना दिये जाने का प्रश्न संगत नहीं है ।

7—श्री यदुनाथ सिंह—

[दिनांक 30.6.87 को अता0 प्र0 सं0 134 द्वारा उत्तरित]

8—श्री यदुनाथ सिंह—

[6ठें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 157 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के बिक्री कर कार्यालयों में फार्म 'ख' देकर आयरन खरीद कर पानी की टंकी व ट्रैक्टर ट्राली बनाने के संबंध में पत्र पर कृत कार्यवाही

9—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के चौथे मंगलवार के लिये निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 39 के संदर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 43 मुख्य मंत्री को ता0 6-9-85 को प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । जैसा कि द्वितीय सत्र 1985 के चौथे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 39 के उत्तर में कहा गया था, यह सूचना शासन अथवा बिक्रीकर आयुक्त के स्तर पर नहीं रखी जाती । प्रदेश भर के व्यापारियों में से वांछित सूचना

एकत्र करने में जो समय और श्रम लगेगा, उसकी जनहित में कोई उपादेयता नहीं है । जैसा कि पहले भी कहा गया था, यदि माननीय सदस्य किन्हीं विशिष्ट मामलों में किन्हीं अनियमितताओं की जानकारी दें तो उनमें जांच कराकर कार्यवाही की जा सकती है ।

लखनऊ में राष्ट्रोपिता के निर्वाण दिवस में साइरन नहीं बजाने के संबंध में पत्र

10—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ में राष्ट्रपिता के निर्वाण दिवस 30-1-86 को ग्यारह बजे साइरन नहीं बजाया गया और इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1182 उनको तारीख 21-7-86 को मिला था । यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

राष्ट्रपिता के निर्वाण दिवस 30 जनवरी, 1986 को लखनऊ में स्थापित सभी ग्यारह साइरनों में से केवल दो को छोड़कर शेष समय से बजे थे । केवल पुलिस लाइन और पुलिस स्टेशन अमीनाबाद पर स्थापित साइरन क्रमशः स्टार्टर खराब होने व बिजली न होने के कारण नहीं बज सके थे ।

जी हां ।

उक्त पत्र के संबंध में जिलाधिकारी, लखनऊ से जांच कराकर पत्र का उत्तर माननीय सदस्य को शासन के अर्ध शासकीय पत्र संख्या 5785/86-तीन-77(64)/86-सा0 प्र0 अनु0 दिनांक 21.1.87 द्वारा भेज दिया गया था ।

जिलाधिकारी मथुरा द्वारा एन0 आर0 ई0 पी0 स्कीम के अन्तर्गत मथुरा वन प्रभाग को आवंटित धनराशि

11—श्री कुशलपाल सिंह—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1982-83 में जिलाधिकारी मथुरा ने एन0 आर0 ई0 पी0 स्कीम के अंतर्गत मथुरा वन विभाग को कितनी धनराशि आवंटित की थी ? क्या इस धनराशि का वन विभाग ने शासन के आदेशों के अनुसार मथुरा जनपद में प्रयोग किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1982-83 में जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा एन0 आर0 ई0 पी0 स्कीम के अन्तर्गत मथुरा वन प्रभाग के लिए 15.00 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई थी ।

उक्त धनराशि में से कुल रु0 14,99,999.61 की धनराशि मथुरा जनपद के उपयोग के लिये ही पौध उगाने पर नियमानुसार व्यय की गई ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

12—श्री कुशलपाल सिंह—

[करण सं0 26 (1) के अन्तर्गत उत्तरित होने के कारण निरस्त]

दारुलशफा, लखनऊ में स्थित पटरी दुकानदारों के लिए दुकानें उपलब्ध कराये जाने पर विचार

13—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दारुलशफा, लखनऊ में स्थित पटरी दुकानदारों के लिए क्रय/किराये पर दुकानें उपलब्ध कराये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह दुकानें कब तक बनकर तैयार हो जायेंगी तथा उसके आवंटन की प्रक्रिया क्या होगी ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी इस पर विचार कर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । परीक्षण किया जा रहा है ।

प्रश्नगत मामले में माननीय विधायकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार निर्णय लिया जायेगा ।

पर्वतीय विकास अनुभाग के कर्मचारियों के संबंध में पत्र पर कृत कार्यवाही

14—श्री शूरवीर सिंह सजवाण—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 2 अप्रैल, 1987 पर्वतीय विकास विभाग के कर्मचारियों के बारे में शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने सचिवालय मैनुअल के पृष्ठ 88 के धारा 317 तथा पृष्ठ 156 के इन्सट्रक्शन (3) तथा 17 के अनुसार प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो कार्यवाही सुनिश्चित न करने के लिए कौन से अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी हैं और उनके खिलाफ क्या कोई कार्यवाही सरकार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

प्रश्न में उल्लिखित सचिवालय मैनुअल के नियमों के अनुसार प्रश्नकर्ता महोदय के पत्र पर कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

अन्य प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बरेली में मान्यताप्राप्त पत्रकारों के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना

15—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या सरकार ने बरेली में मान्यताप्राप्त पत्रकारों के लिये आवास की सुविधा उपलब्ध कराने की कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें आवास शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

बरेली जनपद में श्रमजीवी पत्रकारों हेतु विकास प्राधिकरण, बरेली की प्रियदर्शनी नगर योजना में बीस भवन निर्मित किये जाने का प्राविधान रखा गया है । श्रमजीवी पत्रकारों के आवेदन-पत्र प्राप्त कर पंजीकरण कर लिया गया है । भवन निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

देवरिया जनपद स्थित खनुआ नदी में पकहां नामक स्थान पर निर्मित सेतु के पथकर की वसूली में अनियमितता

16—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा देवरिया जनपद स्थित खनुआ नदी में पकहां नामक स्थान पर सेतु निगम द्वारा निर्मित सेतु के पथकर की वसूली

हेतु कराई गयी नीलामी में अनियमितता किये जाने के सन्दर्भ में 19 अगस्त, 1985 को भेजा गया पत्र उनके कार्यालय को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच आख्या क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त पुल की नीलामी किन परिस्थितियों में पांच वर्ष के लिए की गयी जबकि नियमानुसार नीलामी 3 वर्ष के लिए की जा सकती थी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच कराई गयी । जांच में शिकायतें निराधार पायी गयीं । उत्तर प्रदेश पथकर विनियमन उद्ग्रहण और संग्रह नियमावली, 1980 के नियम 4(7) के अनुसार पथकर वसूली का ठेका एक बार में अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए दिया जा सकता है । तथापि शासनादेश संख्या 5299/23-सा0 नि0-दो-95-84, दिनांक 25 सितम्बर, 1984 में निर्देश दिये गये हैं कि सामान्यत: पुलों पर पथकर वसूली के ठेके एक बार में एक से तीन वर्ष तक के लिये ही दिये जायें । परन्तु किन्हीं विशेष परिस्थितियों में किसी विशेष पुल का ठेका शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् तीन वर्ष से अधिक समय के लिये भी दिया जा सकता है । प्रश्नगत मामले में शासनादेश, दिनांक 25 सितम्बर, 1984 का अनुपालन न करने के लिए संबंधित अधिशासी अभियन्ता को दण्डित करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

इलाहाबाद मंडल के जनपदों में न्यायालयों में वादकारियों के लिये कक्षों या इमारतों के निर्माण की योजना पर विचार

17—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद मंडल के किन-किन जनपदों में न्यायालयों में वादकारियों तथा एडवोकेट के उठने, बैठने के लिये कक्षों या इमारतों के निर्माण की व्यवस्था की जा रही है और उस व्यवस्था में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इलाहाबाद मण्डल के जनपद फतेहपुर में वादकारियों के लिए विटनेस शेड की स्वीकृति अष्टम वित्त आयोग की संस्तुति पर वित्तीय वर्ष 1986-87 में जारी की जा चुकी है । जनपद इलाहाबाद में वेटिंग हाल के निर्माण की स्वीकृति अष्टम वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार दस-पन्द्रह दिन के अन्दर जारी कर दी जाएगी । कानपुर में निर्माणाधीन नये बहुखण्डीय न्यायालय भवन में वादकारियों के उठने-बैठने की व्यवस्था पहले से ही सम्मिलित है । जनपद इटावा तथा फर्रुखाबाद के मुख्यालयों पर नवनिर्मित तीन मंजिला न्यायालय भवनों में भी वादकारियों के बैठने की व्यवस्था की गयी है ।

शासन द्वारा एडवोकेट्स् के लिए किसी इमारत के निर्माण की योजना विचाराधीन नहीं है ।

जनपद फर्रुखाबाद के जिला कारागार में खरीदी गयी एक्स-रे मशीन

18—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के जिला कारागार में विगत वर्ष खरीदी गयी एक्स-रे मशीन चालू कर दी गयी है ?यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या कारागार मंत्री यह बतायेंगे कि मशीन संचालित करने के लिये किसी रेडियोलोजिस्ट की नियुक्ति भी वहां कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी, नहीं ।

एक्स-रे मशीन के कुछ खराब पार्ट्स को फर्म द्वारा बदलने की कार्यवाही के कारण ।

एक्स-रे मशीन को संचालित करने हेतु अंशकालिक रेडियोलाजिस्ट की व्यवस्था हेतु चिकित्सा विभाग के परामर्श से नियुक्ति की कार्यवाही शासन के सक्रिय विचाराधीन है ।

फर्रुखाबाद के मोहल्ला बजरिया निवासी श्री शिव कुमार सिंह, बन्दी को प्रोबेशन पर मुक्त किये जाने संबंधी पत्र

19—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि फर्रुखाबाद के मोहल्ला बजरिया निवासी शिव कुमार सिंह उर्फ छोटे पुत्र श्री रघुबीर सिंह को, जो धारा 307 में सजा काट रहे हैं, प्रोबेशन पर मुक्त करने हेतु दिनांक 15-6-85 को जिला मजिस्ट्रेट, फर्रुखाबाद द्वारा पत्र संख्या 993-94 के द्वारा कारागार महानिरीक्षक, लखनऊ को प्रोबेशन फार्म 'ए' निर्गत किया गया है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

बन्दी के फार्म ''ए'' पर प्रोबेशन बोर्ड ने दिनांक 28-8-85 को विचार करके अपनी संस्तुति शासन को प्रेषित की थी । तदोपरान्त शासन द्वारा बन्दी के फार्म 'ए' पर सम्यक् रूप से नियमानुसार विचार किया गया और उसे लाइसेंस पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया । अतएव बन्दी की प्रोबेशन पर मुक्ति अस्वीकार कर दी गई ।

प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि का औसत

20—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय गत वर्ष बढ़ी है ? यदि हां, तो जून, 1986 से मई, 1987 तक प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि का औसत कितना रहा ?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय के वर्ष 1986-87 के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं । अत: प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि का औसत बताना सम्भव नहीं है ।

श्री गिरधर गोपाल, आई0 ए0 एस0 के विरुद्ध विजिलेन्स की जांच

श्री राकेश धर त्रिपाठी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गिरधर गोपाल, आई0 ए0 एस0 के विरुद्ध विजिलेन्स की जांच हो रही है ? यदि हां, तो सन् 1982 से चल रही जांच में अब तक क्या प्रगति हुयी है ? क्या मुख्य मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

अत: शेष प्रश्न नहीं उठता है ।

स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, इलाहाबाद में छात्रावास तथा कर्मचारियों के लिये नये भवन बनाने की योजना

22—श्री राकेशधर त्रिपाठी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, इलाहाबाद में छात्रावास तथा कर्मचारियों के लिये नये भवन बनाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है और निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश की निजी सहकारी तथा निगम क्षेत्र की चीनी मिलों पर गन्ना किसानों द्वारा गन्ना आपूर्ति की बकाया धनराशि

23—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के चीनी मिलों (सभी निजी, सरकारी तथा निगम की) पर गन्ना किसानों द्वारा गन्ना आपूर्ति का कुल कितना रूपया 30 नवम्बर, 1986 को बकाया था ? इनका मिलवार ब्यौरा क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रदेश की निजी, सहकारी तथा निगम क्षेत्र की चीनी मिलों पर गन्ना किसानो द्वारा गन्ना आपूर्ति का दिनांक 30 नवम्बर, 1986 को 3389.56 लाख रु0 बकाया था । वर्गवार विवरण निम्नवत् है :—

(1)	निजी क्षेत्र	1795.10 लाख रु0
(2)	सहकारी	738.88 लाख रु0
(3)	निगम	855.58 लाख रु0
	योग ..	3389.56 लाख रु0

मिलवार ब्यौरा संलग्न† है ।

प्रदेश में केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित चीनी मिलें

24—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित चीनी मिलें कौन है तथा इन मिलों में गन्ना आपूर्ति करने वाले किसानों को गन्ना क्या मूल्य मिलता है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रदेश में केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्तमान समय में कोई चीनी मिल संचालित नहीं है ।

शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

---

†छापा नहीं गया ।

ग्राम सुमेरपुर, जिला खीरी में स्थित भूमि संख्या 18 में खड़ी फसल को वन विभाग के अधिकारियों द्वारा नष्ट कर दिये जाने संबंधी जांच

25—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि ग्राम सुमेरपुर, परगना पलिया, तहसील निघासन, जिला खीरी में स्थित भूमि संख्या 18 मिनजुमला रकबा 46·50 एकड़ भूमि में खड़ी फसल गन्ना लाही मसूर जो हरिशंकर सिंह पुत्र नरसिंह, गांव निवासी सुमेरपुर, थाना सम्पूर्णानगर, जिला लखीमपुर द्वारा बोयी गयी थी, को वन विभाग उत्तर खीरी, लखीमपुर के अधिकारियों द्वारा गुरुदयाल सिंह पुत्र बक्शीश, सा0 सुमेरपुर, थाना सम्पूर्णानगर, जिला खीरी से सांठगांठ करके नष्ट कर दी गयी ? यदि हां, तो किस प्राविधान के तहत ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गढ़वाल में एक हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांव तथा मोटर मार्ग निर्माण का प्रस्ताव

26—श्री पुष्कर सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि जनपद गढ़वाल में एक हजार से अधिक जनसंख्या वाले कितने गांव हैं ? अब तक कितने गांवों को सड़क यातायात से सुलभ करा दिया गया और कितने तथा किन-किन गांवों के लिये मोटर मार्ग निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है ? क्या निकट भविष्य में सरकार सभी गांवों को मोटर मार्ग से जोड़ने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद गढ़वाल में वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर एक हजार से अधिक जनसंख्या वाले 8 गांव है और उपरोक्त सभी आठ गांव मोटर मार्ग से जुड़े हुए हैं । अतः इस श्रेणी के ग्रामों को मोटर मार्ग से जोड़ने के प्रस्ताव का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता ।

वर्तमान आयुक्त, बिक्री-कर श्री जोजफ द्वारा सरकारी व्यय पर की गयी हवाई यात्रायें

27—कुंवर मानवेन्द्र सिंह, श्री पारसनाथ यादव तथा श्री फूल कुंवर—

क्या संस्थागत वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान आयुक्त बिक्री-कर (श्री जोजफ) द्वारा वर्तमान पद का कार्यभार ग्रहण करने के बाद से दिनांक 30-4-87 तक किन-किन तिथियों में कहां से कहां तक की सरकारी खर्चे पर हवाई यात्रायें की गई है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त वर्तमान आयुक्त द्वारा जिला बुलन्दशहर, गाजियाबाद, मेरठ परिक्षेत्रों की किन-किन तिथियों में सरकारी खर्च पर यात्रायें की गयी ? क्या सरकार उन यात्राओं के औचित्य की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बिक्री-कर कार्यालय, नोएडा (गाजियाबाद) द्वारा दिये गये फार्मों के दुरुपयोग की जांच

28—श्री फूल कुंवर—

क्या संस्थागत वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिक्रीकर कार्यालय, नोएडा (गाजियाबाद) द्वारा इशू रजिस्टर के अनुसार फार्म 31 नं0 1096323 से

1096327 तक के पांच फार्म 31 दिसम्बर, 84, जनवरी, 85 में नोएडा की किस फर्म को किस अधिकारी द्वारा दिये गये ? क्या यह सत्य है कि उक्त फार्मों का गम्भीर रूप से दुरुपयोग हुआ ? इस मामले में आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो, मेरठ द्वारा किन-किन कर्मचारियों व अधिकारियों के विरुद्ध जांच की जा रही है ? जांच के क्या परिणाम हुए ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

29—श्री फूल कुंवर—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

30—श्री फूल कुंवर तथा बालेश्वर—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

31—श्री राजित प्रसाद यादव—

[6वें शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 39 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

वाराणसी जिलान्तर्गत जी0 टी0 रोड को राजघाट पुल से लहरतारा आदि क्षेत्र तक विस्तार किये जाने की योजना

32—श्री राजित प्रसाद यादव—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि वाराणसी जिलान्तर्गत जी0 टी0 रोड को राजघाट पुल से लहरतारा (महेशपुर) आदि क्षेत्र तक चौड़ाई आदि बढ़ाकर विस्तार किये जाने की कोई योजना चल रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

जी0 टी0 रोड लहरतारा (महेशपुर चुंगी से) कैण्ट रेलवे स्टेशन तक तथा वाराणसी-बिहार सीमा वाले भाग के कैण्ट रेलवे स्टेशन से राजघाट (काशी) स्टेशन तक रु0 186.66 लाख की लागत में चौड़ीकरण की योजना चल रही है ।

प्रदेश में जांच चौकियों के नाम व प्राप्त फार्म 31 व 32 की संख्या

33—श्री फूल कुंवर तथा श्री जगमोहन सिंह यादव—

क्या संस्थागत वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985-86 में प्रदेश में किन बीस जांच चौकियों पर सबसे कम फार्म 31 व फार्म 32 प्रयोग करके माल प्रदेश के बाहर से लाया गया ? क्या मंत्री जी उक्त बीस जांच चौकियों के नाम वर्ष 85-86 में प्राप्त फार्म 31 व 32 की संख्या तथा 31 मार्च, 1986 को उक्त जांच चौकियों पर कार्यरत बिक्री-कर अधिकारी, बिक्रीकर श्रेणी-2, तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों व पल्लेदारों की संख्या भी सूचित करने का कष्ट करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना निम्नवत् है :—

क्रम सं0	जांच चौकी का काम	जहां सबसे कर्म फार्म 31/32 का प्रयोग किया गया	कार्यरत बि0 क0 अ0	कार्यरत बि0 क0 अ0श्रे0-2	कार्यरत तृतीय श्रेणी कर्मचारी	कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	कार्यरत पल्लेदार
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बमनगर	30	—	2	3	2	3
2.	शमसाबाद	79	—	2	3	2	3
3.	अच्छनेरा	264	—	3	2	2	2
4.	कागारोल	266	1	5	5	3	6
5.	सौंख	442	—	2	2	5	—
6.	गौरी फन्टा	1035	1	2	3	—	3
7.	रूपई डीहा	1174	1	3	5	4	8
8.	राबर्ट्सगंज	1520	3	5	9	7	7
9.	अम्बावाय	2296	1	3	7	5	7
10.	नरैनी चौराहा	3447	1	2	2	3	—
11.	देवरी मऊरानीपुर	3704	1	3	2	3	1
12.	भीपुरा	5158	—	3	5	5	—
13.	सीतापुर	5946	1	2	2	2	1
14.	गोवर्धन	6140	1	2	4	2	3
15.	नन्दगांव	6536	—	2	2	2	2
16.	मुगरां	6542	—	3	3	5	—
17.	कलेसरा (दादरी)	6671	1	2	3	2	2
18.	मेहरौना	6895	1	4	6	4	6
19.	मसौरा	7697	1	4	7	8	5
20.	श्रीनगर	14825	1	4	6	6	3

सेक्टर 4-ई-1 सचिवालय कालोनी, इन्दिरानगर, लखनऊ में स्नान-घर एवं किचन का अभाव

34—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेक्टर 4-ई-1 सचिवालय कालोनी, इन्दिरानगर, लखनऊ में स्नानघर एवं किचन अन्य कालोनियों की भांति उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी अन्य कालोनियों की भांति उपरोक्त में भी आवंटियों को यह सुविधा प्रदान करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत आवासों का निर्माण उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा निर्धन वाय वर्ग हेतु किये गये थे जिन्हें राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा क्रय करके राजकीय कर्मचारियों को आवंटित कर दिया गया है । इन आवासो में किचेन एवं स्नानगृह का प्राविधान आवास एवं विकास परिषद् द्वारा नहीं किया गया है ।

स्थानाभाव के कारण इन आवासों में उक्त सुविधा प्रदान करना सम्भव नहीं है ।

मुख्य मंत्री विवेकाधीन निधि से अनुदान देने हेतु मानक

35—श्री हर्ष वर्धन—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 15 सितम्बर, 1985 से 15 मई, 1987 के बीच मुख्य मंत्री विवेकाधीन निधि से 5000 रुपये से अधिक का अनुदान किन-किन व्यक्तियों को दिया गया है ? संबंधित अनुदान देने हेतु सरकार की नीति क्या है और उसके क्या मानक है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

दिनांक 15 सितम्बर, 1985 से 15 मई, 1987 के बीच निम्नलिखित प्रकरणों में प्रत्येक प्रकरण की विशेष परिस्थितियों के आधार पर मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से रु0 5000 से अधिक का अनुदान दिया गया :—

(1) अप्रैल, 1986 में हरिद्वार में कुम्भ मेले के अवसर पर हुई दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को,

(2) नवम्बर, 1986 में अयोध्या में परिक्रमा के अवसर पर हुई दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को,

(3) दिसम्बर, 1986 में, वर्ष के दौरान ड्यूटी पर रहते हुए वीरगति को प्राप्त तथा मृत होम गार्ड, स्वयंसेवकों के परिवारों को तथा ड्यूटी पर रहते हुए स्थायी रूप से विकलांग हुए स्वयं सेवकों को ।

विवेकाधीन कोष सम्बन्धित नियमों के अनुसार निम्नलिखित वर्ग के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता अनुमन्य है :—

1—असंहाय व्यक्तियों को,

2—विकलांग व्यक्तियों को,

3—दुर्बल वर्ग के व्यक्तियों को,

4—सामाजिक एवं सांकृतिक कार्यों में रत संस्थाओं को,

5—बीमारी से पीड़ित निर्धन व्यक्तियों को,

6—निराश्रित विधवाओं तथा बालकों आदि को, तथा

7—ऐसे अन्य व्यक्तियों/संस्थाओं को जो मुख्य मंत्री जी के विवेकानुसार इस कोष से सहायता के पात्र है ।

इस कोष से मुख्य मंत्री द्वारा अपने विवेकानुसार आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती है और अनुदान के सम्बन्ध में नियमों में कोई मानक निर्धारित नहीं है ।

यू0 पी0 स्टेट सर्विस ट्रिब्यूनल में विचारधीन वाद तथा वादों का निस्तारण

36—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू0 पी0 स्टेट सर्विस ट्रिब्यूनल को कितने ट्रिब्यूनल 1 जनवरी, 1985 से 31 दिसम्बर, 1985 तक पूर्णरूपेण गठित होकर कार्य करते रहे अर्थात् उनमें अध्यक्ष एवं सदस्य दोनों ही रहे ? इस एक वर्ष की अवधि में कितने

वादों का निस्तारण हुआ और कितने नवीन वाद प्रस्तुत हुए ? इस समय कुल कितने वाद सर्विस ट्रिब्यूनल में विचाराधीन हैं* ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

1 जनवरी, 1985 से 31 दिसम्बर, 1985 तक केवल उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण-1 पूर्ण रूप से गठित होकर कार्य करता रहा । अधिकरण-1 में पूरे वर्ष अध्यक्ष एवं न्यायिक सदस्य दोनों रहे ।

वर्ष 1985 में कुल 3,714 वादों का निस्तारण हुआ । कुल 3,383 नवीन वाद दायर हुए । 30 जून, 1987 को कुल 10,207 वाद विचाराधीन थे ।

उ0 प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ लि0, लखनऊ में कार्यरत मार्केटिंग सुपरवाइजर, श्री एस0 एन0 टण्डन की नियुक्ति के समय आयु सीमा

37—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ लि0, लखनऊ में कार्यरत मार्केटिंग सुपरवाइजर (श्री एस0 एन0 टण्डन) की नियुक्ति आयु सीमा में छूट प्रदान करते हुए क्यों की गयी ? क्या इस संबंध में शासन से स्वीकृति ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री एस0 एन0 टण्डन को उनकी नियुक्ति के समय आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की गयी थी । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

उ0 प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ लि0 द्वारा की गयी कतिपय नियुक्तियां

38—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ लि0 द्वारा श्री आर0 के0 शुक्ला, मार्केटिंग सुपरवाइजर, अल्मोड़ा, श्री आर0 के0 चतुर्वेदी, कार्यालय अधीक्षक, सुल्तानपुर चीनी मिल, श्री ए0 के0 पाण्डेय, इंचार्ज वाराणसी वेयर हाउस की नियुक्तियां संघ द्वारा विज्ञापन निकाल कर साक्षात्कार/लिखित परीक्षा करके की गयी है ? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन अधिकारी दोषी है ? संघ में इस प्रकार की कार्यवाहियों के लिए शासन क्या कदम उठायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

आबकारी आयुक्त द्वारा प्रदेश की समस्त आसवनियों को एक-एक वर्ष के लिए, देशी शराब को बंधित आबकारी गोदाम में वितरित करने के लिए, जिले आबंटित किये जाते हैं । क्योंकि आवंटन केवल एक वर्ष के लिए ही किया जाता है और संबंधित आबकारी गोदाम के लिए कुशल अधिकारियों की आवश्यकता होती है, अतः इस कारण नियमित नियुक्ति के बजाय आवश्यकता पड़ने पर अस्थायी नियुक्ति की जाती है । इसी कार्य को देखने के लिए श्री आर0 के0 शुक्ला तथा श्री आनंद शंकर पाण्डेय की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी रूप से की गयी थी । क्योंकि नियुक्तियां पूर्णतः अस्थायी है तथा सक्षम अधिकारी की अनुमति से की गई है । अतः किसी अधिकारी के दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री आर0 के0 चतुर्वेदी, कार्यालय अधीक्षक, सुल्तानपुर अपने मूल वेतनमान में ही, संघ से सम्बद्ध किये गये हैं । इनकी कोई नई नियुक्ति नहीं की गई है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

उ0 प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ लि0, लखनऊ में मार्केटिंग सुपरवाइजर श्री एस0 एन0 टण्डन की नियुक्ति का कारण

39—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ लि0, लखनऊ में मार्केटिंग सुपरवाइजर, श्री एस0 एन0 टण्डन की नियुक्ति विज्ञापन एवं साक्षात्कार/लिखित परीक्षा के बाद की गयी है ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है और कौन अधिकारी इसके लिये जिम्मेदार है ? शासन इस संबंध में क्या कार्यवाही करेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

संघ में पूर्व से कार्यरत मार्केटिंग अधिकारी के त्याग-पत्र देने के फलस्वरूप आसवनियों के उत्पादन के मार्केटिंग के लिए एक कुशल अधिकारी की तत्काल आवश्यकता उत्पन्न होने के कारण, संघ में पूर्व से ही कार्यरत, श्री एस0 एन0 टण्डन को उनके द्वारा संघ में किये गये कार्य एवं पूर्व अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए, सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करके, नियुक्त किया गया था ।

नैनीताल झील में खुलने वाले नाले तथा उपभोक्ताओं को वितरित किया गया पेयजल

40—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नैनीताल झील में कुल कितने गंदे नाले खुलते हैं ? इनसे कुल कितना पानी प्रतिदिन (औसत) झील में आता है ? इस झील से कुल कितना पानी (औसतन) प्रतिदिन नलों से उपभोक्ताओं को किस दर से दिया जाता है ? सरकार इस जल को वितरित करने से पूर्व पानी की शुद्धता का क्या प्रबन्ध करती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

शासन को प्राप्त सूचना के अनुसार नैनीताल में कुल 26 नालें खुलते हैं ।

नालों के मुहानों पर गेज नहीं लगे हैं । अतः यह अवगत कराया जाना सम्भव नहीं है कि नालों के माध्यम से कितना पानी झील में आता है ।

झील से 6·5 एम0 एल0 डी0 पानी लिया जाता है तथा ट्रीटमेन्ट उपरान्त 80 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पेयजल वितरित किया जाता है ।

झील के पानी को वितरित करने से पूर्व पानी को ट्रीटमेन्ट करके फिल्ट्रेशन क्लोरीनेशन इत्यादि करने के पश्चात् शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जाती है । आपूर्ति किये जा रहे जल की जांच विभागीय प्रयोगशाला एवं उ0 प्र0 राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ की प्रयोगशाला द्वारा कराई जाती है जो कि सन्तोषजनक है ।

41—श्री काशी सिंह ऐरी—

[6वें बुधवार में अता0 प्र0 सं0 59 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

उन्नाव-माधोगंज मार्ग पर बनी पुलिया को गहरी एवं चौड़ी करने के संबंध में पत्र

42—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के ग्राम केवटी ख्वाजीपुर दौलतयारपुर तेरवा चन्दी पुरवा मिठाई के निवासियों का एक आवेदन पत्र प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित उन्नाव-माधोगंज मार्ग पर बनी पुलिया को गहरी एवं चौड़ी करने के संबंध में फरवरी, 87 के तीसरे सप्ताह में अधि0 अभि0 सा0 नि0 वि0 हरदोई को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या जनता की परेशानियों को देखते हुए तत्काल उक्त पुलिया को गहरी व चौड़ी बनवाने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत विषय से संबंधित पत्र फरवरी 1987 के तीसरे सप्ताह में प्राप्त नहीं हुआ बल्कि एक पत्र दिनांक 28-2-1987 को प्राप्त हुआ था ।

पुलिया पर मार्ग की चौड़ाई बढ़ा दी गई है एवं पुलिया के नीचे सफाई करा दी गई है ।

फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । प्रश्नगत पुलिया के पास अभी तक किसी भी वर्ष की वर्षा में न तो मार्ग ही कटा और न ही पुलिया क्षतिग्रस्त हुई और न ही जलभराव की समस्या उत्पन्न हुई । अतः फिलहाल पुलिया के स्पैन को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

बन्दी श्री बेचे लाल को प्रोबेशन पर छोड़ने हेतु पत्र

43—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित एक पत्र माह अप्रैल के अन्तिम सप्ताह में बंदी श्री बेचे लाल पुत्र श्री जोधे, निवासी निर्मलपुर कछोना, हरदोई को प्रोबेशन पर छोड़ने हेतु प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या श्री बेचे लाल को प्रोबेशन पर छोड़ दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

मामले में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

जी नहीं ।

बन्दी बेचे लाल का फार्म 'ए' प्रोबेशन बोर्ड की संस्तुति सहित कारागार महानिरीक्षक से प्राप्त हो गया है, जो शासन के विचाराधीन है ।

44—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

[7वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 170 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उ0 प्र0 सचिवालय भाषा विभाग में कार्यरत उर्दू अनुवादकों की प्रोन्नति पर प्रतिबन्ध

45—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय भाषा विभाग में कार्यरत उर्दू अनुवादकों की प्रोन्नति पर कोई प्रतिबन्ध लगा हुआ है ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा वर्तमान विशेष कार्याधिकारी (उर्दू) को उपरोक्त प्रतिबन्ध की समाप्ति तक अपने पद पर रहने के आदेश न देने के क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उत्तर प्रदेश सचिवालय के भाषा विभाग के उर्दू प्रभाग के कतिपय अनुवादक/पुनरीक्षकों ने एक निर्देश याचिका संख्या 143/एफ/V/86 उ0 प्र0 लोक सेवा अधिकरण में दायर की है । इस याचिका में माननीय अधिकरण ने दिनांक 13-5-86 को यह आदेश दिये थे कि प्रोन्नतियां माननीय अधिकरण की पूर्वानुमति से की जायं । माननीय अधिकरण के उक्त आदेश एवं भाषा विभाग के उर्दू प्रभाग में विशेष कार्याधिकारी के नि:संवर्गीय पद पर सम्प्रति पुनर्नियुक्त अधिकारी को उक्त पद पर बनाये रखे जाने में कोई सीधा संबंध नहीं है । सेवानिवृत्ति के उपरान्त सामान्यत: सेवा में विस्तार/पुनर्नियुक्ति प्रदान करने की शासन की नीति नहीं है ।

उ0 प्र0 सहकारी समितियों एवं पंचायतों के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति उनके गृह जनपद में करने की मांग

46—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सहकारी समितियों एवं पंचायतों के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति उनके गृह जनपद में न होने के लिए कोई निश्चित नियम/शासनादेश है ? यदि हां, तो यह कब जारी हुए ? इस स्तर के अत्यंत न्यून वेतनधारियों को अन्य विभागों की भांति अपने गृह जनपद में नियुक्त न करने के क्या कारण है ? क्या सरकार सीमान्त जनपदों (पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी) में इसे समाप्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

प्रदेश शासन के सभी विभागों पर लागू शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 14/1/1984-कार्मिक-2, दिनांक 17-8-84 जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों में तैनाती के निर्देश भी शामिल हैं, के अनुसार उत्तर प्रदेश सहकारी समितियां एवं पंचायतें लेखा परीक्षा विभाग के विभिन्न वेतनमानों के लेखा परीक्षकों की सामान्यत: तैनाती की जाती है जिसमें अलग से कोई छूट दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद बलिया, क्षेत्र के सीयर के सहायक अध्यापकों द्वारा कथित पत्रकारिता का पेशा

47—श्री शारदानंद अंचल—

क्या सूचना मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद में विधान सभा क्षेत्र, सीयर के अन्तर्गत कितने बेसिक प्राइमरी पाठशालाओं के सहायक अध्यापक समाचार पत्रों से सम्वाददाता का परिचय-पत्र लेकर पत्रकार बनकर कार्यरत हैं और अपने मूल सेवा के अतिरिक्त पत्रकारिता के पेशे में भी लगे हुए हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

बलिया जनपद में विधान सभा क्षेत्र सीयर के अन्तर्गत किसी भी बेसिक प्राइमरी पाठशाला के सहायक अध्यापक समाचार-पत्रों में संवाददाता का परिचय-पत्र लेकर वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट के तहत पत्रकार बनकर कार्यरत नहीं है ।

प्रदेश के जिला सरकारी वकील फौजदारी/दीवानी की फीस में विभिन्नता

48—श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश—

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक जनपद में जिला सरकारी वकील (फौजदारी) एवं जिला सरकारी वकील (दीवानी) की देय फीस और उसका भुगतान अलग-अलग है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस अन्तर को समाप्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

न्याय राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)—

जी हां, जिला सरकारी वकील (फौजदारी) को मासिक रिटेनर फीस दी जाती है और जिला सरकारी वकील (दीवानी) को देय शुल्क का परिगणन सामान्य नियमावली (सिविल) में उच्च न्यायालय द्वारा विहित माप सारणी के अनुसार किया जाता है ।

उक्त अन्तर को समाप्त किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता और न ही इसका कोई औचित्य है ।

जनपद आगरा के सैंवराखाड़ा मार्ग पर पैसई ग्राम के पास झरना नाले पर पुल निर्माण की मांग

49—श्री चन्द्रभान मौर्य—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता ने सैंवराखाड़ा मार्ग में पैसई ग्राम पर झरना नाले पर जनहित में लिखित और मौखिक रूप से पुल निर्माण की मांग शासन से अनेकों बार की है ? यदि हां, तो अब तक उपरोक्त पुल को प्राथमिकता की सूची में भी शामिल न किये जाने के क्या कारण है ? क्या मंत्री जी उपरोक्त पुल का निर्माण कराने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में केवल प्रमुख जिला मार्गों तथा राज्य मार्गों पर पड़ने वाले पुलों के निर्माण को ही प्राथमिकता दी जा रही है । धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद आगरा में एतमादपुर से पवांरी तक स्वीकृत सम्पर्क मार्ग को पक्का कराने की मांग

50—श्री चन्द्रभान मौर्य—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एतमादपुर से देवखेड़ा वाया पंवारी मार्ग जो स्वीकृत है ? अब तक पक्का न होने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि इस मार्ग पर अभी तक पंवारी तक पूर्ण सोलिंग भी नहीं हुआ है तथा देवखेड़ा तक अर्थ वर्क एवं पुलियों का निर्माण भी नहीं हुआ है, जिसके कारण जनता को भारी परेशानी है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा इस मार्ग को पक्का कराने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

एतमादपुर से देवखेड़ा वाया पवांरी नाम से कोई मार्ग स्वीकृत नहीं है। एतमादपुर से पवांरी सम्पर्क मार्ग का 2.55 कि0 मी0 भाग 1982-83 में एन0 आर0 ई0 पी0 के अन्तर्गत तथा शेष 3.8 कि0 मी0 वर्ष 1984-85 में सोलिंग स्तर तक स्वीकृत हुआ था जिसका निर्माण स्वीकृत स्तर तक स्वीकृत लम्बाई में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा पूर्ण किया जा चुका है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

कार्य जिला सेक्टर का है जिसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

जिला कारागार, फतेहगढ़ में बी-श्रेणी की बैरक का निर्माण

51—श्री बृह्मदत्त द्विवेदी—

क्या कारागार मंत्री को जानकारी है कि जनपद फर्रुखाबाद में कैदियों की बढ़ती **संख्या को देखते हुए जिला कारागार, फतेहगढ़ में पर्याप्त संख्या में बैरकें उपलब्ध नहीं हैं ?** यदि हां, तो क्या शासन कैदियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए नई बैरकों का निर्माण करवाने की व्यवस्था करायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। बी-श्रेणी की 60 बन्दी क्षमता की एक अतिरिक्त बैरक के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

52—श्री बृह्म दत्त द्विवेदी—

[7वें सोमवार के अता0 प्र0 सं0 64 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फर्रुखाबाद स्थित छिबरामऊ के पास काली नदी पर निर्मित पुल की लागत एवं पथकर से प्राप्त आय

53—श्री बृह्मदत्त द्विवेदी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में छिबरामऊ के पास काली नदी पर बने पुल में कितनी लागत आयी है तथा अभी तक कुल कितनी पथकर की वसूली हुई ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इसे कब तक जनता के लिए पथकर से मुक्त कर दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद फर्रुखाबाद में छिबरामऊ के पास फर्रुखाबाद छिबरामऊ मार्ग के कि0 मी0 21 पर बने काली नदी पुल के निर्माण की लागत, उक्त लागत पर ब्याज, पुल के अनुरक्षण तथा पथकर वसूली में हुए व्यवस्थापन व्यय आदि को सम्मिलित करते हुए दिनांक 31 मार्च, 1987 तक रु0 29.22 लाख व्यय हुआ है तथा रुपये 25.26 लाख पथकर के रूप में वसूल

हुआ है । नियमानुसार पुल की लागत वसूल हो जाने पर उक्त पुल को पथकर से मुक्त कर दिया जायेगा ।

सेल्स टैक्स विभाग में असिस्टेन्ट कमिश्नर जुडिशियल के पद सृजन का औचित्य

54—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेल्स टैक्स विभाग में असिस्टेन्ट कमिश्नर जुडिशियल का पद सृजित करने का क्या औचित्य है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इस पद पर कितना राजस्व खर्च होता है और क्या लाभ है ? जब यह पद न्याय देने के लिये है तो उक्त पद जिला जज के अन्तर्गत न रखने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों से असंतुष्ट व्यापारियों को न्याय के उद्देश्य से सहायक आयुक्त (न्याय) के पद सृजित किये गये हैं ।

सहायक आयुक्त (न्याय) का वेतनमान रु0 1250—2050 है, इस आधार पर मासिक वेतन तथा समय-समय पर शासन के आदेशानुसार अनुमन्य अन्य भत्ते आदि दिये जाते हैं । यदि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कम कर लगाया जाता है तो सहायक आयुक्त (न्याय) उसे बढ़ा सकता है । क्योंकि सहायक आयुक्त (न्याय) के पद पर कार्यरत अधिकारी पूर्व में कर निर्धारण अधिकारी रह चुके होते हैं इसलिये उन्हें बिक्रीकर अधिनियम का व्यवहारिक ज्ञान होता है तथा इस प्रकार अपीलीय वादों का निस्तारण त्वरित गति से होता है । पूर्व में न्याय विभाग से इस पद पर तैनाती की जाती थी परन्तु यह व्यवस्था अनुभव के आधार पर उपयोगी और व्यवहारिक नहीं पायी गयी अतएव ये पद विभागीय पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं ।

जिला होम गार्ड्स मुरादाबाद के विरुद्ध श्री सतीश कुमार गुप्ता का शिकायती पत्र

55—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या मुख्य मंत्री को दिनांक 7-1-87 को मुरादाबाद से श्री सतीश कुमार गुप्ता द्वारा जिला होम गार्ड्स जनपद मुरादाबाद के विरुद्ध भेजा गया रजिस्टर्ड शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं । प्रश्नगत पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता । जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता है ।

बिक्री कर अधिकारियों, सहायक आयुक्तों व उप आयुक्तों का कथित निष्कासन और बर्खास्तगी

56—श्री बालेश्वर—

क्या संस्थागत वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1-4-80 से 30-4-87 तक किन-किन बिक्री-कर अधिकारियों, सहायक आयुक्तों व उप आयुक्तों को किस-किस दिनांक से टरमिनेट अथवा डिसमस किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत अवधि में इस स्तर के किसी अधिकारी को टरमिनेट व डिसमिस नहीं किया गया है ।

आयुक्त बिक्रीकर द्वारा प्रदेश के कर निर्धारण अधिकारियों को अभियोजन की कार्यवाही आरम्भ करने के निर्देश

57—श्री बलराम यादव—

क्या संस्थागत वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान आयुक्त बिक्रीकर द्वारा प्रदेश के कर निर्धारण अधिकारियों को दिनांक 14-2-85 को पत्र लिखकर पंजीयन प्रार्थना पत्रों पर मिथ्या सत्यापन एवं घोषणा करने पर अभियोजन की कार्यवाही आरम्भ करने हेतु निर्देशित किया गया ? शासन को इस विषय में प्रदेश के किन-किन अधिकारियों से किन-किन अधिवक्ताओं के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही करने व बार कौंसिल को लिखने की संस्तुति प्राप्त हुई ? इस विषय में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

दिनांक 14-2-85 को ऐसा कोई पत्र नहीं भेजा गया, जिसमें पंजीयन प्रार्थना-पत्रों पर मिथ्या सत्यापन करने पर अधिवक्ताओं के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया गया हो । उक्त दिनांक को भेजे गये एक पत्र में परिक्षेत्र उपायुक्तों से यह सूचना मांगी गयी थी कि इस प्रकार के कितने मामले प्रकाश में आये हैं और उनमें अधिवक्ताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी । दिनांक 10 दिसम्बर 1985 को जारी किये गये एक परिपत्र द्वारा सभी अधिकारियों को यह सूचित किया गया था कि वे ऐसे सभी मामलों में एक स्पष्ट रिपोर्ट मुख्यालय को उपलब्ध करायें ताकि बार काउन्सिल, उत्तर प्रदेश को अधिवक्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु लिखा जा सके ।

(ख) किसी भी अधिवक्ता के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही नहीं की गयी है । निम्नलिखित 24 अधिवक्ताओं का पंजीयन समाप्त करने के लिये आयुक्त, बिक्रीकर द्वारा सीधे ही उत्तर प्रदेश बार काउन्सिल, इलाहाबाद में शिकायत दर्ज करायी गयी, जिसके लिए शासन की अनुमति की आवश्यकता नहीं थी :—

	अधिवक्ता का नाम	प्रेक्टिस का जनपद
1.	श्री अरुण कुमार जैन	मेरठ
2.	,, सी0 के0 सक्सेना	मेरठ
3.	,, राजेन्द्र भटनागर	मेरठ
4.	,, एस0 के0 खन्ना	मेरठ
5.	,, जी0 डी0 सिंघल	बिजनौर
6.	,, अब्दुल वहीद खां	रामपुर
7.	,, रवीन्द्र कुमार	गाजियाबाद
8.	,, एस0 के0 रायजादा	गाजियाबाद
9.	,, अमरनाथ अरोड़ा	मुजफ्फरनगर
10.	,, भोजराज अरोड़ा	मुजफ्फरनगर

11.	श्री	एस0 के0 सिंह	वाराणसी
12.	,,	सिवेन्द्र सिंह	गोपीगंज (वाराणसी)
13.	,,	अरविन्द कुमार श्रीवास्तव	वाराणसी
14.	,,	एन0 एन0 श्रीवास्तव	चन्दौसी (वाराणसी)
15.	,,	जे0 एन0 श्रीवास्तव	इलाहाबाद
16.	,,	बी0 के0 नागर	इलाहाबाद
17.	,,	राजेन्द्र कुमार चौपड़ा	इलाहाबाद
18.	,,	अशोक कुमार गुप्ता	अलीगढ़
19.	,,	गिरिराज किशोर गुप्ता	अलीगढ़
20.	,,	रामबाबू शर्मा	हाथरस
21.	,,	अशोक कुमार अग्रवाल	शिकोहाबाद
22.	,,	ओ0 पी0 अग्रवाल	आगरा
23.	,,	एम0 एल0 गुप्ता	बरेली
24.	,,	एम0 आर0 शर्मा	हल्द्वानी

उत्तर प्रदेश बार काउन्सिल में असफलता के फलस्वरूप सर्वश्री जी0 डी0 सिंघल, अब्दुल वहीद खां, रवीन्द्र कुमार, अमरनाथ अरोड़ा और राम बाबू शर्मा के मामलों में बार काउन्सिल आफ इण्डिया के समक्ष रिवीजन दायर करने हेतु प्रस्ताव आयुक्त, बिक्रीकर से शासन को प्राप्त हुए थे । इनमें से प्रथम 4 मामलों में आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये हैं और शेष मामले में न्याय विभाग से आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है ।

बिक्रीकर अधिकारियों, सहायक आयुक्तों व उपायुक्तों की कथित पदावनति

58—श्री रमेश यादव—

क्या संस्थागत वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1-4-80 से 30-4-87 तक किन-किन बिक्रीकर अधिकारियों, सहायक आयुक्तों व उपायुक्तों को किस-किस दिनांक से पदावनत (रिवर्ट) किया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, दिनांक 1-4-80 से 30-4-87 तक सर्वश्री जे0 पी0 श्रीवास्तव, बी0 डी0 सिंह को शासनादेश दिनांक 8-11-85 द्वारा तथा सर्वश्री आर0 एस0 सहवा एवं ए0 आर0 सिद्दीकी को बिक्रीकर अधिकारी के पद से क्रमशः शासनादेश दिनांक 31-1-84, 12-6-80 द्वारा पदावनत (रिवर्ट) किया गया था ।

उक्त अवधि में कोई सहायक आयुक्त एवं उपायुक्त पदावनत (रिवर्ट) नहीं किया गया ।

59—श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

सरकार द्वारा अधिग्रहीत महोली चीनी मिल को पुनः मालिक को वापस करने की मांग

60—श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि महोली के गन्ना मिल मालिक सरकार के लगे रुपयों की किस्तों में अदायगी करने के लिए तथा मिल वापस लेने के लिए तैयार हैं ? यदि

हां, तो तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी मिल वापस न करने का क्या कारण है तथा व्यावहारिक नीति अपना कर मिल कब वापस देने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) अध्यादेश, 1984 (अधिनियम संख्या 20, 1985) के अंतर्गत प्रदेश की अन्य 11 चीनी मिलों के साथ महोली चीनी मिल का अधिग्रहण दिनांक 28-10 84 को किया गया । उक्त चीनी मिल उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम में निहित हो गयी है । अतः अब उसे पूर्व मिल-मालिक को वापस करने का प्रश्न नहीं उठता ।

उन्नाव के ब्लाक हिलौली की प्रा0 पाठशाला चित्ताखेड़ा के भवन निर्माण में हुए विलम्ब हेतु दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

61—श्री हृदय नारायन दीक्षित—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जनपद के हिलौली ब्लाक के प्रा0 पाठशाला चित्ताखेड़ा के भवन निर्माण की स्वीकृति कब हुई थी तथा भवन निर्माण कब तक हो जाना था ? क्या यह सत्य है कि भवन अब तक बनकर तैयार नहीं हुआ है ? यदि हां, तो विलम्ब के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत चित्ताखेड़ा प्रा0 पाठशाला की स्वीकृति 18 नवम्बर, 1982 को दी गई थी तथा सितम्बर, 1984 तक भवन-निर्माण के पूर्ण होने का लक्ष्य था ?

जी नहीं । भवन का कार्य मार्च, 1987 तक पूर्ण हो गया था परन्तु उसमें दरवाजे लगने शेष रह गये थे जिन्हें जून, 1987 में लगा दिया गया है ।

विलम्ब के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही हेतु परीक्षण किया जा रहा है ।

62—श्री मित्रसेन—

[6वें गुरुवार में अता0 प्र0 सं0 59 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सेतु निगम द्वारा नव-निर्माणाधीन फाफामऊ सेतु (इलाहाबाद) के बह जाने से लाखों रुपये की क्षति

63—श्री अशोक बाजपेयी—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सेतु निगम के प्रबन्धकों की लापरवाही, अक्षमता व अदूरदर्शिता के कारण निगम द्वारा नव निर्माणाधीन फाफामऊ सेतु इलाहाबाद के जुलाई 86 में बह जाने तथा लाखों रु0 की बहुमूल्य भारी मशीनरी के डूब जाने से लाखों रु0 के सार्वजनिक धन व सम्पत्ति की क्षति से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8-8-86 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसमें कुल कितनी क्षति हुई ? क्या सरकार द्वारा अब तक कोई समुचित व ठोस कार्यवाही करते हुए किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के प्रति कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, पत्र प्राप्त हुआ है ।

इसमें कुल अन्तिम रूप से लगभग 5 लाख रु0 की क्षति हुई ।

दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

64—श्री यदुनाथ सिंह—

[8 वें गुरूवार में अता0 प्र0 सं0 58 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आयुक्त, बिक्रीकर कार्यालय में मकानों के पंजीयन फीस व जीप के निर्माण हेतु निकाली गयी राशि

65—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि 1978 में आयुक्त, बिक्रीकर कार्यालय में मकानों के पंजीयन फीस व जीप के निर्माण हेतु निकाली गयी राशि के बारे में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1339 मुख्य मंत्री जी को ता0 19-10-84 को मिला है ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 314 मुख्य मंत्री जी को ता0 7-10-85 को मिला था ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

माननीय विधायक के पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं । उपलब्ध कराये जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है ।

अमीनाबाद जेल डिपो के प्रबन्धक श्री लियाकत अली खान को सेवावधि के दौरान मिली प्रतिकूल प्रविष्टि व सेवा-निवृत्ति का कारण

66—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या कारागार मंत्री को ज्ञात है कि अमीनाबाद जेल डिपो के प्रबन्धक (श्री लियाकत अली खान) को ता0 19-10-85 को सेवा-निवृत्त कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री खान कब सेवा में आये थे और सेवा-नियुक्त की तिथि तक कितनी प्रतिकूल प्रविष्टियां किस-किस वर्ष की इन्हें मिली ? क्या यह सही है कि श्री खान ने ता0 24-5-84 को कारागार महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश को भेजे गये अपने पत्र में शिकायत की थी कि एक निदेशक महोदय जेल डिपो से 2383.61 का सामान अपने घर ले गये और क्रेडिट मेमो भेजे जाने के बाद भी उनका भुगतान नहीं किया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी है तथा इनके सेवा निवृत्त के क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

दिनांक 19-10-85 को श्री लियाकत अली खां को सेवा-नियुक्त नहीं किया गया वरन उनकी सेवायें समाप्त कर दी गयीं ।

श्री खान 16-11-83 को सेवा में आये और सेवा समाप्ति के दिनांक तक उन्हें 21-3-84, 4-3-85, 3-7-85 तथा 25-7-85 को उनके असन्तोषजनक कार्य के लिये चेतावनी दी गयी ।

श्री खान ने दिनांक 22-5-84 को कारागार महानिरीक्षक को पत्र भेजकर सूचित किया था कि निदेशक कारागार उद्योग पर रु0 2383.61 उधार है । उनके द्वारा भेजे गये क्रेडिट मेमों पर निदेशक कारागार उद्योग ने आपत्ति की थी और आपत्ति समाप्त होने के पश्चात् उक्त धनराशि कम होकर 2052.85 रह गई थी जिसका कारागार उद्योग निदेशक ने 31-1-86 को नकद भुगतान कर दिया है ।

श्री खान का कार्य संतोषजनक न होने के कारण उनकी सेवायें समाप्त कर दी गयीं ।

बलिया से प्रकाशित समाचार-पत्रों को देय सरकारी सुविधा

67—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या सूचना मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद से कितने समाचार-पत्र प्रकाशित हो रहे हैं और उन्हें अलग-अलग किन स्तरों पर सरकारी सुविधाएं उपलब्ध हैं ? क्या सरकार इन ग्रामीण समाचार पत्रों के सम्वर्धन और उनके पत्रकारों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक समिति गठित कर आवश्यक कार्यवाही करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

बलिया जनपद से 16 समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे हैं । इनमें से दो दैनिक तथा तीन साप्ताहिक समाचार पत्र सूचना विभाग द्वारा विज्ञापन मान्यता प्राप्त हैं, जिसके अनुसार इनको सरकारी विज्ञापनों की सुविधा उपलब्ध है । इसके अलावा दो दैनिक तथा एक साप्ताहिक पत्र के प्रतिनिधि सूचना विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त है । इसके तहत इन प्रतिनिधियों को वर्ष में तीन हजार किलोमीटर बस यात्रा की निःशुल्क सुविधा तथा सरकारी कर्मचारियों की भांति चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ।

जिला स्तर पर गठित स्थायी समिति में एक दैनिक एवं एक साप्ताहिक पत्र के प्रतिनिधि सदस्य हैं, जिसमें पत्रकारों के उत्पीड़न आदि के मामले देखे जाते हैं । समाचार-पत्रों को टेलीप्रिंटर के माध्यम से तथा प्रेस नोट आदि से समाचार प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है ।

इस परिप्रेक्ष्य में इन सुविधाओं को देखते हुए शासन द्वारा कोई समिति गठन का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम के प्रबन्धकों द्वारा शासनादेशों का उल्लंघन करके कतिपय पदों पर की गयी तैनाती/प्रोन्नतियां

68—श्री अशोक बाजपेयी—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के प्रबन्धकों ने सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा जारी अनेकों शासनादेशों का उल्लंघन कर तथा शासन द्वारा गठित चयन समितियों की उपेक्षा करते हुए वर्ष 1983 से अब तक क्षेत्रीय प्रबन्धकों तथा उपपरियोजना प्रबन्धकों के पदों पर तैनात तथा प्रोन्नतियां की हैं ? यदि हां, तो उनका विवरण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1983 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम ने क्षेत्रीय प्रबन्धकों के 6 पदों पर तैनाती तथा उप परियोजना प्रबन्धक के 15 पदों में से 11 पदों पर प्रोन्नति तथा 4 पदों पर तैनाती की है ।

कमला देवी निवासनी झंझौर, वाराणसी की भूमि का फर्जी बैनामा की शिकायत के संबंध में जांच

69—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महानिरीक्षक निबंधन, उ0 प्र0 इलाहाबाद ने अपने पत्र संख्या 123/परि0/59/86, दिनांक 27 फरवरी, 1986 द्वारा जिला निवन्धक वाराणसी को पत्र लिख कर आदेश दिया था कि कमला देवी बेवा चम्मन निवासी झंझौर, परगना कोल असला, तह0 व जिला वाराणसी के शिकायती-पत्र व श्री ऊदल भूतपुर्व सभापति लोक लेखा समिति उत्तर प्रदेश के दिनांक 26-2-86 के पत्र की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करे और कृत कार्यवाही की सूचना जांच आख्या के साथ महानिरीक्षक निबन्धक को भेजे ? यदि हां, तो जिला निबन्धक ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही अब तक की और कमला देवी के झंझौर खरगपुर व औरांव की पूरी जमीन का फर्जी बैनामा कराने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उर्दू में गजट मुद्रण की व्यवस्था

70—श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उर्दू में गजट छापने की जो व्यवस्था की गयी थी वह लागू है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, लागू है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सूचना विभाग से निकलने वाला मासिक 'नया दौर' को अन्यत्र से छपवाने का औचित्य

71—श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

क्या सूचना मंत्री कृपया बतायेंगे कि सूचना विभाग से निकलने वाला मासिक नया दौर जो राजकीय प्रेस में छपता था अब बाहर से क्यों छपवाया जा रहा है ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना विभाग से निकलने वाला मासिक 'नया दौर' को राजकीय प्रेस ने छापने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी । अत: राजकीय प्रेस की अनुमति से छपाई बाहर से करायी जा रही है ।

72—श्री वीरेन्द्र सोन—

[दिनांक 30-6-87 को अता0 प्र0 सं0 162 द्वारा उत्तरित]

जनपद गोरखपुर के सेन्दुरिया बागामार मार्ग के निर्माण में भ्रष्टाचार की शिकायत तथा जांच

73—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सा0 नि0 मंत्री कृपया बतायेंगे कि सेन्दुरिया बागापार मार्ग पर निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार के विरुद्ध ब्लाक अध्यक्ष युवा जनता घुघली (गोरखपुर) ने एक शिकायती-पत्र दिया था जिसे जांच करने हेतु विभाग में अधि0 अभि0 सर्वेक्षण सा0 नि0 गोरखपुर को दिया है ? क्या जांच की सूचना शिकायतकर्ता को दी गयी एवं जांच करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

जांच अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 23-4-87 द्वारा शिकायतकर्ता को पन्द्रह दिन के अन्दर साक्ष्य एवं प्रमाण इत्यादि सहित संपर्क करने हेतु लिखा गया परन्तु उनके संपर्क न करने के कारण जांच अधिकारी के पत्र दिनांक 15-7-87 द्वारा पुनः स्मरण कराया गया । शिकायतकर्ता ने अपने सम्मुख ही जांच कराने का अनुरोध किया था परन्तु उनके संपर्क न करने के कारण जांच अवरुद्ध है ।

उ0 प्र0 सचिवालय में कार्यरत श्री सूर्य नारायण तिवारी द्वारा दूसरी शादी करने के विरुद्ध शिकायत की जांच

74—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सूर्य नारायण तिवारी चपरासी उ0 प्र0 सचिवालय द्वारा एक पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी किये जाने के विरुद्ध श्री सूर्य नारायण तिवारी की पहली पत्नी राजेश्वरी देवी की शिकायत पर कोई मामला शासन स्तर (सचिवालय प्रशासन अनुभाग-4) पर इस समय विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या क्षेत्राधिकारी (पुलिस) रामसनेही घाट जिला बाराबंकी द्वारा जांचोपरान्त दूसरा विवाह किया जाना सत्य पाया गया है और उसकी जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो श्री सूर्य नारायण तिवारी चपरासी उ0 प्र0 सचिवालय के विरुद्ध अब तक कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । क्षेत्राधिकारी (पुलिस) रामसनेही घाट, बाराबंकी की जांच आख्या प्राप्त हुई थी । इस आख्या के आधार पर श्री तिवारी के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है । जांच अधिकारी की आख्या प्राप्त होने पर मामले में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा ।

75—डा0 दिनेश जौहरी—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

विधायक निवासों के रख-रखाव पर हुआ व्यय

76—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक निवासों के रख-रखाव पर वर्ष 1985-86 में कितना धन व्यय किया गया ? क्या वर्ष 86-87 में विधायक

निवास—6 में कोई कैण्टीन बनाने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो इसका कार्य कब से प्रारम्भ हो जायेगा और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1985-86 में विधायक निवासों के रख-रखाव पर रु0 7210129·62 व्यय हुआ । विधायक निवास—6 में कैन्टीन बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । नहीं उठता ।

अधिशासी अभियन्ता, निचली गंगा नहर, मैनपुरी को बीस सूत्री कार्यक्रम की जनपदीय बैठकों में उपस्थित रहने का निर्देश

77—श्री सन्तोष चतुर्वेदी एडवोकेट—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बीस सूत्रीय कार्यक्रम की जनपदीय बैठक में अधिशासी अभियन्ता मैनपुरी प्रखण्ड निचली नहर गंगा मैनपुरी का उपस्थित होना आवश्यक है ? यदि हां, तो वर्ष 1985, 1986, 1987 में कितनी बीस सूत्रीय की बैठकों में वह शामिल हुये ? कुल कितनी ऐसी बैठक हुई जिनमें इस विभाग का कोई प्रतिनिधित्व नहीं हुआ और क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

अधिशासी अभियन्ता, निचली गंगा नहर, मैनपुरी की बीस सूत्री कार्यक्रम की जनपदीय बैठकों में बुलाया जाना आवश्यक नहीं रहा है क्योंकि जनपद मैनपुरी में वृहद सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं रहे हैं । फिर भी वृहद सिंचाई की समस्याओं को बैठक में उठाये जाने की सम्भावना को देखते हुए इन बैठकों में उक्त अधिशासी अभियन्ता को बुलाया जाता रहा है । वर्ष 1985, 1986 तथा 1987 में बीस सूत्री कार्यक्रम की कुल 15 बैठकें आयोजित की गईं जिनमें से 6 बैठकों में उक्त अधिशासी अभियन्ता स्वयं उपस्थित हुए, 3 बैठकों में उनके प्रतिनिधि उपस्थित हुए तथा शेष 6 बैठकों में वह अथवा उनका कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ । भविष्य में नियमित रूप से उपस्थित होने के लिए उनको जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित कर दिया गया है ।

प्रदेश के आरक्षित वनों की दशा की सही जानकारी हेतु सर्वे

78—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के आरक्षित वनों की दशा की सही जानकारी हेतु वन आच्छादन प्रति एकड़ उपलब्ध लकड़ी इत्यादि की जानकारी के लिए कोई रैंडम सर्वे किया जाता है ? यदि हां, तो क्या तथ्य सामने आये हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसा सर्वे करायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । प्रदेश के आरक्षित वनों की दशा की सही जानकारी हेतु पूर्ण अथवा रैंडम सर्वे द्वारा वन आच्छादन प्रति हेक्टेयर ज्ञात किया जाता है । यह कार्य विभिन्न वन प्रभागों में दस वर्ष के अंतराल पर बारी बारी से कराया जाता है ।

विशिष्ट वन प्रभाग का नाम ज्ञात होने पर वांछित तथ्यों की सूचना दी जा सकती है ।

है । प्रश्न नहीं उठता ।

79—श्री जयदीप सिंह बरार—

[6वें बुधवार में अता0 प्र0 सं0 58 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सेवा निवृत्त बिक्रीकर उपायुक्त श्री आर0 जी0 जौहरी के विरुद्ध उच्च स्तरीय जांच की मांग

80—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या मुख्य मंत्री की ज्ञात है कि उनको प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 470 दिनांक 3-12-85, दिनांक 31-11-82 को सेवा निवृत्त बिक्रीकर उपायुक्त श्री आर0 जी0 जौहरी के विरुद्ध उच्च स्तरीय जांच करने के बारे में ता0 3-12-85 को मिला है ? यदि हां, तो क्या इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

फर्म गोविन्द राम तनसुख राम खण्ड कं0 बदायूं के सम्बन्ध में बिक्रीकर अधिकरण बरेली द्वारा दिये गये निर्णय के संबंध में पत्र पर कृत कार्यवाही

81—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिक्रीकर अधिकरण, बरेली के निर्णय दिनांक 2-9-85 द्वितीय अपील संख्या 1823 आफ 1982 फर्म गोविन्द राम तनसुख राय खण्ड कं0 बदायूं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 816 तारीख 28-5-86 वित्त राज्य मंत्री जी को मिला है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

इस पत्र में बिक्रीकर अधिकरण बरेली द्वारा गोविन्द राम तनसुख राय एण्ड कम्पनी बदायूं के मामले में दिए गए निर्णय दिनांक 2-9-85 के संदर्भ में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं । स्थिति यह है कि मूल कर निर्धारण आदेश में गलत रूप से कर मुक्ति श्री यू0 एस0 सक्सेना, तत्कालीन बिक्रीकर अधिकारी द्वारा प्रदान की गई थी । इस मामले में चूंकि व्यापारी द्वारा कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध अपील की गई थी, विधि के अनुसार धारा 10-ख में कार्यवाही संभव नहीं थी । उपरोक्त अधिकारी, बिक्रीकर अधिकारी के पद से ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं । इस मामले में रु0 5,301.75 कर लगाया गया था जो तकनीकी आधार पर अधिकरण द्वारा निरस्त कर दिया गया ।

लखीमपुर खीरी जनपद में फर्म न्यू बाथम शुगर इन्डस्ट्रीज उगरिया पर लगाये गये कर के संबंध में पत्र पर मांगी गयी जानकारी

82—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के छठे मंगलवार के निर्धारित अता0 प्रश्न सं0 121 के संबंध में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उनको प्रश्नकर्ता का

पत्र सं0 34 दिनांक 6-9-85 इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री को ता0 6-9-85 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो पत्र में उल्लिखित जानकारी न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

(क) जी नहीं । किन्तु पत्र संख्या-34, दिनांक 9-9-85 प्राप्त हुआ था ।

(ख) इस पत्र में जिन बिन्दुओं पर सूचना मांगी गयी थी वह निम्न प्रकार है :—

(1) सम्बन्धित तीन अधिकारियों में से दो को प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी गयी है, एक अधिकारी को भविष्य के लिए सचेत किया गया है तथा संबंधित कर्मचारी को निन्दित किया गया है ।

(2) कर-निर्धारण आदेश प्रथम बार 12-11-82 को पारित किया गया था, जो अपीलीय अधिकारी द्वारा पुनः कर निर्धारण हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया गया । प्रतिप्रेषित वाद का निस्तारण करते हुए 5-7-84 को पुनः आदेश पारित किया गया, जिसके अनुसार 60,250·00 रु0 की मांग निकाली गयी । कर निर्धारण आदेश की तामीली चस्पा द्वारा की गयी । वसूली प्रमाण-पत्र 14-2-85 को जारी किया गया किन्तु व्यापारी के अनुपलब्ध होने के कारण कोई वसूली नहीं हो सकी है । जांच करने पर व्यापारी सीतापुर का रहने वाला पाया गया, अतः वसूली प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी, सीतापुर को भेजा गया है ।

(3) यह मामला लखीमपुर खीरी का है, जहां बिक्रीकर राजस्व की वसूली जिलाधिकारी के माध्यम से होती है । अतः डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) बिक्रीकर लखनऊ के पास वसूली प्रमाण-पत्र भेजने अथवा उनके द्वारा वसूली की कार्यवाही करने अथवा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

(4) व्यापारी द्वारा कोई करदेयता स्वीकार नहीं की गयी थी क्योंकि उसके अनुसार अतिरिक्त उत्पाद शुल्क अदा की गयी खाण्डसारी शक्कर की बिक्री की गयी थी ।

(5) व्यापारी द्वारा निर्धारित कर समय के अन्दर जमा न किये जाने के फलस्वरूप उस पर 12,050·00 रु0 अर्थदण्ड लगाया गया है ।

83—श्री यदुनाथ सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद उन्नाव में सड़कों को पक्का करने के लिये उपलब्ध अनुदान तथा व्यय का विवरण

84—श्री मनोहर लाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जनपद में सड़कों को पक्की करने के लिए वित्तीय वर्ष 85-86 के अन्तर्गत कितना रुपया शासन द्वारा दिया गया है और उसमें कितना रु0 खर्च हुआ है ? क्या बनने वाली सड़कों के नाम बताने के साथ-साथ प्रत्येक सड़क पर अलग-अलग खर्च हुये धन का ब्योरा भी प्रस्तुत करने का कष्ट करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद उन्नाव में सड़कों को पक्का करने के लिये वर्ष 1985-86 में उपलब्ध अनुदान तथा उसके विरुद्ध व्यय का विवरण निम्न प्रकार है :—

मद	अनुदान	व्यय
	लाख रु0 में	लाख रु0 में
लेपन स्तर तक सड़क का निर्माण	104·40	104·50
खरंजा स्तर तक मार्ग का निर्माण	123·39	123·76

वांछित विवरण संलग्न दो तालिकाओं में दिया गया है ।

जनपद उन्नाव में राहत कार्यों को ठेके पर न कराने के निर्देशों का पालन

85—श्री मनोहर लाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जनपद में सा0 नि0 वि0 द्वारा कराये जा रहे सभी कार्य ठेकेदारी द्वारा ही होते हैं ? क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार ने कुछ राहत कार्यों को ठेके पर न कराने के निर्देश दिये हैं ? यदि हां, तो क्या जनपद उन्नाव में इसका पालन किया गया है ? यदि हां, तो क्या उन सड़कों का नाम बताने का कष्ट करेंगे जो ठेकेदारी प्रथा के अनुसार न बनी हों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

जी हां, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल श्रमिक कार्यों को विभागीय पद्धति से कराने के आदेश हैं ।

जी हां ।

सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 134 पर)

यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0 इकाई अमरोहा में सीजन का उद्घाटन तथा गन्ने की पेराई

86—हाजी मोहम्मद हयात—

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0 इकाई अमरोहा के वर्ष 1986-87 के सीजन का उद्घाटन 21 नवम्बर, 1986 को हो छापा नहीं गया है ।

गया था ? यदि हां, तो वास्तविक गन्ने की पिराई किस दिनांक से प्रारम्भ हुई थी तथा चीनी का उत्पादन कब से प्रारम्भ हुआ था ? क्या यह सही है कि उद्घाटन तथा वास्तविक गन्ना पिराई के बीच की अवधि का वेतन श्रमिकों द्वारा केवल उद्घाटन होने के कारण ही बिना कार्य किये ले लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0, इकाई अमरोहा के 1986-87 सीजन का उद्घाटन दिनांक 21-11-86 को हुआ था परन्तु सहकारी गन्ना समिति, अमरोहा के कर्मचारी गन्ना तौल बन्द करके राज्य कर्मचारियों की हड़ताल में दिनांक 21-11-86 से ही सम्मिलित हो गये थे । नियमानुसार गन्ना समिति कर्मचारियों के बगैर गन्ने की तौल नहीं करायी जा सकती । दिनांक 27-11-86 से गन्ने की तौल प्रारम्भ करायी जा सकी । अत: दिनांक 27-11-86 से ही गन्ने की पेराई शुरु हुई थी तथा दिनांक 2-12-86 से चीनी का उत्पादन प्रारम्भ हुआ था ।

उपरोक्त परिस्थितियों में पेराई शुरु होने तक श्रमिकों से फैक्ट्री के अन्य कार्य कराये गये थे । श्रमिकों को वेतन दिया जाना अनिवार्य था क्योंकि पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार उन्हें 21-11-86 से कार्य पर बुला लिया गया था ।

यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0 इकाई अमरोहा में कृषकों तथा उनके जानवरों को उपलब्ध सेवायें

87—श्री हाजी मो0 हयात—

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0 इकाई अमरोहा द्वारा मिल में गन्ने की पिराई के सीजन में किसानों तथा उनके जानवरों को कुछ सुविधायें उपलब्ध करायी जाती हैं ? यदि हां, तो वह सुविधायें क्या-क्या हैं तथा उन सुविधाओं पर वर्ष 1984-85 व 85-86 में प्रति मद क्या खर्च आया था ? यदि नहीं, तो क्या सरकार किसानों तथा उनके जानवरों को कुछ सुविधायें उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । उपलब्ध कराई गई सुविधाएं निम्नवत् है :—

गन्ने की गाड़ियों के लिए पक्का यार्ड का निर्माण, किसानों तथा जानवरों के लिए पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था, तथा एक (पक्का छायादार स्थान) शेड का निर्माण, गन्ने की गाड़ियों के यार्ड में बिजली की पर्याप्त व्यवस्था तथा किसानों को रात्रि में तापने के लिए लकड़ी आदि की व्यवस्था ।

उपरोक्त सुविधाओं के सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार मरम्मत एवं रख-रखाव आदि पर पेराई सत्र 1984-85 एवं 1985-86 में क्रमश: रु0 10,000 तथा रु0 8,000 व्यय हुआ ।

शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

25वां वृत्त अस्थायी भवन खण्ड-1, सार्वजनिक निर्माण विभाग को उच्च न्यायालय व सिविल कोर्ट परिसर में सौंपा गया बहुखंडी भवन का निर्माण कार्य

88—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि 1984 में 25वां वृत्त अस्थायी भवन खण्ड-1, सार्वजनिक निर्माण विभाग को उच्च न्यायालय व सिविल कोर्ट परिसर में 36 न्यायालय कक्षों के बहुखंडी भवन का निर्माण कार्य सौंपा गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त इमारत बिना किसी नक्शे या डिजाइन के ही बनायी गयी है ? यदि नहीं, तो नक्शा कब बना और महापालिका से कब पास कराया एवं डिजाइन किस इंजीनियर ने बनायी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत निर्माण कार्य शासनादेश दिनांक 28 सितम्बर, 1982 के अनुपालन में 25वां वृत्त, सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ के अन्तर्गत अस्थाई भवन खण्ड नं0-1, सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ को सौंपा गया था ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत भवन का नक्शा 11 जून, 1979 को बनाया गया था जिसको नियमानुसार नगरमहापालिका से पास कराना आवश्यक नहीं था । भवन की डिजाइन प्रख्यात इंजीनियर, डा0 ओ0 पी0 जैन, भूतपूर्व निदेशक, इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, नई दिल्ली द्वारा बनायी गयी थी ।

कर आदेश की तारीख व तामील

89—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के पहले गुरुवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 145 के उत्तर के संदर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 71-72 का कर आदेश किस तारीख को पारित किया गया, करदाता के ऊपर किस तिथि को तामील हुआ और रिकवरी किस तारीख को निकाली गई ? वर्ष 71-72 के दौरान इस करदाता को कौन-कौन से फार्म किस तिथि को दिये गये ? क्या करदाता ने लिये गये फार्मों का प्रयोग का विवरण समय पर दाखिल किया और देय कर जमा किया ? क्या अधिकारी ने राजस्व के हित में करदाता के पंजीयन में व कर निर्धारण में व फार्म देने में सतर्कता बरती थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

90—श्री यदुनाथ सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

उपायुक्त (मुख्यालय) बिक्रीकर द्वारा डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) बिक्री-कर के विरुद्ध राजस्व के गबन की रपट न देने के बारे में पत्र पर कृत कार्यवाही

91—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के छठे मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 146 के उत्तर के संदर्भ में वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नकर्ता

का पत्र संख्या 247, दिनांक 28-9-85 मुख्य मंत्री के कार्यालय में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

92—श्री राज किशोर सिंह—

[6वें गुरुवार में अ0 प्र0 सं0 99 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद नैनीताल के पश्चिम रामगंगा घाटी की नौला जैनल गांवों के समीप पुरातन शवाधान, के खण्डहर की सुरक्षा हेतु उपाय

93—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या सांस्कृतिक कार्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद नैनीताल के पश्चिम रामगंगा घाटी के नौला जैनल गांवों के समीप एक किलोमीटर की दूरी पर महापाषाण काल के पुरातन शवाधान, केन्द्र के खण्डहर वर्षों से खुले आसमान में अस्त-व्यस्त पड़े हैं ? यदि हां, तो शासन को इस अत्यन्त प्राचीन महत्व के केन्द्र की प्रथम सूचना कब किस माध्यम से प्राप्त हुयी थी ? सरकार ने इसकी ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए इसकी सुरक्षा के लिये 1 मार्च, 1987 तक व उसके बाद क्या-क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

जनपद नैनीताल के पश्चिम रामगंगा घाटी की नौला जैनल गांवों के समीप पुरातन शवाधान के खण्डहर पाये गये हैं । परन्तु उ0 प्र0 पुरातत्व संगठन द्वारा किये गये प्रारम्भिक सर्वेक्षण के आधार पर यह महापाषाण काल के न होकर मध्यकालीन प्रतीत होते हैं ।

इसकी सूचना डा0 यशोधर मठपाल द्वारा प्रकाशित ''पहाड़—2'' 1986 पत्रिका के लेख से प्राप्त हुई । इस क्षेत्र का सर्वेक्षण कर अभिलेखीकरण कर लिया गया है । शवाधान भूमि के अन्दर दबे होने के कारण पूर्णतः सुरक्षित है । अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद चमोली में सिलकोट मटकोट और महरगांव नामक गांवों में सिलकोट टी स्टेट द्वारा काटे गये वृक्ष

94—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या वन मंत्री को ज्ञात है कि जनपद चमोली में सिलकोट मटकोट और महरगांव नामक तीन गांवों में फैले सिलकोट टी स्टेट के द्वारा 1985-86 में 24 पेड़ उतीस, अखरोट, 225 पेड़ बांज, बुरांश काटे गये थे ? क्या इस संबंध में परगनाधिकारी द्वारा करायी गयी जांच के अनुसार उपरोक्त पेड़ों के अलावा बांज से कोयले बनाने वाली 6 भट्टियां भी चालू हालत में पायी गयी ? यदि हां, तो उपरोक्त चाय बागान मालिक के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सिलकोट टी स्टेट में निम्न तालिका में दिये गये विभिन्न व्यास श्रेणी में 455 आज, काफल, उतीस तथा कुकाट वृक्षों का दिसम्बर 85/जनवरी 86 के बीच पालन किया गया था :—

क्र0 सं0	प्रजाति	संख्या
1	उतीस	29
2	काफल	9
3	बांज	114
4	मेहल	1
5	बुराश	62
6	अयार	191
7	कुकाट (सौर, भवर, तनाय)	49
	योग ..	455

उक्त तालिका के अनुसार काटे गये पेड़ों में 114 बांज तथा 29 उत्तीस के वृक्ष सम्मिलित थे ।

वन विभाग में ऐसी कोई सूचना नहीं है कि परगनाधिकारी, कर्णप्रयाग द्वारा कोयला बनाने की छः भट्ठियां भी चालू हालत में पाई गईं । इस विभाग के कर्मचारियों की जांच में भी ऐसी कोई भट्ठियां प्रकाश में नहीं आईं । नायब तहसीलदार द्वारा वृक्ष संरक्षण अधिनियम की धारा 4/10 के अन्तर्गत न्यायालय में यह मामला चलाया गया तथा दिनांक 10-12-86 को न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया, जिसके अनुसार अभियुक्त श्री नन्दा सिंह (टी स्टेट के मैनेजर) तथा अन्य दोषी पाये गये लोगों को 50-50 रुपये का अर्थ दण्ड दिया गया । अर्थ दण्ड न देने पर सात-सात दिन का साधारण कारावास का दण्ड सुनाया गया ।

न्यायालय के आदेशों के अनुसार कार्यवाही की गई । अतः अन्य किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

चमोली जनपद के पश्चिम रामगंगा नदी के उद्गम तथा जलागमन क्षेत्र मिलकोट को चमोली जिले के किसी प्रभाग में स्थानान्तरित किये जाने की मांग

95—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या वन मंत्री को ज्ञात है कि चमोली जनपद के पश्चिम रामगंगा नदी के उद्गम तथा जलागमन क्षेत्र (मिलकोट) को लोहणा रेंज के अन्दर अल्मोड़ा जनपद के पश्चिमी अल्मोड़ा वन प्रभाग के अन्तर्गत रखा गया है ? यदि हां, तो इस प्रकार विभिन्न जनपदीय (चमोली अल्मोड़ा) इकाइयों विषम भौगोलिक परिस्थितियों व जनता की व्यापक मांग के परिप्रेक्ष्य में इसे चमोली जिले के ही किसी प्रभाग में स्थानान्तरित करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

प्रशासनिक दृष्टिकोण से ऐसा अभी व्यावहारिक नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिलकोट और नैनीताल की चाय बागान प्रभावित क्षेत्र की जनता द्वारा बागानों का शीघ्र राष्ट्रीयकरण किये जाने हेतु प्रदर्शन

96—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद चमोली में विकास खण्ड मुख्यालय गैरसैंण में सिलकोट और नैनीताल की चाय बागान प्रभावित क्षेत्र की जनता ने 15 अप्रैल, 1975 को उपरोक्त चाय बागानों के क्षेत्र में बंजर व जंगल फैलने के कारण चाय बागान बीमार हो जाने और वहां परम्परागत रोजगार की समाप्ति के कारण, उपरोक्त बागानों का शीघ्र राष्ट्रीयकरण करने हेतु विशाल प्रदर्शन किया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्रमशः क्या-क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पर्वतीय जनपद में चाय बागानों में चाय बोर्ड के लाइसेन्स

97—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय जनपद में स्थित चाय बागानों में से किन-किन बागानों के पास भारत सरकार के चाय बोर्ड के लाइसेन्स हैं ? जिन उद्योगों के पास यह लाइसेन्स नहीं है उन्हें किस विधान के अनुसार चाय निर्माण बिक्री की अनुमति दी जाती रही है, इस हेतु राज्य सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

98-99—इंजीनियर मोहम्मद अबरार अहमद—

[दिनांक 7-7-87 को क्रमशः अता0 प्र0 सं0 44 तथा 45 द्वारा उत्तरित]

सेतु निगम द्वारा फोरवेज एण्ड फोरवेज कम्पनी बम्बई को शिपमेन्ट के कार्य हेतु अग्रिम भुगतान, फर्म की नियुक्ति तथा कार्य करने की शर्तें

100—श्री अशोक बाजपेई—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सेतु निगम द्वारा फोरवेज एण्ड फोरवेज बम्बई को शिपमेन्ट के कार्य हेतु करोड़ों रु0 का अग्रिम भुगतान किया जाता रहा है ? यदि हां, तो क्या इस कम्पनी की नियुक्ति नियमानुसार ढंग से की गयी थी ? इस फर्म की नियुक्ति तथा काम करने की शर्तें क्या-क्या थीं ? यदि नियुक्ति नियमानुसार नहीं की गई, तो क्या सरकार ने प्रबन्धकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । वर्ष 1980-81 से अब तक लगभग 3.40 करोड़ रु0 का अग्रिम भुगतान किया गया है ।

वर्ष 1980-31 में बम्बई की इस कार्य को करने वाली 78 कम्पनियों से रजिस्टर्ड पत्र द्वारा आफर मांगे गये । इसके उत्तर में बहुत कम फर्मों से उत्तर प्राप्त हुए जिसमें इस फर्म का भी आफर था, जिसका परीक्षण करने के बाद स्वीकृति प्रदान की गयी । इसके बाद वर्ष 1984 में दुबारा समाचार-पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराकर आफर आमंत्रित किये गये और 14 फर्मों को पंजीकृत सूचना द्वारा आफर दी गयी, फिर भी बहुत कम फर्मों से आफर प्राप्त हुए जिसमें इस फर्म का भी आफर था जिसका परीक्षण कर स्वीकृति प्रदान की गयी ।

इस फर्म द्वारा कार्य करने की निम्नलिखित शर्तें थीं :

सीमा शुल्क बम्बई बन्दरगाह ट्रस्ट शुल्क एवं अन्य वास्तविक व्यय का भुगतान निगम से अग्रिम प्राप्त करके फर्म द्वारा किया जाना था जिसका समायोजन बाद में वास्तविक व्यय के अनुसार होना था ।

फर्म को एजेन्सी फीस के रूप में निम्नलिखित धनराशि देय थी :

5 लाख रु0 तक की मशीनों की अवमूल्यन लागत का एक प्रतिशत ।

5 लाख रु0 से अधिक लागत की मशीनों की अवमूल्यन लागत का 0.8 प्रतिशत ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अरुण कुमार द्विवेदी, अध्यक्ष, राष्ट्रीय शर्करा उद्योग कामगार संघ छितौनी द्वारा दिया गया शिकायती-पत्र

101—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 87 के 1ले मंगलवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न सं0 166 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या मंत्री जी कृपया यह बतायेंगे कि श्री द्विवेदी के आरोप-पत्र में एक यह भी आरोप था कि उक्त मिल के श्रम अधिकारी क्रय अधिकारी का कार्य करते हैं जो कि नियम विरुद्ध है और इसी आधार पर इस अधिकारी का स्थानान्तरण भी हुआ था ? यदि हां, तो इन्हें हटाने में प्रशासनिक दृष्टि से क्या कठिनाई है ? क्या सरकार श्रम अधिकारी की क्रय संबंधी सेवाओं की अपरिहार्यता को देखते हुए उन्हें इसी इकाई में सेवा-निवृत्त अवधि तक के लिए क्रय अधिकारी के रूप में नियुक्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री अरुण कुमार द्विवेदी, अध्यक्ष राष्ट्रीय शर्करा उद्योग कामगार संघ, छितौनी, के शिकायती-पत्र दिनांक 22-7-86 में यह एक आरोप था कि श्रम कल्याण अधिकारी श्रमिकों का कोई कार्य न देखकर सिर्फ सामानों की परचेजिंग कर लाखों रुपये कमाते हैं । परीक्षण से यह आरोप सत्य नहीं पाया गया । संबंधित अधिकारी का स्थानान्तरण किया जा चुका है ।

जी नहीं, प्रशासनिक हित में यह उचित नहीं होगा ।

विज्ञान एवं प्रोद्योग परिषद्, उत्तर प्रदेश में संयुक्त निदेशक के पद पर श्री सी0 पी0 द्विवेदी की नियुक्ति का आधार एवं जांच

102—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि विज्ञान एवं प्रोद्योग परिषद्, उत्तर प्रदेश में संयुक्त निदेशक (बायोटेक्नोलाजी) के असृजित एवं अस्वीकृत पद पर श्री सी0 पी0 द्विवेदी

की नियुक्ति जनवरी, 1984 में किस आदेश और आधार पर की गयी ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि उपरोक्त नियुक्ति को 2 साल 6 माह बाद जुलाई, 1986 में किन परिस्थितियों में पूर्व तिथि से नियमितीकरण किया गया और इसका क्या औचित्य था ? क्या मंत्री जी सम्पूर्ण विवरण की जांच कराकर दोषी पाये गये अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

डा0 सी0 पी0 द्विवेदी की नियुक्ति विज्ञान एवं प्रोद्योग परिषद् में संयुक्त निदेशक के पद पर बायोटैक्नालाजी विषय के महत्व को देखते हुये प्रोद्योग परिषद् के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19-12-1983 द्वारा की गयी थी और डा0 द्विवेदी ने इस पद पर दिनांक 12-11-1984 को कार्यभार ग्रहण कर लिया था । उस समय भूलवश इस पद के सृजन के लिये शासन की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी । बायोटैक्नालाजी एक महत्वपूर्ण विषय है । अतः उसके महत्व को देखते हुये संयुक्त निदेशक बायोटैक्नालाजी के पद के सृजन की शासन द्वारा दिनांक 31-7-86 को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई । इस पद के सृजन के लिये कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है । अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है ।

झांसी में बिक्री कर विभाग में कनिष्ठ लिपिकों की भर्ती हेतु टाइप टेस्ट, चयनित अभ्यर्थियों में झांसी मण्डल के निवासी तथा श्री अशोक कुमार को विकलांग कोटे में चयनित किये जाने की जांच

103—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या संस्थागत वित्त मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि अप्रैल, 87 में झांसी में बिक्रीकर विभाग में 28 कनिष्ठ लिपिकों की भर्ती हेतु टाइप टेस्ट में अभ्यर्थियों को कोई सीरियल नम्बर नहीं दिया गया, न ही टाइप शीट पर अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर कराये गये ? यदि हां, तो विभाग ने यह कैसे जानकारी की कि किस अभ्यर्थी की कौन सी टाइप शीट है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

104—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह भी बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, 87 में झांसी में बिक्रीकर विभाग द्वारा कनिष्ठ लिपिकों की भर्ती में कुल चयनित अभ्यर्थियों में झांसी मण्डल के निवासी कितने हैं तथा झांसी मण्डल से बाहर के मूल निवासी कितने हैं ?इतनी अधिक संख्या में झांसी मण्डल से बाहर के अभ्यर्थियों को चयनित करने का क्या औचित्य है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

105—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या मुख्य मंत्री यह बतायेंगे कि श्री अशोक कुमार पुत्र श्री शारदा प्रसाद शिवहरे को फर्जी प्रमाण पत्र पर विकलांग कोटे में चयनित किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त

प्रमाण पत्र की जांच एवं अभ्यर्थी का परीक्षण करा कर सम्बन्धित दोषी अधिकारियों को दण्डित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, तृतीय श्रेणी कर्मचारी तथा बिक्रीकर अधिकारी श्रेणी-2 को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति

106—श्री फूल कुंवर—

क्या संस्थागत वित्त मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे कि क्रमशः कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, तृतीय श्रेणी कर्मचारी तथा बिक्रीकर अधिकारी श्रेणी-2, दिनांक 30-4-80 से दिनांक 30-4-87 तक अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किये गये हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

बछौली—नधौगंज मार्ग, जनपद हरदोई में सई नदी पर पुल के निर्माण का कार्य

107—श्रीमती उमा त्रिपाठी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बछौली—नधौगंज मार्ग जनपद हरदोई में सई नदी पर पुल के निर्माण कार्य का निर्णय शासन स्तर पर लिया जा चुका है जिसका कि सर्वेक्षण इत्यादि हो चुका है ? यदि हां, तो अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार जनहित में शीघ्र निर्माण कार्य की व्यवस्था कराने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत पुल का निर्माण स्वीकृत किये जाने का कोई निर्णय शासन स्तर पर नहीं लिया गया है अभी केवल पुल का सर्वेक्षण किया गया है ।

प्रश्नगत पुल ग्रामीण मार्ग पर पड़ता है । सातवीं पंचवर्षीय योजना में सीमित संसाधनों के कारण केवल राज्य मार्गों तथा प्रमुख जिला मार्गों पर पड़ने वाले आवश्यक पुलों के निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जा रहा है । यह आवश्यक धन की उपलब्धता तथा कार्य की प्राथमिकता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

वाराणसी जनपद के चौकाघाट पुल से पाण्डेपुर रोड के पूरब की भूमि पर चिड़ियाघर बनाने की कथित योजना

108—श्री राजित प्रसाद यादव—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद के चौकाघाट पुल से पाण्डेपुर रोड के पूरब की भूमि पर पर्यटन वन तथा चिड़ियाघर बनाने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो इसमें क्या कठिनाई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

वाराणसी में सारनाथ में वन विभाग द्वारा पहले से ही स्थापित मनोरंजन स्थल स्थित है, जहां पर वन्य जन्तु भी रखे गये हैं। प्रशासनिक तथा वित्तीय संसाधनों की दृष्टि से अभी नये केन्द्र की स्थापना आवश्यक नहीं है।

वाराणसी वन प्रभाग क्षेत्र में अवैध खनन का कार्य

109—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि वाराणसी वन प्रभाग क्षेत्र में अवैध खनन का कार्य हो रहा है और इस खनन के माल बोल्डर इत्यादि की आपूर्ति पूर्वान्चल क्षेत्र में सिंचाई विभाग को कोई की गई है ? यदि हां, तो शासन ने इस अवैध कार्य को रोकने की अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वन विभाग को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि अवैध खनन के माल बोल्डर आदि की आपूर्ति सिंचाई विभाग को की गई है। वन विभाग द्वारा अवैध खनन को रोकने के लिए पुलिस एवं पी0 ए0 सी0 के सहयोग से पूरे प्रयास किये गये हैं तथा अपराधियों के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत न्यायिक दण्डाधिकारी चकिया के न्यायालय में मुकदमें कायम किये गये हैं।

वाराणसी वन प्रभाग के अन्तर्गत चकिया तहसील में बावनबीर छुंछाड, चूड़हारी आरक्षित वन क्षेत्रों में अवैध खनन का कार्य

110—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि वाराणसी वन प्रभाग के अन्तर्गत चकिया तहसील में बावनवीर छुछाड, जूड़हारी आरक्षित वन क्षेत्रों में पिछले एक साल से बड़े पैमाने पर अनधिकृत रूप से पत्थर की खदानें चालू हैं और इन क्षेत्रों से प्रतिदिन लभभग दो सौ ट्रक अवैध खनन का माल निकल रहा है ? यदि हां, तो इस अवैध कार्य को रोकने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

अवैध खनन कार्य की जो भी छुटपूट घटनायें होती हैं उन्हें रोकने के लिए पुलिस एवं पी0 ए0 सी0 के सहयोग से पूरे प्रयास किये गये हैं तथा अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत न्यायिक दण्डाधिकारी चकिया के न्यायालय में मुकदमें कायम किए गए हैं।

कार्यालय आयुक्त बिक्रीकर में कर्मचारियों की पदोन्नति

111—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि कार्यालय आयुक्त बिक्रीकर, उ0 प्र0 के आदेश सं0 स्था0-5 (ण) पदोन्नति 470—735/2017, दिनांक 13-9-85 के द्वारा कुछ कर्मचारियों को रु0 470—755 के वेतनमान में पदोन्नति के आदेश के प्रस्तर 4 में स्पष्ट उल्लिखित है कि 28-9-1984 तक नये पद पर कार्य भार ग्रहण न करने पर आदेश में उल्लिखित कर्मचारियों के लिए आदेश निरस्त कर दिया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त आदेश के उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों को जिन्होंने 28-9-84 के बाद कार्यभार ग्रहण किया है, पदोन्नति दी गयी और अन्य लाभों के साथ उनके वेतन का निर्धारण भी

किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या ऐसे कर्मचारियों की सूची शासन सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, परन्तु आदेश का दिनांक 13-9-84 है 13-9-85 नहीं । दिनांक 28-9-84 के बाद कार्यभार ग्रहण करने वाले केवल उन कर्मचारियों को पदोन्नति एवं वेतन निर्धारण का लाभ दिया गया है जिन्होंने दिनांक 28-9-84 के बाद अपने मूल पद से विलम्ब से कार्यमुक्त किये जाने के कारण पदोन्नति के पद पर विलम्ब से कार्यभार ग्रहण किया है । इस प्रकार का विलम्ब उक्त आदेश का उल्लंघन नहीं है क्योंकि देर से अवमुक्त होने में कर्मचारी दोषी नहीं है । कारण ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है । सूची रखने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

भिक्यासेण तहसील रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा के पुल का टोल टैक्स

112—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भिक्यासेण तहसील रानीखेत जनपद अल्मोड़ा के पुल का टोल टैक्स (चुंगी) धनराशि लागत से कुल कितना अधिक वसूल किया गया है ? इस अधिक धनराशि की जमा होने तक टोल टैक्स समाप्त न करने का क्या कारण था ? इस अतिरिक्त धन का उपयोग किस प्रकार किया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जिला अल्मोड़ा में भतरौंज धान गनाई मोटर मार्ग के कि0मी0 25 पर गंगास नदी पर बने भिक्यासेण पुल की लागत से लगभग 1.24 लाख रु0 अधिक वसूल हुआ है । उक्त पुल को पथकर से मुक्त करने का प्रस्ताव प्रमुख अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा शासन स्तर पर सम्परीक्षण करने में कुछ समय लगने के कारण उक्त अतिरिक्त धन जमा हुआ । उक्त धनराशि राजस्व खाते में जमा कर दी गई है जिस मद से जनहित के कार्यों पर व्यय किया जाता है ।

लखनऊ पालिटेक्निक, लखनऊ में प्रधानाचार्य की नियुक्ति तथा बन्द प्रयोगशालायें, चिकित्सालय एवं पुस्तकालय

113—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ पालिटेक्निक लखनऊ में वर्षों से प्रधानाचार्य (स्थायी) की नियुक्ति नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ? इस समय कौन प्रधानाचार्य है और कब से अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

संस्था में स्थायी नियुक्ति हेतु प्रधानाचार्य का पद जुलाई, 1985 से रिक्त हुआ था । नियंत्रक द्वारा नियमित नियुक्ति हेतु चयन की कार्यवाही की गई परन्तु अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण निदेशक, प्राविधिक शिक्षा द्वारा चयन पर अनुमोदन नहीं दिया गया ।

सम्प्रति श्री आई0 जे0 सिंह दिनांक 8-8-86 से प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं ।

114—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि लखनऊ पालीटेकनिक, लखनऊ में प्रयोगशालायें, चिकित्सालय, पुस्तकालय बन्द पड़े हैं और तरण ताल व क्रीडा स्थल बर्बादी की हालत में है ? क्या सरकार सम्पूर्ण अव्यवस्थाओं की उच्चस्तरीय जांच करा कर संस्था के स्तर के अनुरूप ठीक करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

संस्था में प्रयोगशालाओं, चिकित्सालय व पुस्तकालय बन्द नहीं है । तरणताल उपयोग किये जाने की स्थिति में नहीं है । क्रीड़ा स्थल ठीक है तथा छात्रों द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है । जांच की आवश्यकता नहीं है ।

सहारनपुर चीनी मिल के प्रबन्धक के विरुद्ध दिया गया ज्ञापन

115—श्री राम सजीवन—

क्या चीनी और गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राजकुमार बोहरा अध्यक्ष सहारनपुर शुगर वर्कस यूनियन ने 10 मई, 87 को तथा उसके पूर्व प्रबंध निदेशक राज्य चीनी निगम को कई ज्ञापन भेजकर तथा उसकी प्रतियां गन्ना विकास मंत्री एवं मुख्य मंत्री को भेजकर शिकायतें की है कि सहारनपुर चीनी मिल के प्रबंधक ने मिल में क्षेत्रीयतावाद व जातिवाद को खुलकर बढ़ावा दिया और यूनियन के पदाधिकारियों को निलम्बित किया ? यूनियन के कितने पदाधिकारी निलम्बित किये गये और तीन महीने तक उनके विरुद्ध कोई आरोप सिद्ध न होने के कारण उन्हें बहाल क्यों नहीं किया गया ? एवजी की समस्या तथा पिराई में प्रोत्साहन बोनस देने की समस्या हल नहीं की गयी ? मिल में औद्योगिक अशांति के लिए दोषी प्रबंधक के विरुद्ध कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, ज्ञापन प्राप्त हुये थे ।

मिल के सामान्य प्रबन्धक द्वारा 5 कर्मचारियों को विभिन्न अपचारों के कारण निलम्बित किया गया था । अनुशासनिक कार्यवाही अभी समाप्त नहीं हो सकी है क्योंकि 3 निलम्बित कर्मचारी जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुये ।

सहारनपुर मिल में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से अधिक है । इस परिप्रेक्ष्य में कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति/मृत्यु के फलस्वरूप होने वाली रिक्तियों की पूर्ति यथा सम्भव नियमानुसार की जा रही है । मिल के कर्मचारियों को उत्पादन प्रोत्साहन राशि का भुगतान उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार किया जा चुका है । मिल के प्रबन्धक के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

तमसा नदी पर नव निर्मित सेतु का नामकरण

116—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तमसा नदी अकबरपुर पर नव निर्मित सेतु का नामकरण डा0 राम मनोहर लोहिया के नाम से करने कौन सी कठिनाई है ? क्या यह सही है कि स्व0 श्री लोहिया इसी नगर (अकबरपुर) के निवासी थे ? यदि हां, तो क्या उनके नाम से किसी संस्था, पार्क, अस्पताल अथवा मार्ग का नामकरण हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद फैजाबाद में लुम्बिनी—दूधी मार्ग पर टोंस नदी पर स्थित सेतु का नाम "डा0 गणेश कृष्ण सेतु" रखा जा चुका है । अतः उक्त सेतु का नाम डा0 राम मनोहर लोहिया के नाम पर पुनः नामकरण करना उचित नहीं है ।

जी हां, यह सही है कि स्व0 लोहिया अकबरपुर के निवासी थे । सा0 नि0 वि0 के अधीन किसी मार्ग का नाम उनके नाम पर नहीं रखा गया है क्योंकि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री अता हुसैन नकवी, गन्ना ग्राम सेवक, सहकारी गन्ना समिति लिमिटेड, अमरोहा, जनपद मुरादाबाद की समाप्त सेवायें

117—हाजी मोहम्मद हयात—

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सहकारी गन्ना समिति, अमरोहा, जनपद मुरादाबाद में गन्ना ग्राम सेवक के पद पर कार्यरत श्री अता हुसैन नकवी की सेवायें दिनांक 3-12-83 को पुनः समाप्त कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या उन्हें सुनवाई का अवसर दिया गया था या सेवायें समाप्त करने से पूर्व उन्हें कोई नोटिस दी गयी थी ? क्या यह सही है कि अता हुसैन नकवी की सेवायें समाप्त करने में सर्विस रूल्स 1975 की धारा 71 का उल्लंघन किया गया है ? यदि हां, तो क्या शासन इस मामले की जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या श्री अता हुसैन नकवी को रिस्टेट करने के आदेश शासन द्वारा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री अता हुसैन नकवी, गन्ना ग्राम सेवक, सहकारी गन्ना समिति लिमिटेड, अमरोहा, जनपद मुरादाबाद के मामले में राज्य गन्ना सेवा प्राधिकरण द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 3-12-83 को सेवायें समाप्त कर दी गयीं । उन्हें पूर्व नोटिस दिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी ।

श्री अता हुसैन नकवी की सेवायें समाप्त करने में सर्विस रूल्स 1975 (गन्ना सहकारी सेवा नियमावली 1975) की धारा 71 का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है । शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0 की अमरोहा इकाई का सीजन का उद्घाटन गन्ने की पेराई तथा चीनी उत्पादन का कार्य

118—हाजी मोहम्मद हयात—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0 इकाई, अमरोहा के सीजन 1984-85 का उद्घाटन दिनांक 5-12-84 को किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि वास्तविक गन्ने की पेराई 9-12-84 को तथा चीनी उत्पादन 12-12-84 को प्रारम्भ हुआ था ? क्या यह सही है कि आफ सीजन में कार्यरत श्रमिकों की संख्या 814 थी तथा उद्घाटन के दिनांक को श्रमिकों की संख्या 1718 थी ? यदि हां, तो 904 श्रमिकों ने उद्घाटन तथा वास्तविक गन्ने की पेराई के मध्य 5 दिनों तक कोई कार्य नहीं किया था तथा 5 दिनों का वेतन बिना कार्य ही प्राप्त किया था ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त सीजन में 904 श्रमिकों को 5 दिन का अधिक वेतन लगभग तीन लाख रुपये कारपोरेशन को अनावश्यक भुगतान करना

पड़ा था ? यदि हां, तो उपरोक्त अधिभार की जिम्मेदारी किस अधिकारी पर आती है और शासन द्वारा दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन उपरोक्त मामले की जांच कराकर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यू0 पी0 स्टेट शुगर कारपोरेशन लि0 की अमरोहा इकाई का सीजन 1984-85 का उद्घाटन दिनांक 5-12-84 को किया गया था । वास्तविक गन्ने की पेराई 9-12-84 से तथा चीनी उत्पादन 12-12-84 को प्रारम्भ हुआ था । 1984-85 में सीजन के प्रारम्भ के तुरन्त पूर्व दिनांक 4-12-84 को कार्यरत श्रमिकों की संख्या 816 थी । फैक्ट्री की तैयारी को देखते हुए 1984-85 में पेराई सत्र 5-12-84 को प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया था और तदनुसार सीजनल श्रमिकों को भी उक्त तिथि को कार्य पर उपस्थिति होने का नियमानुसार 10 दिन पूर्व नोटिस दिया गया था किन्तु इसी दौरान अकस्मात तकनीकी कारणों से फैक्ट्री संचालन में व्यवधान परिलक्षित हुआ एवं उक्त तकनीकी व्यवधानों को दूर करके दिनांक 9-12-84 को ही गन्ने की पेराई शुरू हो सकी । 5-12-84 से 9-12-84 तक जो भी श्रमिक काम पर आ चुके थे वह खाली नहीं बैठे बल्कि उनसे स्टीम ट्रायल, बैकअम ट्रायल तथा स्कैप एवं चूने के पत्थर की छटाई, फैक्टरी के अन्दर-बाहर, परिसर एवं रेलवे ट्रैक, स्टोर की सफाई आदि कार्य करवाये गये थे । उन्हें उक्त अवधि का वेतन लगभग 85 हजार दिया गया । चूंकि मिल के उद्घाटन के बाद पेराई कार्य प्रारम्भ होने में विलम्ब अप्रत्याशित तकनीकी व्यवधानों के कारण हुआ था इसलिये किसी के विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता नहीं हुई ।

बिक्री-कर जांच चौकी कोटवन, मथुरा आगरा क्षेत्र में गोदाम का निर्माण

119—श्री वीरेन्द्र सोन—

क्या संस्थागत वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिक्रीकर जांच चौकी कोटवन, मथुरा आगरा क्षेत्र पर जो गोदाम का निर्माण मार्च 1987 में हुआ है, उसके लिये क्या शासन ने कोई धनराशि स्वीकृत की थी ? यदि हां, तो वह धनराशि कब स्वीकृत की गयी थी और कितनी ? इस धनराशि को कोषागार से कब निकाला गया था ? यदि कोई धनराशि गोदाम के निर्माण हेतु स्वीकृत नहीं की गयी थी तो क्या कराया गया निर्माण कार्य अवैध स्रोतों से प्राप्त धनराशि से कराया गया था ? यदि हां, तो इसमें क्या कार्यवाही की जा रही है और कब तक कार्यवाही पूर्ण हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

तहसील हण्डिया में स्थित उपरदहा ताल में वन विभाग की कथित योजना

120—श्री राकेश धर त्रिपाठी—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद की तहसील हण्डिया में स्थित उपरदहा ताल में वन विभाग की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है और योजना को कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

121—श्री सुन्दर लाल—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

छितवापुर व्यावसायिक केन्द्र, लखनऊ के तीन तल लखनऊ विकास प्राधिकरण से क्रय करके वित्त विभाग से सम्बन्धित विभागों को आवंटन

122—श्री सुन्दर लाल—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने छितवापुर व्यावसायिक केन्द्र, लखनऊ विकास प्राधिकरण से क्रय करके वित्त विभाग से सम्बन्धित विभागों को आवंटित किया है जिसमें एक कार्यालय रजिस्ट्रार, फर्म सोसाइटी भी है जो अभी तक स्थानान्तरित होकर नहीं आया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस विभाग द्वारा अनावश्यक रूप से लगभग 5000 रुपये प्रतिमाह किराया दिया जा रहा है जिसमें शासन को आर्थिक नुकसान हो रहा है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है और शासन द्वारा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

शासन ने छितवापुर व्यावसायिक केन्द्र, लखनऊ के तीन तल (चौथे से छठें तक) लखनऊ विकास प्राधिकरण से क्रय करके वित्त विभाग के अधीनस्थ तीन विभागों को आवंटित किये गये हैं जिनमें से पांचवां तल रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, उ0 प्र0 को आवंटित है ।

आवंटित तल में अभी आन्तरिक साज-सज्जा न हो पाने के कारण उक्त कार्यालय उसमें स्थानान्तरित नहीं हो पाया है ।

इस समय उक्त कार्यालय जिस किराये के भवन में स्थित है उसका किराया रु0 4432·75 प्रतिमाह है । रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स को निर्देश दिये गये हैं कि वे अविलम्ब अपना कार्यालय छितवापुर व्यावसायिक केन्द्र में उन्हें आवंटित तल में स्थानान्तरित करें ।

उपरोक्त व्यावहारिक कठिनाई देखते हुए फिलहाल किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

पर्वतीय क्षेत्रों में जड़ी-बूटी की व्यापारिक स्तर पर खेती करने हेतु योजनायें

123—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय जनपदों विशेषकर सीमान्त जनपदों (पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी) में वहां की जलवायु और आर्थिक विकास को देखते हुए वहां जड़ी-बूटी की व्यापारिक स्तर पर खेती करने हेतु क्या-क्या योजनाएं बनायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस हेतु कदम उठाने के लिये विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं । पर्वतीय क्षेत्र में उपलब्ध जड़ी बूटियों के विकास कार्यक्रम में जड़ी बूटी का व्यवसायिक स्तर पर कृषिकरण किया जाना प्रस्तावित है । योजना रिपोर्ट तैयार हो जाने पर लागू किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

124—श्री जयदीप सिंह बरार—

[7वें मंगलवार के लिये स्थगित]

बागेश्वर, जनपद अल्मोड़ा में प्रत्येक विकास खण्ड पर आई0 टी0 आई0 खोलने की कथित घोषणा

125—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 14 जनवरी, 81 को बागेश्वर जनपद अल्मोड़ा में प्रत्येक विकास खण्ड पर शासन द्वारा आई0 टी0 आई0 खोलने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो कब तक कथित आई0 टी0 आई0 खोल दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इस सम्बन्ध में शासन को कोई जानकारी नहीं है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

126—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

[अस्पष्टता एवं राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

जल निगम द्वारा पर्वतीय क्षेत्र के ग्रामों में उपलब्ध पेयजल सुविधा

127—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 में जल निगम द्वारा पर्वतीय क्षेत्र के कितने ग्रामों में पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी गयी तथा उसमें कुल कितना व्यय वर्षवार हुआ ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत वर्षों में पर्वतीय क्षेत्र के क्रमशः कुल 625 (605 समस्याग्रस्त) व 1417 (1125 समस्याग्रस्त) ग्रामों में पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी गई तथा इसमें क्रमशः कुल 2295.73 लाख रुपये व 2922.20 लाख रुपये व्यय हुआ ।

संस्कृत साहित्य के मानक ग्रंथों के हिन्दी अनुवाद की योजना

128—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

क्या सरकार के पास ऐसी योजना है कि संस्कृत के ज्ञान, विज्ञान और अन्य दर्शन व साहित्य की पुस्तकें हिन्दी भाषा में सुलभ हो सकें ? यदि हां, तो वह योजना कौन सी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सम्प्रति उत्तर प्रदेश भाषा निधि के अधीन संस्कृत साहित्य के मानक ग्रंथों के हिन्दी अनुवाद की योजना आरम्भ की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी और उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान का भी सहयोग प्राप्त किया जायगा ।

मझगवां थाने को झांसी जिले से सीधा जोड़े जाने की घोषणा

129—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के मुख्य मंत्री ने जनवरी, 1987 को राठ एवं सरीला (हमीरपुर) की सभाओं में मझगवां, जहां पुलिस थाना भी है, को झांसी जिले से सीधा जोड़े जाने की घोषणा की है ? यदि हां, तो क्या इसे इस प्रकार जोड़ेंगे कि पुलिस थाना गरौठा एवं ककरवई (झांसी) का मझगवां थाना से सीधा सम्पर्क हो सके ? यदि हां, तो कहां से जोड़ेंगे और इसमें अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

ककरवई तथा गरौठा थाना आपस में मोटर योग्य मार्ग से जुड़े हुए हैं ।

मझगंवा थाने को उक्त मार्ग से कचीर के निकट जोड़े जाने की योजना है जिस पर धसान नदी के ऊपर सेतु निर्माण की स्वीकृति 200 लाख रु0 की लागत पर दी जा चुकी है ।

सेतु स्थल का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है तथा वर्षा ऋतु के उपरान्त स्थल चयन किया जायेगा ।

मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव जिला सेक्टर के अन्तर्गत स्वीकृत हो जाने के पश्चात ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

चीनी मिलों में कार्यरत डाक्टरों के वेतनमानों में डिग्रियों में अन्तर

130—श्री हरिश्चन्द्र—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एम0 बी0 बी0 एस0 और बी0 ए0 एम0एस0/ए0बी0एम0एस0 की डिग्रियों के वेतनमान में कोई अन्तर है ? यदि नहीं तो उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन में सेवारत डाक्टर्स के वेतनमान में उपरोक्त डिग्रियों के आधार पर विसंगति (अन्तर) क्यों है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

राजकीय सेवा में उक्त डिग्रियों के प्रारम्भिक वेतनमान में कोई अन्तर नहीं है । लेकिन चीनी मिलों में कार्यरत डाक्टरों के वेतनमानों में डिग्रियों के आधार पर अन्तर इस कारण है कि चीनी मिलों में कार्यरत डाक्टरों के वेतनमान वैक्यूमपैन चीनी मिलों के लिए गठित वेजबोर्ड की संस्तुतियों पर आधारित है जिसमें एम0 बी0 बी0 एस0 तथा एम0 बी0 बी0 एस0 से भिन्न योग्यता रखने वाले चिकित्सकों के लिए अलग-अलग वेतनमान निर्धारित हैं ।

फर्म भोजराज सिंह बनाम आयुक्त बिक्री-कर में दिये गये निर्णय के सम्बन्ध में पत्र पर मांगी गयी जानकारी

131—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के पहले मंगलवार के अता0 प्रश्न संख्या 38 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 17-3-75 को वर्ष 1970-71 के लिये धारा 21 के अन्तर्गत नोटिस जारी करने का क्या आधार था ? खण्ड अधिकारी को इन आधारों के बारे में कब सूचना प्राप्त हुई और दिनांक 12-3-76 को आदेश पारित करने का क्या औचित्य था ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि धारा 21 के अन्तर्गत कितना कर लगाया गया जो मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय से रद्द हो गया था ? करदाता ने कितना-कितना कर कब-कब जमा किया ? करदाता को किस तिथि को वापस किया गया ? क्या रिफण्ड पर ब्याज भी ड्यू हो गया था ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मार्च, 1975 में बिक्री-कर अधिकारी खण्ड 3, मुरादाबाद से कोयले के विषय में सूचना प्राप्त होने पर वर्ष 1970-71 के लिए धारा 21 की नोटिस जारी की गई थी । धारा 21 में तत्समय प्रवृत्त प्राविधान के अनुसार कर निर्धारण व्यापारी को नोटिस दिए जाने के एक वर्ष की अवधि में किया जा सकता था और तदनुसार ही उक्त अवधि के अन्दर 12-3-76 को धारा 21 के अधीन कर निर्धारण आदेश पारित किया गया, जिसमें कोई अनौचित्य नहीं है । व्यापारी पर धारा 21 के अधीन रु0 5,040 कर आरोपित किया गया जो व्यापारी ने दिनांक 29-11-76 को जमा कर दिया था । यह धनराशि दिनांक 2-2-87 को व्यापारी को वापस कर दी गई । चूंकि वापसी उच्च न्यायालय के निर्णय की प्राप्ति के 3 माह के भीतर ही कर दी गई थी, इस पर कोई ब्याज देय नहीं हुआ ।

इटावा बिक्री कर कार्यालय में फर्म नवीन ट्रेडर्स को जारी किया गया पंजीयन प्रमाण-पत्र

132—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि इटावा बिक्री-कर कार्यालय में एक फर्म नवीन ट्रेडर्स को वर्ष 81-82 व 82-83 में पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी किया गया था और रियायती दर से खरीददारी के लिये सी फार्म भी दिये गये थे ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 2235 वित्त राज्य मंत्री को तारीख 13-10-86 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

जी हां ।

इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई । स्थिति यह है कि व्यापारी को वर्ष 1981-82 और 1982-83 में क्रमशः 50 और 100 सी-फार्म जारी किये गये । व्यापारी ने उक्त दोनों वर्षों में क्रमशः रुपये 31,07,816.44 तथा रु0 11,90,563.01 की खरीद फार्म-सी के आधार पर की है और इस साल की बिक्री माल के मूवमेन्ट के दौरान प्रान्त के बाहर के क्रेता को की, जिसके सम्बन्ध में केन्द्रीय

बिक्रय कर अधिनियम की धारा 6(2) के अन्तर्गत फार्म ई-1 और फार्म-सी कर निर्धारक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करके कर-मुक्ति प्राप्त की । इसके अलावा 1981-82 में रु0 2,65,696·67 और 1982-83 में रु0 1,94,176 चावल की खरीद भी फार्म-सी के आधार पर करके इस चावल को प्रान्त के बाहर आढ़त में बिकने के लिये भेजा । आढ़त की बिक्री पर कोई कर-देयता व्यापारी की नहीं है । उपरोक्त कार्यवाही विधि के प्राविधानों के अनुसार है और न तो प्रश्नगत व्यापारी पर कर का कोई दायित्व है और न ही उसके द्वारा फार्मों का दुरुपयोग किया गया है । ऐसी स्थिति में अर्थदण्ड की कार्यवाही करने अथवा ऐसा न करने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बिक्री कर अधिकारियों के विरुद्ध आरोपों की जांच

133—श्री रणजीत—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986 में किन-किन बिक्री-कर अधिकारियों को गम्भीर आरोप लगाकर निलम्बित किया गया है ? क्या इन लोगों के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध हो गए हैं ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1986 में सात बिक्रीकर अधिकारियों सर्वश्री बी0 पी0 श्रीवास्तव, खेतल विजय, बी0 के0 अग्रवाल, ए0 एन0 शुक्ला, रवीकान्त भार्गव, पी0 के0 धूसिया व आर0 एन0 पाण्डे को निलम्बित किया गया है । श्री बी0 पी0 श्रीवास्तव, श्री पी0 के0 धूसिया के विरुद्ध लगाये गये आरोप अंशत: प्रमाणित पाये गये हैं, जिन्हें दण्डित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है । शेष अधिकारियों की जांच रिपोर्ट अभी तक शासन को प्राप्त नहीं हुई है ।

134—श्री किरन पाल सिंह—

[7वें मंगलवार के लिए स्थगित]

नियुक्त डिप्टी कलेक्टर (संग्रह) बिक्री-कर के विरुद्ध राजस्व के गबन की शिकायत के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही

135—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 21 के उत्तर के सन्दर्भ में वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 942 वित्त राज्य मंत्री को तारीख 23-6-86 को व पत्र सं0 2102 मुख्य सचिव को तारीख 18-9-86 को मिला है ? यदि हां, तो इन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बिक्री-कर विभाग में उच्चतर पदों की खरीद फरोक्त के बारे में उच्चस्तरीय जांच

136—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1986 के दूसरे मंगलवार के अता0 प्रश्न सं0 178 के सन्दर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पत्र सं0 623 में मांगे गए बिन्दुओं पर जानकारी न दिये जाने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि तीन सचिवों की समिति ने इन शिकायती पत्रों का परीक्षण किया था ? यदि हां, तो जांच में क्या पाया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री श्याम लाल पुत्र श्री नेतराम की पेंशन का भुगतान

137—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्यामलाल पुत्र श्री नेतराम के पेंशन सम्बन्धी कागजात कोषाधिकारी बरेली द्वारा उनके कार्यालय के पत्र संख्या 2127/सी0 पी0 सी0-1/85, दिनांक 15-2-85 द्वारा महालेखाकार (लेखा-2) उ0 प्र0 पेंशन आडिट-3 इलाहाबाद को लेखाधिकारी के हस्ताक्षर हेतु प्रेषित किया गया था तथा अभी तक प्रश्नगत पी0 पी0 ओ0 कोषाधिकारी बरेली को प्राप्त न होने के कारण श्री श्याम लाल को उनकी पेंशन मिलनी प्रारम्भ नहीं हो सकी है ? क्या मंत्री जी उन्हें वह पेंशन एक निश्चित समय के अन्दर दिलाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

श्री श्याम लाल पुत्र श्री नेतराम के नाम जारी पी0 पी0 ओ0 संख्या बी0 एल0 वाई0/39566 कोषागार बरेली में दिनांक 12-3-87 को प्राप्त हो गया था और दिनांक 22-4-87 को पेंशन का समस्त भुगतान कर दिया गया और आगे पेंशन का निरन्तर भुगतान किया जा रहा है ।

करदाता पर लगाया गया कर तथा द्वितीय अपील पर निर्णय

138—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के सातवें मंगलवार के अता0 प्रश्न संख्या 188 के सन्दर्भ में क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि द्वितीय अपील का क्या निर्णय हुआ ? करदाता के ऊपर कितना कर लगाया गया, करदाता ने कितना जमा किया और कब रिफण्ड किया गया ? क्या इस रिफण्ड पर ब्याज भी देय हो गया था ? राजस्व की हानि के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

अभी द्वितीय अपील पर निर्णय नहीं हुआ है । इस मामले में करदाता पर रु0 13,000 कर आरोपित किया गया था, जिसके विरुद्ध रु0 900 दिनांक 24-3-79 को जमा किया गया । प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 6-12-82 को कार्यालय में प्राप्त होने पर रु0 900 का रिफण्ड दिनांक 1-3-83 को दिया गया । वापसी कार्यवाही समयान्तर्गत होने के कारण कोई ब्याज देय नहीं है । चूंकि अभी द्वितीय अपील लंबित है, कोई राजस्व हानि होने अथवा इसकी जिम्मेदारी निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण क्षेत्र में बनने वाली पुलियों के निर्माण में प्रतिबन्धित एन0 पी0—3 के पाइपों का उपयोग

139—श्री अशोक बाजपेयी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में बनने वाली पुलियों के निर्माण में एन0 पी0—3 के पाइपों का उपयोग करना प्रतिबन्धित कर दिया गया है ? यदि हां, तो यह भी बताने की कृपा करेंगे कि प्रतिबन्धित अवधि में उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिलों में कुल कितनी धनराशि के एन0 पी0—3 पाईप खरीदे गए ? शासन के निर्देशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत सूचना प्रदेश के समस्त जिलों के सभी ब्लाकों से प्राप्त करनी है जिसमें अत्यधिक समय लगने की सम्भावना है । सूचना प्राप्त होने पर उत्तर दिया जायेगा ।

प्रशंसनीय कार्य हेतु अधिकारियों को पुरस्कार स्वरूप दिये गये मेडल

140—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि 1982-83 में स्टेट एवार्ड के लिए आयुक्त बिक्रीकर द्वारा मार्च, 84 में रुपया निकालने के बारे में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 77 माननीय मुख्य मंत्री जी को तारीख 10-9-85 को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो इस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? इस मामले की जांच किस अधिकारी ने की थी एवं जांच में क्या पाया गया ? वर्ष 1982-83 का स्टेट एवार्ड किस-किस अधिकारी को दिया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । चूंकि मामला गबन से सम्बन्धित नहीं था अतएव जांच अधिकारी की नियुक्ति करना एवं जांच कराये जाने का प्रश्न ही नहीं उठा । पुरस्कृत अधिकारियों की सूची संलग्न* है ।

प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में नियोजन के लियें निर्धारित धनराशि

141—श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में वर्ष 1985-86 में नियोजन के लिए निर्धारित धनराशि (स्टेट सेक्टर में) उपयोग न किए जाने के कारण लैप्स हुई है ? यदि हां, तो पर्वतीय जनपदों के प्रत्येक जनपद में कितनी धनराशि लैप्स हुई है क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि धनराशि लैप्स होने के क्या कारण थे ? उन कारणों को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के लिए वर्ष 1985-86 योजना में स्टेट सेक्टर के लिए निर्धारित कुल प्लान परिव्यय के विपरीत धनराशि लैप्स नहीं हुई । राज्य सेक्टर योजनाओं के लिए धनराशि का आवंटन तथा स्वीकृति जनपदवार नहीं किया जाता ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 136 पर)

महाकवि दंव स्मारक का निर्माण तथा रख-रखाव

142—श्री आसान सिंह—

क्या सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाकवि दंव स्मारक (टिकसी टेम्पिल परिसर में स्थित), जिसका उद्घाटन 2-3 वर्ष पूर्व इटावा शहर में कई मंत्रीगणों की उपस्थिति में किया गया था, की वर्तमान जीर्ण-शीर्ण दशा का उत्तरदायित्व किसका है और इसके रख-रखाव का उचित बन्दोबस्त करने में राज्य सरकार/जिला प्रशासन ने क्या ठोस कार्यवाही की ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उत्तर प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने इटावा से ग्वालियर रोड पर स्थित टिक्सी मन्दिर के परिसर में ट्रस्ट की कुछ भूमि मांगकर महाकवि दंव स्मारक का निर्माण 1983 में कराया था । निर्मित महाकवि दंव स्मारक की दशा सन्तोषजनक है । टिक्सी मन्दिर एवं उसका परिसर स्थानीय प्रबन्ध के अन्तर्गत है ।

आज की कार्यसूची को निलम्बित करके मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर विचार किये जाने की मांग

श्री अध्यक्ष—

(बहुत दिनों बाद आज मुलाकात हुई की आवाज आने पर) आप सबका स्वागत है ।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)—

माननीय अध्यक्ष जी. . . .

श्री अध्यक्ष—

नियम 311 के अन्तर्गत जितनी सूचनाएं आई हैं मैंने सबको अस्वीकार किया है ।

श्री सत्यपाल सिंह—

पहले हम लोगों को सुन लीजिये (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपकी सूचनाएं देख ली हैं, मैंने सबको अस्वीकार किया है ।

(व्यवधान)

नत्थी (क) प्रश्न संख्या 1 (व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, आज सत्ता पक्ष दो गुटों में बंटा हुआ है (व्यवधान) आज सदन के अन्दर उसका बहुमत नहीं रह गया है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

नियम 311 के अन्तर्गत जितनी सूचनायें मिली उन सबको मैंने अस्वीकार किया है । (व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह—

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल जो आप बोल रहे हैं वह नहीं लिखा जायेगा (व्यवधान) आप बैठें, कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री सत्यपाल सिंह—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

आप क्या चाहते हैं सदन चले या न चले (व्यवधान) आप बैठें ।

श्री मुईद अहमद—

क्या इधर की जिम्मेदारी यह लिये हुयें हैं (व्यवधान) कांग्रेस आज और अधिक मजबूत हुई है ।

श्री अध्यक्ष—

नियम 311 की जितनी सूचनायें आई हैं मैंने सब को अस्वीकार किया (व्यवधान) आप लोग बैठें । (व्यवधान) नेता विरोधी दल, आप बैठें ।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, आप हमारी बात सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

मैं अनुरोध करूंगा, आप बैठ जांय । (व्यवधान) नत्थी (क) प्रश्न संख्या एक ।

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)—

(व्यवधान के मध्य उत्तर पढ़ने के लिये खड़े हुये) ।

श्री सत्यपाल सिंह—

इस सरकार पर इस सदन का विश्वास नहीं रह गया है ।

श्री अफसर यू0 अहमद—

माननीय नेता विरोधी दल, परेशान न हों इससे एकता मजबूत हुई है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं नियम निलम्बित नहीं कर रहा हूं जब समय आयेगा उस समय आप उठायें ।

(नेता विरोधी दल के खड़े रहने पर तथा बोलने पर) ।

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष—

कुछ नहीं लिखा जायेगा (व्यवधान) मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री कल्यान सिंह—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपा कर आप लोग बैठ जायं (व्यवधान) माननीय नेता विरोधी दल, आप बैठें ।

कु0 अलमेलु अम्माल—

हमारे नेता हमेशा ताकतवर रहे हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग बैठें (व्यवधान)

(घोर व्यवधान) (विपक्ष के काफी माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे) ।

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन की कार्यवाही 12.20 तक स्थगित करता हूं ।

(इस समय 11 बजकर 5 मिनट पर सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी गई) ।

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुयी ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, उसे सुन लीजिये □ □ □ □

श्री अध्यक्ष—

निधन के निर्देश हैं गुप्त जी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

ठीक है, इसके बाद ।

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य तथा भूतपूर्व उप मुख्य मंत्री श्री नारायण सिंह के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री नारायण सिंह का निधन 19-7-87 को हो गया । वह लगभग 63 वर्ष के थे । श्री नारायण सिंह का जन्म 8 जून, 1924 को हुआ था और उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से बी0 ए0, एल-एल0 बी0 तक की शिक्षा प्राप्त की थी । वर्ष 1974 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र मोरना, जिला मुजफ्फरनगर से कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित होकर उन्होंने सर्वप्रथम इस सम्मानित सदन में पदार्पण किया था । उसके बाद सन् 1977,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में पुनः उक्त निर्वाचन क्षेत्र से ही जनता पार्टी के टिकट पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी । मान्यवर, स्व0 नारायण सिंह ने वर्ष 1945 में कांग्रेस में सम्मिलित होकर राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय भाग लिया । 61-62 में अपने जिले की जिला परिषद् के अध्यक्ष बने, 67 से लेकर 71 तक जिले के भारतीय क्रांति दल के प्रधान रहे तथा 71 से 75 तक जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान रहने के साथ ही साथ वर्ष 1975 में श्री बहुगुणा जी के मंत्रि-मंडल में शामिल हुए थे । सन् 77 में प्रदेश की सी0 एफ0 डी0 के अध्यक्ष तथा कुछ समय तक उत्तर प्रदेश जनता पार्टी की कार्यकारिणी के सदस्य रहे । फिर भी दिनांक 6 मार्च, 1979 को श्री बनारसी दास की मंत्रि-परिषद् के सदस्य बने तथा 7 मार्च, 1979 को ही उन्होंने उप मुख्य मंत्री पद को भी सुशोभित किया ।

मान्यवर, नारायण सिंह जी जिस समय इस सदन में चाहे सदन के रूप में हों, चाहे मंत्री के रूप में, मुझे भी उस समय इस सदन में रहने का सौभाग्य प्राप्त था । मैं जानता हूं कि वह कितने सौम्य प्रकृति के थे । उनका बहुत सादा जीवन था और हमेशा गांवों में किसानों के बीच में जाकर उनकी सेवा करते थे । हमेशा उनका यही प्रयास रहा कि कैसे हम गांव के गरीब लोगों और खासकर किसानों के लिए ज्यादा से ज्यादा सेवा के कार्य कर सकूं और उनकी समस्याओं का समाधान करूं । वह आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनके न रहने से हमारे प्रदेश और देश की जो क्षति हुई है, उनको हम पूरा नहीं कर सकते हैं । मान्यवर, आपसे हमारा अनुरोध है कि आप हमारी और हमारे दल की शोक संवेदना उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन ने जो शोक संवेदना स्व0 नारायण सिंह के निधन के संबंध में व्यक्त की है, उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, नारायण सिंह जी का स्वर्गवास अभी 19 जुलाई, 1987 को काफी दिनों की बीमारी के बाद दिल्ली के अस्पताल में हो गया है । वह डायबटीज के मरीज थे । वह आज हमारे बीच में नहीं हैं । वह ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने जिला परिषद् के अध्यक्ष से लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्य मंत्री की हैसियत तक विभिन्न पदों पर रहकर सेवा की और उन्होंने इस प्रदेश की बहुत निर्भीकता से सेवा की, इनके साथ मुझे सदन के अन्दर 1974 तथा 1977 में बैठने का मौका मिला है । वह मुजफ्फरनगर के मुरना क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे जब वह मंत्री की हैसियत से पशुधन के मंत्री थे, तब भी मैंने उन्हें देखा था कि माननीय नारायण सिंह जी आडम्बरों से बहुत दूर थे । वह देहाती वेशभूषा के व्यक्ति थे । दारुलशफा में जब वह रहते थे जब वह मंत्री हो गये थे, तब भी उन्होंने आडम्बरों को स्वीकार नहीं किया था । वह ईमानदारी के साथ देश और प्रदेश की सेवा करते रहे, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसानों की समस्याओं में वह विशेष रुचि लेते थे । उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्वच्छ राजनीतिक की हैसियत से उन्होंने सेवा की है । मैं समझता हूं कि उनके निधन से मुजफ्फरनगर को ही नहीं, उनके क्षेत्र की ही नहीं वरन् पूरे उत्तर प्रदेश की क्षति हुई है । इस क्षति को दूर करना संभव नहीं है, उत्तर प्रदेश ने एक महान समाज सेवी खो दिया है । इस महान व्यक्ति के निधन पर मैं अनुरोध करूंगा कि हमारी और हमारे दल की शोक संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल और माननीय नेता सदन ने जो विचार व्यक्त किये हैं, मैं अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं श्री नारायण सिंह जी से मेरा व्यक्तिगत सम्बन्ध रहा है । मैं तो बहुत बचपन से उन्हें जानता था, उनसे काफी हम लोगों ने सीखा । ईमानदार, कर्मठ और बुराइयों से दूर रहने वाले वह इंसान थे । मान्यवर, जब वह सहकारिता मंत्री इस प्रदेश में थे तो सहकारिता विभाग के अफसरों ने उनके एक रिश्तेदार को अपने यहां नौकरी दे दी, जब उन्हें यह पता लगा कि मेरे रिश्तेदार को नौकरी दी है, तो उन्होंने रिश्तेदार को बुलाकर कहा कि या तो तुम नौकरी से इस्तीफा दे दो या मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो उनके रिश्तेदार ने इस्तीफा दे दिया । मान्यवर, वह बनारसी दास जी के मंत्रिमंडल में भी रेवेन्यू मिनिस्टर रहे थे । वहां भी उनकी धाक थी, वह समाज सुधारक थे हमारी बिरादरी के वह बहुत बड़े सरदार थे। हम लोगों ने उनसे बहुत कुछ सीखा । श्री नारायण सिंह जी की क्षति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरा होना बहुत असंभव है । मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से अनुरोध करूंगा कि उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी संवेदनायें भेजने का कष्ट करें ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने और माननीय नेता सदन ने स्वर्गीय नारायण सिंह जी के प्रति जो उद्गार व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को और अपने दल को संबद्ध करता हूं । चौधरी नारायण सिंह जी 1974 और 1977 में इस आदरणीय सदन में रहे मुझे भी उनके साथ कार्य करने का मौका मिला । वह किसानों की पीड़ा लेकर इस सदन में आये और वह जो कुछ कर सकते थे, उन्होंने किया । वर्तमान स्थिति में यह सब करना बहुत मुश्किल हो जाता है । जो किसान अपने प्रतिनिधि को यहां भेजते हैं, वह यहां आकर उनको भूल जाते हैं लेकिन उन्होंने कभी किसानों को नहीं भुलाया और यही कारण है कि जिला परिषद् से लेकर वह इस आदरणीय सदन के सदस्य रहे । मान्यवर, उनका जीवन सादगी का जीवन था । उनको देखने से, उनके व्यवहार से और उनके आचरण से ऐसा नहीं लगता था कि वह किसी बड़े पद पर बैठे हैं । जब वह उप मुख्य मंत्री थे, तब भी उनका वही रहन-सहन का तरीका था । देखने से ऐसा लगता था कि कोई पश्चिमी उत्तर प्रदेश का साधारण किसान बैठा हुआ है । आज उनके निधन से प्रदेश की क्षति है, किसानों की क्षति है । वह किसानों के बीच में रहकर उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिये समर्पित थे । अंत में मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुये आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी और हमारे दल की संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, स्वर्गीय चौधरी नारायण सिंह के निधन के संदर्भ में जो संवेदनायें माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और अन्य दलों के नेताओं ने व्यक्त की है, मैं अपने को और अपने दल को उनसे सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, चौधरी नारायण सिंह जी ऐसे व्यक्ति थे, जो सदैव गांव की जिंदगी से जुड़े रहे, किसान की जिंदगी से जुड़े रहे और किसान की जिंदगी से जुड़े हुये सवालों के साथ जुड़े रहे । गांव के गरीब और किसान की लड़ाई को उन्होंने हमेशा लड़ा । चौधरी नारायण सिंह जी उस पीढ़ी के व्यक्ति थे, जिस पीढ़ी का विश्वास नैतिक मूल्यों की राजनीति में है । आज उस पीढ़ी में से एक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एक करके लोग हमारे बीच में से उठते चले जा रहे हैं । ऐसे व्यक्तियों के उठने से राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में रिक्तता और गहरा शून्य पैदा होता चला जा रहा है । आज के युग में जबकि राजनीति में धीरे-धीरे नैतिक मूल्यों का ह्रास होता चला जा रहा है, इस प्रकार के लोगों का हमारे बीच से उठ जाना हमारे लिये बहुत दुख का विषय है। मान्यवर, भिन्न-भिन्न राजनीतिक पदों पर, प्रशासनिक पदों पर और दलों में भिन्न-भिन्न पदों का दायित्व उन्होंने निभाया और जहां-जहां जिस-जिस पद पर रहे वहां अपनी कर्तव्य पराणता, निष्ठा और ईमानदारी से उन्होंने काम किया और एक मिसाल कायम की । आज ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में नहीं है । उनके न होने से हमें बहुत आघात लगा है । मैं निवेदन करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी और हमारे दल की शोक संवेदनायें पहुंचाने का कष्ट करें ।

*श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, स्वर्गीय नारायण सिंह के निधन के संबंध में जो विचार माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को और अपने दल को संबद्ध करता हूं । मान्यवर, चौधरी नारायण सिंह किसानों के प्रबल समर्थक और नेता थे । उनके निधन से प्रदेश की राजनीति को गहरा धक्का लगा है और खासतौर से किसानों की बहुत क्षति हुयी है । मान्यवर, इस मौके पर मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी और हमारे दल के संवेदनायें भिजवाने की कृपा करें ।

*श्री कौशिक रमा शंकर—

मान्यवर, चौधरी नारायण सिंह जी के निधन के मौके पर जो उद्गार माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के नेताओं ने व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । चौधरी नारायण सिंह के साथ मंत्रि-परिषद् में मुझे भी काम करने का मौका मिला । चौधरी नारायण सिंह जी की सौम्यता, सादगी, स्पष्टवादिता सर्वविदित थी । ऐसे नेता के हम लोगों के बीच से उठ जाने के कारण देश और प्रदेश को बहुत क्षति हुई है । मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजली अर्पित करते हुये आपसे निवेदन करूंगा कि उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी और हमारे दल की संवेदनायें भेजने की कृपा करें ।

*श्री राज किशोर सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य और उप मुख्य मंत्री चौधरी नारायण सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे । यह बहुत ही दुखद घटना है । उनके निधन से उत्तर प्रदेश में हमने एक समाज सेवक, कुशल राजनीतिक खो दिया है । उनकी सेवाओं को हम नहीं भूल सकते । उनके निधन से उत्तर प्रदेश की अपूर्णनीय क्षति हुई है । उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती । माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और अन्य विरोधी दलों के नेताओं के संबंध में अपनी भावनायें व्यक्त की हैं मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं और उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । आपसे प्रार्थना है कि मेरे तथा मेरे दल की ओर से उनके शोक संतप्त परिवार तक संवेदना का संदेश भेजने की कृपा करें ।

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, माननीय नारायण सिंह जी के निधन पर जो उद्गार माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल व अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं, उनमें से अपने को और निर्दलीय विधायक समुदाय को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है सदन में उस समय बैठने का अवसर प्राप्त हुआ जिस समय इस सदन में वह उप मुख्य मंत्री के रूप में बैठते थे । उनका सोच, उनका जीवन देख करके मैं स्वयं प्रभावित रहा और आज जब उनके निधन पर सोचता हूं तो वह दिन याद आ जाते हैं । मान्यवर, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने जो मूल्य कायम किये वह मूल्य हमारे इस प्रदेश में आगे आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा प्रदान करेगी । इन शब्दों के साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी ओर से भी श्रद्धांजलि के पुष्प उनके शोक-संतप्त परिवार तक, उनके शुभचिन्तकों तक भेजने की कृपा करें ।

***श्री फजलुल बारी—**

मान्यवर, एक शरीफ, बेमिसाल शख्सियत का इन्सान चौधरी नारायण सिंह की शक्ल में इस सदन में हुआ करता था । उनके निधन पर माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने जिन ख्यालात का इजहार किया है, उनसे अपने को जोड़ते हुए मेरी ख्वाहिश है कि उस शोक जालूदा खानदान तक हमारे और हमारे दल की ताजियत का पैगाम भिजवा दें ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नारायण सिंह जी, हमारे बीच में नहीं रहे, यह बड़ी दुखद घटना है । आप सबने जो अपने विचार व्यक्त किये, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं और आपकी संवेदनाएं उनके परिवार तक पहुंचायेंगे । मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आइये 2 मिनट मौन खड़े होकर अपनी श्रद्धांजलि उनके प्रति अर्पित करें ।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट के लिए मौन खड़े हुए ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आपने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, वह आपकी सूचना 300 के अन्तर्गत नहीं है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठें, नेता विरोधी दल खड़े हैं ।

मंत्रीपरिषद् से त्याग-पत्र देने वाले तीनों मंत्रियों से स्पष्टीकरण दिलाये जाने की मांग

***नेता** विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)—

मान्यवर, आपके माध्यम से अनुरोध है कि आज हमारे सदन में सूखे पर चर्चा होनी है और मैं समझता हूं कि इतना महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें सदन के सत्तापक्ष और

---

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विरोधी पक्ष दोनों ही पक्षों के लोग उसमें रुचि रखते हैं । आज सारा प्रदेश उस सूखे की वजह से परेशान है और सरकार की आये दिन नित्यप्रति की घोषणाएं कि कोई उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं की जायेगी लेकिन उत्पीड़न की कार्यवाही बराबर अपनी जगह पर बरकरार है, लोग बन्द किये जा रहे हैं और नीलामी हो रही है, उनके ट्रैक्टर नीलाम हो रहे हैं, जमीन नीलाम हो रही है । मैं चाहता हूं कि सदन बड़ी शालीनता के साथ में चले ताकि प्रत्येक सदस्य चर्चा में भाग ले सके । मान्यवर, मैं इतनी व्यवस्था चाहता हूं कि नियम 276 के तहत जो आज उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के सदस्यों ने इस्तीफा दिया, उन इस्तीफों के विषय में आज एक भ्रम पैदा हो गया है सारे उत्तर प्रदेश के अन्दर । मान्यवर, मंत्रिगणों का कहना है कि हमने इस्तीफा दिया है । उन्होंने कहा है कि यह वर्तमान सरकार किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर पा रही है, भ्रष्टाचार के आरोप में लगे हैं । दूसरी ओर मुख्यमंत्री का कहना है कि जो लोग नाकाबिल थे, हमने उनको निष्कासित किया है । मान्यवर, आज सारे प्रदेश के अन्दर एक अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है और मैं समझता हूं कि यह एक मुख्य परिस्थिति है । इस समय पर जितने माननीय कांग्रेस विधान मण्डल के लोग सत्ता में हैं मान्यवर, मुख्यमंत्री जी का कहना था । मान्यवर, हम इनके दल के बारे में कोई बात नहीं कहना चाहते । आज प्रश्न उत्तर प्रदेश की सरकार का है । अनेक विधायक ऐसे हैं, जो सरकार का समर्थन नहीं करते । मैं केवल इतनी व्यवस्था चाहता हूं कि आज की परिस्थितियों के अन्तर्गत जिनके चलते सरकार को एक क्षण भी कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है, मैं चाहता हूं कि जिन सदस्यों ने नियम 276 के अन्तर्गत लिखकर दिया है, उनके वक्तव्य आ जाने चाहियें । जिससे स्पष्ट हो सके कि इनके इस्तीफे हुये हैं या निष्कासन किया गया है । आप कह सकते हैं कि एक दिन पूर्व की सूचना होनी चाहिये । इसी सदन में जब आरिफ मोहम्मद मंत्री थे । जब उन्होंने इस्तीफा दिया था । बनारसीदास जी वहां बैठते थे । उसी दिन उनका वक्तव्य दिलाया गया था । सत्ता पक्ष के सदस्यों का इन पर विश्वास नहीं रह गया है । उन सदस्यों का वक्तव्य दिलाने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष—

आपकी व्यवस्था क्या है ? राम शरण दास जी, इन्होंने व्यवस्था की बात की है, आप बैठें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैंने लिखकर दिया था । मेरा नाम लिया है क्या ?

श्री राम शरण दास—

हम लोग भी 52 आदमी हैं । हमें भी मौका दीजिये ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने लिखित रूप से आपको निवेदन किया था । नियम 276 के अन्तर्गत आपकी व्यवस्था चाहता हूं । आज समाचार पत्रों के माध्यम से तथा व्यक्तिगत तौर पर भी जानकारी मिली कि उत्तर प्रदेश सरकार के तीन मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया । . . .

श्री अध्यक्ष—

यह तो वही बात कह रहे हैं, जो उन्होंने उठाई ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

आप सुन लें हमारी बात । मैंने जो लिख कर दिया है । मंत्रियों को अधिकार है कि वह अपना वक्तव्य दे सकें । मुझे जानकारी मिली है कि बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस सदस्यों ने इस्तीफे दिये हैं । सरकार अल्पमत में है । यह पता नहीं कि शाम तक कौन मंत्री त्याग-पत्र देगा । कौन मंत्री बरखास्त किया जायेगा । सरकारी अधिकारियों के मन में शंका है कि आज आदेश आये हैं, शाम तक कोई और आदेश किसी मंत्री के आ जायेंगे । ऐसी स्थिति में आदेशों का कार्यान्वयन नहीं हो रहा है । नियमों के अधीन जो मंत्री त्याग-पत्र देता है, वह अपना वक्तव्य दे सकता है । इसी समय मैं यह क्यों उठा रहा हूं । मान्यवर, 276(2) में व्यवस्था है कि प्रश्नोत्तर काल और दिन की कार्यवाही प्रारम्भ होने के बीच में वक्तव्य दिये जायेंगे । इस समय प्रश्नोत्तर काल समाप्त हो चुका है और दिन की अगली कार्यवाही प्रारम्भ होने जा रही है । मान्यवर, यही उपयुक्त समय है । मेरी मांग है कि जिन मंत्रियों ने त्याग-पत्र दिये हैं, उनके वक्तव्य आने के लिये अनुमति प्रदान करने की कृपा करें ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय नेता विरोधी दल ने तथा माननीय राजेन्द्र जी ने बड़ी उत्सुकता दिखाई और उन लोगों के लिये वकालत की । उत्तर प्रदेश की सरकार बहुमत में है, यह आपस का मामला है । बराबर त्याग-पत्र हुआ करते हैं, आन्ध्रा में हुआ, कर्नाटक में हुआ । इनको कोई अधिकार नहीं है इस तरह की बात करने का । अगर आप 276 में देखें, तो प्राविधानित है कि कोई मंत्री अपना वक्तव्य दे सकता है और अगर 24 घंटे पहले लिखित सूचना दे दी गयी है और उसकी कापी नेता सदन को दी गयी हो । अधिकार मंत्रियों का है, जिसने इस्तीफा दिया है । माननीय नेता विरोधी दल और माननीय राजेन्द्र जी को उनकी वकालत करने की कोई आवश्यकता नहीं है । और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, वह राजीव जी के मार्ग-दर्शन में और वीर बहादुर सिंह जी के नेतृत्व में पूरी तरह से आस्था रखती है और जितने इसके 268 मेम्बर्स हैं, वह सब एक दीवार की तरह मजबूत है । इनमें किसी भी प्रकार का कोई विघटन नहीं है । यह जो आरोप लगाये हैं, वह बिल्कुल निराधार हैं, सत्य से परे हैं और दिल को सिर्फ खुश करने वाले हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है । जिन माननीय मंत्रियों के बारे में कहा गया है, वह नियम 276 के अन्तर्गत जब चाहेंगे वक्तव्य दे सकेंगें । उनकी वकालत करने का किसी को यहां कोई अधिकार नहीं है । (घोर व्यवधान मेजों की थपथपाहट के साथ)

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है और आप मुझे समय नहीं दे रहे हैं ।
(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठें और नियम 276 के अन्तर्गत । (घोर व्यवधान)

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, कई हफ्ते हम लोगों को मान्यवर बाहर रख गया और आप हमको बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह कोई तरीका नहीं है, एक साथ कई माननीय सदस्य खड़े हैं व्यवस्था पर किसको-किसको सुना जाय कृपा करके-बैठे 276 के अन्तर्गत जो व्यवस्था है उसे मैं आपको सुनाना चाहता हूं । (घोर व्यवधान)

श्री राम शरण दास—

(घोर व्यवधान के बीच) मान्यवर, उधर जितने लोग (शासन पक्ष की ओर इशारा करते हुए) बैठे हुए हैं, सब बेशर्म हो गये हैं, 3 हफ्ते हम लोगों को बाहर रखा और मान्यवर, आप हमारी बात सुन नहीं रहे हैं ।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, यह (माननीय राम शरण दास) बहुत देर से खड़े हैं, अपनी बात कुछ कहने के लिए, इन्हें कृपया सुन लीजिये । (व्यवधान)

श्री हरदेव—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि आज सूखे की चर्चा निर्धारित है और यह लोग रोज यहां पर किसान और जनता के हितों की चर्चा बहुत करते हैं, लेकिन आज जब सूखे की चर्चा का दिन है, तो अपने समय को स्वयं ही नष्ट कर रहे हैं । (व्यवधान) ।

औचित्य के प्रश्न तथा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 300 तथा नियम 56 के अन्तर्गत जितनी भी सूचनाएं आयी हैं, सबको मैं अस्वीकार करता हूं और अब मैं सदन को 2.45 तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(इस समय 12 बजकर 47 मिनट पर सदन की कार्यवाही 2 बजकर 45 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी गयी । भोजनावकाश के उपरान्त सदन की कार्यवाही 2 बजकर 45 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री उपाध्यक्ष—

बैठिये, बैठिये, बैठिये ।

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष—

राम शरण दास जी, अभी व्यवस्था का प्रश्न सुनूंगा, पहले एक सूचना दे दूं ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—

विधान सभा की कार्य मन्त्रणा समिति ने अपनी दिनांक 21-7-87 की बैठक में सदन के दिनांक 21-7-87 के कार्यक्रम के सम्बन्ध में यह सिफारिश की है कि संगत नियमों को निलम्बित करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1987 के पुरःस्थापन, विचार एवं उसके पारण की मदें आज की कार्य-सूची की मद संख्या 12 बजे के बाद ले ली जायं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री उपाध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है ।"

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री उपाध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान)

नियमों को निलम्बित करके सदस्यों की उपलब्धियों के सम्बन्ध में लाये गये विधेयक के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, मैं इसका विरोध करता हूं ।

(घोर व्यवधान)

सारी नैतिकता को ताक पर रख दिया गया है और सारे नियमों को ताक पर रख दिया गया है ।

(घोर व्यवधान)

मान्यवर, जो आपने आज नियमों को निलम्बित करके इस विषय को कार्यसूची में सम्मिलित किया है, जिसमें विधायकों के वेतन-भत्ते और सुविधाएं बढ़ाने की बात कही गयी है, हमें इस पर आपत्ति है । एक तो अभी तक हमारे पास उस बिल की कोई प्रति नहीं है । यह एक ऐसा बिल लाया जा रहा है जिससे कि इस प्रदेश की भूखी नंगी जनता के साथ अन्याय होने जा रहा है ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

कल्यान सिंह जी, आप क्या कहना चाहते हैं ।

श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, आपने नियमों को निलम्बित करके ऐसी चीज पारित कराई है, जिसका हम विरोध करना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह माननीय संसदीय कार्य मंत्री का प्रस्ताव है, पारित अभी कुछ नहीं हुआ है । एजेंडा बंटवा दिया जाय ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, आप सुन लें, आप मना करेंगे, मैं बैठ जाऊंगा । मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जिस समय कार्य मंत्रणा समिति का प्रस्ताव मा0 संसदीय कार्य मंत्री यहां पर पढ़ रहे थे या कार्य मंत्रणा समिति के प्रस्ताव से आपको अवगत करा रहे थे, उसके बाद प्रश्न उपस्थित होना था, जिस समय यह प्रस्ताव आया, इस पर मेरे सहित अनेक मा0 सदस्य आपत्ति प्रकट करना चाहते थे, लेकिन आपको पकड़ न सके । मान्यवर, मेरी विधिक आपत्ति यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों का विरोध चाहे न किया जाता हो, लेकन कार्य मंत्रणा समिति के प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिये वापस किया जा सकता है । मान्यवर, इस पर हमें आपत्ति थी, हमारे नेता मा0 कल्यान सिंह जी आपत्ति के लिये खड़े हुये थे । यह एक संवेदनशील और नाजुक मामला है । जब तक इस पर पूरी जानकारी न मिल जाय, बीच में इस प्रकार का बजट प्रस्तुत करना संसदीय परिपाटी की अवहेलना और अवमानना है । मान्यवर, मैं अन्तिम बात कहना चाहता हूं कि सत्तारूढ़ दल अपनी आपसी गुटबन्दी छिपाने के लिये इस बिल को ला रहा है । यह जो विधेयक लाया गया है, मैं इसका विरोध करता हूं ।

(कई माननीय सदस्यों के साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

कार्य मंत्रणा समिति में सभी दल के लोग नहीं थे ।

श्री उपाध्यक्ष—

कार्य मंत्रणा समिति में पार्टी के सभी लोग थे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

हम चाहते हैं कि कार्य मंत्रणा समिति अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे, यह मेरी आपसे प्रार्थना है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, सरकार की नीयत साफ जाहिर है अगर मान्यवर शासन की नीयत के मुताबिक आप चलते हैं या सदन को चलाते हैं तो इससे सदन की गरिमा गिर रही है । मैं आपसे संरक्षण क मांग करता हूं । यह सरकार अर्थात् माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी आपसी कलह को छिपाने के लिये तथा उस पर पर्दा डालने के लिये, जो पहले से कार्यक्रम निर्धारित है, उसको भी बदलकर, यह उपलब्धियों वाला विधेयक इस समय ला रहे हैं । आज प्रदेश की भूखी जनता क्या कहेगी कि विधायक अपने बेहतर भत्तों के लिए यह सब कर रहे हैं । आज प्रदेश की जनता को भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है और उस सबके बाद आप जो विधेयक ला रहे हैं, उस विधेयक को लाने का मैं विरोध करता हूं और जो कार्य मंत्रणा समिति का कार्यक्रम बदलकर जो प्रस्ताव लाने का प्रस्ताव किया गया है, उस पर पुर्नविचार की मांग करता हूं ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, परिपाटी जो यहां की है उसको यह कुचले डाल रहे हैं । श्रीमन्, निवेदन हमारा यह है कि यह सदन सारी जनतांत्रिक परम्पराओं को तोड़ते हुये चलाया जा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रहा है । नियम 56 के अन्तर्गत जिसमें कार्य-स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत होता है, वह बात तो वहीं की वहीं रह गयी । हम लोगों की जुबान को बन्द करने के लिए हमको रिश्वत दी जा रही है । मूल प्रश्न से हटने के लिये हम तैयार नहीं है । मूल प्रश्न यह है कि यह सरकार प्रदेश को भ्रष्टाचार के गर्त में डुबो रही है । आज माननीय विधायकों को भी यह सरकार भ्रष्टाचारी बना रही है । आज कांग्रेस के अन्दर क्या हो रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है ?

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि मूल प्रश्न से हटने का क्या कारण है इनके ही दल के लोगों का इस सरकार से विश्वास उठ गया है । आज सरकार नाम की कोई चीज नहीं है इस प्रदेश में ।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी, आप अपनी बात कहें ।

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । जो माननीय सदस्य इसके खिलाफ बोलना चाहें तो घोषणा कर दें कि हम इसे नहीं लेंगे ।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, मंत्री लोग ऐसा कहें तो उन्हें यह शोभा नहीं देता । इससे ज्यादा बेशर्मी व बेहयायी की और कोई दूसरी मिसाल नहीं हो सकती है । आज पूरे प्रदेश में सूखा पड़ा हुआ है, किसान व हर वर्ग का आदमी परेशान है और हम लोग यहां पर अपनी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं । आज इनकी पार्टी के अन्दर झगड़ा है और विधायकों को रिश्वत देकर ये लोग उनका मुंह बन्द करना चाहते हैं । हमने इसकी मांग नहीं की थी ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो कार्य मंत्रणा समिति का प्रस्ताव है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

बजट तो आपने पास करा लिया, लेकिन इसके लिए आप नियम ला रहे हैं । मेरा तो यहां तक कहना है कि इस मामले पर आपको यहां पर नहीं आना चाहिए था । आज पूरे प्रदेश में सूखा पड़ा है ।

*श्री मित्रसेन—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप इस कुर्सी पर बैठकर ऐसी परम्परा डाल रहे हैं, जिसकी उम्मीद आपसे नहीं की जा सकती थी । जैसा कि हमारे नियमों में प्राविधान है कि 36 घण्टे पहले इसकी सूचना आनी चाहिए थी । दूसरा, यह भी नहीं कहा गया कि सारे नियमों को निलम्बित किया जाता है । मंत्री जी तो निवेदन कर रहे हैं कि जो नहीं लेना चाहते हैं, वह न लें । मैं न इनको देना चाहता हूं और न लेना चाहता हूं । आज

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गांवों में सूखा पड़ा है और बिजली की समस्या हो रही है । इस समय सूखे की समस्या प्रदेश में व्यापक है । हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं तो क्षेत्रीय जनता शिकायत करती है, वीर बहादुर सिंह के दल के अन्दर जो दरार है, वह तो है ही ।

(घोर व्यवधान)

श्री राज किशोर सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ने रखा है यह जो कार्य मन्त्रणा समिति की सिफारिश रखी गयी है कि विधायकों की तनख्वाह बढ़ जाय, इसका मैं विरोध करता हूं ।

(घोर व्यवधान)

श्री मुईद अहमद—

कार्य मन्त्रणा समिति में खुद तय किया है और यहां विरोध कर रहे हैं ।

(घोर व्यवधान)

*श्री कौशिक रमाशंकर—

जहां तक कार्य मन्त्रणा समिति के फैसले का प्रश्न है, कार्यमन्त्रणा समिति का फैसला जहां तक है वह तो यही है कि इस बिल को लाया जा सकता है लेकिन जहां तक इसका विरोध करने का प्रश्न है, इसका विरोध किया जा सकता है ।

(घोर व्यवधान)

दूसरी बात यह कि माननीय तिवारी जी ने जो बात कही, मैं कहना चाहता हूं कि उपलब्धियों का मोह और उपलब्धियों की सत्ता का मोह त्यागिए । इस उपलब्धियों की सत्ता को खत्म करना चाहिये । अगर आपको उपलब्धियों का मोह होगा तो उसका विरोध तो अपने आप होगा ही ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष—

कार्य मंत्रणा समिति की संस्तुति पर आपत्ति प्रकट नहीं की जा सकती ऐसी परम्परा रही है । जब समिति की संस्तुति सदन में स्वीकार कर ली गयी तो व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1987

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1987 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1987 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(विरोध पक्ष के अनेक माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने से घोर व्यवधान)

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)—

आज जिस विधेयक को माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में लाये हैं, आज के एजेण्डा में यह विषय नहीं था । आज जो महंगाई का जमाना है, उससे विधायक प्रभावित हैं, यह सही है, लेकिन उससे भी ज्यादा उत्तर प्रदेश की जनता प्रभावित है, माननीय मुख्य मंत्री जी कोई राहत नहीं दे पा रहे हैं । जिस तरह से यह विधेयक लाया गया है, यह जनता के साथ विश्वासघात है । जो भी सहूलियतें दी जा रही हैं, वह गलत है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री, जो इस विधेयक को लाये हैं जो कि जनता का विरोधी है, इसके विरोध स्वरूप मैं और मेरा दल सदन का त्याग करते हैं ।

(नेता विरोधी दल अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1987 को पुर:स्थापित करता हूं ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1987 पर विचार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1987 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(व्यवधान)

श्री कल्यान सिंह—

इस प्रदेश की जनता गरीबी में पिस रही है, सूखे की समस्या सामने पड़ी हुई है उस पर विचार न करके आप इस समय सदस्यों की उपलब्धियों के बारे में विधेयक लाये हैं, मैं इसके विरोध में अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री कल्यान सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

खण्ड 2 से 6, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1987

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1987 कहा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 3 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, उप धारा (1) में शब्द "पांच सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "आठ सौ पचास रुपये" रख दिये जायेंगे ।

धारा 4 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 4 में, शब्द "एक हजार छः सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "दो हजार छः सौ रुपये" रख दिये जायेंगे ।

धारा 5 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 5 में—

(क) शब्द "पच्चीस हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "पैंतीस हजार रुपये" रख दिये जायेंगे और दिनांक 1 जून, 1986 से रखे गये समझे जायेंगे ;

(ख) इस प्रकार संशोधित धारा में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्—

"परन्तु किसी सदस्य को इस धारा के अधीन दिये जाने वाले रेल कूपनों में से उसके विकल्प पर उतने मूल्य के रेल कूपन के बजाय, जितने वह चाहे समान मूल्य के कूपन, ऐसे सिद्धांतों के अनुसार जो विहित किये जायं, उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर किसी समय वायुयान द्वारा यात्रा के लिए उसे दिये जायेंगे ।"

धारा 15 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 15 में, शब्द "साठ रुपये" के स्थान पर शब्द "पचासी रुपये" रख दिये जायेंगे ।

धारा 18-क का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 18-क में खण्ड (क) में शब्द "चार सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "छः सौ रुपये" रख दिये जायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 6, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1987 पारित किया जाय ।

(व्यवधान)

श्री कौशिक रमाशंकर—

मैं और मेरा दल इसके विरोध में सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री कौशिक रमाशंकर अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री फजलुल बारी—

मैं भी अपने दल के साथ इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री फजलुल बारी अपने दल के साथ सदन को त्याग करके चले गये ।)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मैं भी अपने दल के साथ इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा अपने दल के साथ सदन का त्याग करके चले गये ।)

(श्री राम शरण दास भी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

(श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री मित्रसेन भी सदन त्याग कर चले गये । कतिपय निर्दलीय सदस्य भी सदन से उठकर चले गये ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अभी जो प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसे पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश पत्रकार कल्याण और पेंशन निधि विधेयक, 1985 को सदन की प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने तथा समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बढ़ा दिये जाने का प्रस्ताव

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

मान्यवर, चूंकि उत्तर प्रदेश पत्रकार कल्याण और पेंशन निधि विधेयक, 1985 को सदन के दिनांक 5 सितम्बर, 1985 के निश्चयानुसार इस निदेश के साथ सदन की एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया था कि वह अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम दिन प्रस्तुत करे और समिति द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत न कर सकने के कारण विधान सभा के दिनांक 6 फरवरी, 1986 और पुनः 1 सितम्बर, 1986 के निश्चयानुसार उक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का बढ़ाया गया समय अब विधान सभा के वर्तमान बजट सत्र के अन्तिम दिन तक है ;

और चूंकि समिति उक्त बढ़ायी गयी अवधि में भी अपना प्रतिवेदन तैयार नहीं कर सकेगी;

अतएव, यह सदन निदेश देता है कि उक्त प्रवर समिति को उसके द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय सदन के आगामी सत्र के अन्तिम दिन तक के लिये बढ़ा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसे यह सदन स्वीकार करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

जनपद बलिया में छात्र-छात्राओं को शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश नीति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 301 के अन्तर्गत आज 20 सूचनायें प्राप्त हुई हैं उक्त सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी जायेंगी ।

श्री शारदा नन्द अंचल—

[मान्यवर, आपके माध्यम से अत्यंत लोकमहत्व का मामला माननीय सदन व सरकार के संज्ञान में लाकर अविलम्ब समाधान की मांग करता हूं । मान्यवर, यों तो सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में जू0 हा0 स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा स्तर तक छात्र-छात्राओं को प्रवेश की समस्या खतरनाक रूप ले चुका है लेकिन बलिया जनपद के विद्यालयों में प्रवेश की समस्या छात्र विद्रोह को निमंत्रण देने लगी है । प्रदेश के लिए टेस्ट के नाम पर गरीब हरिजन व पिछड़ी जातियों के छात्र-छात्राओं को प्रवेश से वंचित करने का षडयंत्र चल रहा है । प्रवेश के नाम पर प्रवेश के अधिकारी गुरूजन अपनी गरिमा को ताख पर रखकर अपने शिष्यों से सौदे-बाजी करने में लगे हैं । ऐसी स्थिति में छात्र-छात्राओं एवं उनके अभिभावकों सहित देश भक्तों में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है । यदि इस प्रवेश की भीषण समस्या का समाधान तत्काल नहीं कराया जाता तो अब छात्र बर्दाश्त नहीं करेंगे और किसी भी प्रकार कभी भी आन्दोलन प्रारम्भ कर देंगे जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी शासन पर होगी ।

अस्तु इस लोक महत्व के मामले को आपके माध्यम से माननीय सदन व सरकार को संज्ञान में लाकर अविलम्ब समाधान की मांग करता हूं ।]

फिरोजाबाद, आगरा के ग्रामीण अंचलों में पेयजल संकट होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

[मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि दिनांक 10 जुलाई, 1987 को फिरोजाबाद के ग्राम नगणाबिना, मौजा बसई मोहम्मदपुर के ग्रामीण पेयजल के संकट से पीड़ित पुराने कुएं की सफाई कर पीने का पानी निकालने को कुएं में नीचे श्री लालाराम आयु 35 वर्ष और श्री हरे लाल खुदाई कर रहे थे कि अचानक ही ऊपर से ढाह गिर पड़ी जिससे उपरोक्त दोनों व्यक्ति दब गये और घटना स्थान पर ही मौत हुयी । फायर ब्रिगेड की मदद से शव निकाले जा सके ।

श्री लालाराम नाई भूमिहीन मजदूर है उसके बच्चे भूख और प्यास से तड़प रहे हैं यही हाल हरेलाल के बच्चों का है ।

अस्तु माननीय सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि उक्त ग्राम में तुरन्त 4 हैण्डपम्प लगाने और मृत परिवार जनों को 10,000 (दस-दस हजार) रुपया की सहायता की मांग करता हूं ताकि गरीबों की भूख प्यास मिट सके ।]

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

नगरपालिका सम्भल, मुरादाबाद में जल प्रदूषण होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

[मान्यवर, काफी समय से नगरपालिका सम्भल, जिला मुरादाबाद के पीने के पानी की टंकी में कीड़े इत्यादि आ रहे हैं । जिसके कारण बीमारियां फैल रही है और भी बड़े पैमाने पर बीमारियों के फैलने की सम्भावना है । शहर के नाले और नालियों में बहुत ही गन्दगी फैली हुयी है तथा सड़कें बहुत ही खराब स्थिति में हैं । जल संस्थान के कर्मचारियों ने पाइप लाइन की साइडों पर मेनहोल बना रखे हैं । जिसमें गिरकर एक बच्चे की जान भी जा चुकी है । सम्भल के पानी की जांच भी लखनऊ से करायी जा चुकी है और यह स्पष्ट हो चुका है कि पानी प्रदूषित है, सम्भल के मुहल्ले सरायतरीन, हयातनगर जिनकी जनसंख्या लगभग पचास हजार है अभी तक पानी की सप्लाई से वन्चित है तथा पूरे शहर में भी पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है । जल संस्थान के कर्मचारी इन समस्याओं के बावजूद भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं । इस लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से मांग करता हूं कि इस मामले की अविलम्ब जांच कराई जाये । दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिया जाये और उपरोक्त समस्याओं का तुरन्त समाधान किया जाये ।]

आजमगढ़ में ताल रतोय के बरसाती पानी के निकास की समस्या के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विष्णुदेव—

[मान्यवर, जनपद आजमगढ़ के ताल रतोय के बरसाती पानी के निकासी के संबंध में शासन द्वारा निश्चित आश्वासन के बावजूद कार्यवाही न होने से सैकड़ों ग्रामों के किसानों में भयंकर असंतोष से उत्पन्न स्थिति को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । ताल रतोय के चारों किनारे के सैकड़ों ग्रामों के किसान करीब 3,000 एकड़ भूमि में बोरों धान की खेती करते हैं । इधर कुछ वर्षों से हाहा नाले पर रेगूलेटर हो जाने व समय पर फाटक न खुलने तथा रेगूलेटर की पास की भूमि मिट्टी से पट जाने के कारण बरसाती पानी का निकास पूर्व की भांति नहीं हो पाता है और ताल रतोय के किनारे बसे हजारों परिवारों की खेती बरबाद हो जाती है । पानी जमा रहने से सड़ जाने के कारण चरने वाले पशु भी मर जाते हैं । गत 12 फरवरी, 1986 को विधान सभा में मेरे तारांकित प्रश्न संख्या-3 के संबंध में श्री रघुवर दयाल वर्मा द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्न के उत्तर में माननीय सिंचाई राज्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि मान्यवर, वर्षा ऋतु के पहले हम उसे साफ करा देंगे । परन्तु इस आश्वासन के बावजूद एक बरसात बीत गयी दूसरी हो रही है । अब तक जल निकासी के लिए खुदाई न होने से प्रभावी उक्त हजारों परिवारों में व्यापक असन्तोष पैदा हो गया है । अधिकांश परिवारों में भुखमरी की स्थिति पैदा होने जा रही है ।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर जल निकासी हेतु तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

खलीलाबाद, बस्ती में बखिरा झील के पानी की निकासी के लिए तत्काल व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राज किशोर सिंह—

[मान्यवर, बस्ती जनपद अन्तर्गत खलीलाबाद कस्बे में उत्तर बखीरा नामक बहुत बड़ी व लम्बी-चौड़ी झील स्थित है । झील के किनारे-किनारे लगभग एक हजार हेक्टेयर

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

भूमि पर लम्बे काल से पचासों गांव के किसान खेती करके बोरों धान लगा कर जीविकोपार्जन करते आ रहे थे किन्तु स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही से झील के पानी निकासी का मार्ग अवरुद्ध हो गया है जिससे झील के किनारे भी कृषि की उपजाऊ भूमि पानी में डूब जाती है और किसान खेती करने से वंचित हो जाते है । सैकड़ों परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गये है ।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाकर वखीरा झील से पानी के निकासी के लिए तत्काल व्यवस्था करने के लिए शासन से मांग करता हूं ।]

महिला चिकित्सालय, अछनेरा, आगरा में व्याप्त भ्रष्टाचार होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बदन सिंह—

[मान्यवर, महिला चिकित्सालय, अछनेरा, आगरा में गत दो वर्षों से कोई महिला डाक्टर नहीं है । वहां प्रसव में काम आने वाले सभी उपकरणों को जंग खा रही है । मरीजों के लिए पलंग, दवा, पानी, प्रकाश, सफाई आदि की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है । गत माह में सैकड़ों औरतें प्रसव पीड़ा से बिलबिलाती हुयी वहां से बिला इलाज वापस लौटी है । दर्जनों मरी है । अभी एक सप्ताह पूर्व सांधन ग्राम के मेम्मर सिंह की पत्नी कमला देवी ने प्रसव पीड़ा में एक शिशु को जन्म दिया जो तत्काल मर गया । मौजूदा दाइयों ने जब उसकी कोई देख-रेख नहीं की तो उसके परिवारी जन उसे भरतपुर ले गये जहां दूसरा बच्चा उसके पेट में ही मर गया और कमला देवी की भी जीवन लीला समाप्त हो गयी । वहां की इस घोर दुर्व्यवस्था से महिलायें और शिशुओं की लगातार मृत्यु हो रही है और जिला प्रशासन, आगरा इस दुर्व्यवस्था को मूक व निष्क्रय होकर देख रहा है । वहां की जनता में घोर असंतोष व क्षोभ व्याप्त है ।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय को शासन के संज्ञान में लाकर महिला चिकित्सालय, अछनेरा की मौजूदा दुर्व्यवस्था को दूर करने की मांग करता हूं]

गाजियाबाद में आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने हेतु दान में दी गयी भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कनक सिंह—

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निम्नलिखित विषय की सूचना देता हूं :—

श्री कालीचरण पौराणिक पुत्र श्री गुलजारी लाल, मोहल्ला ठाकुर द्वारा गढ़ मुक्तश्वर जनपद गाजियाबाद ने अपनी 800 वर्ग गज भूमि जिसमें चार दुकानें तथा टीन शेड बने है सरकार को 25 शैय्याओं का आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने हेतु दान करके उस पर 31 अक्तूबर, 1980 को कब्जा दिला दिया गया था परन्तु 7 साल बीत जाने पर उस भूमि पर सरकार द्वारा अस्पताल बनाने की कोई कार्यवाही न करने के कारण उस पर असामाजिक तत्वों द्वारा नाजायज कब्जा करना शुरू कर दिया है । एक अच्छे उद्देश्य के लिए सरकार को दी गई भूमि पर अस्पताल न खोलने से लाखों लोगों द्वारा स्वास्थ्य लाभ करने से वंचित हो गये है । लाखों रुपये की भूमि का अपहरण सरकारी

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अधिकारियों की लापरवाही से हो रहा है । अतएव मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस स्थान पर तुरन्त अस्पताल बनाने की कार्यवाही की जाय ।]

मेरठ जनपद में सूखे से प्रभावित लोगों को राहत दिलाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भोपाल सिंह—

[मान्यवर, मेरठ जनपद में वर्षा न होने के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गयी है । मेरे चुनाव क्षेत्र बरनावा में कृषि की फसलें नष्ट हो गयी हैं । वहां पर भू-जलस्तर 85 फुट तक पहुंच गया है । अतः क्षेत्र में शतप्रतिशत हैण्डपम्पों ने पानी देना बन्द कर दिया है । कुंओं का पानी सूख गया है । पेयजल समस्या के कारण पीने के पानी का संकट उत्पन्न हो गया है । मेरठ में साम्प्रदायिक दंगों के कारण देहात के लोग मेरठ में दैनिक मजदूरी करने आते थे, पिछले चार माह से समाप्त हो गयी है । परिणामस्वरूप मेरे क्षेत्र में भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है । क्षेत्र बरनावा मरुस्थल बनता जा रहा है । क्षेत्र के लोगों में जीवन बचाने की व अपने पशुओं का जीवन बचाने की हिंसा व्याप्त है ।

अतः शासन से अनुरोध है कि इस ओर तत्काल ध्यान देकर लोगों का जीवन बचाने हेतु सभी वसूली माफ की जाय, बैंकों के कर्जे माफ किये जायं । पीने के पानी की व्यवस्था की जाय । लगान माफ किया जाय । भूमिहीन मजदूरों को गाड़ियां देने के लिए दैनिक मजदूरी पर सड़कें बनवायी जायं तथा बिनौली ब्लाक में जहां गम्भीर संकट है प्रति एक गांव निकाय के लोगों को भोजन, कपड़ा व चिकित्सा की निःशुल्क व्यवस्था की जाय । जलस्तर ऊंचा लाने के लिए नहर जल्दी खुदवाई जाय ताकि कोई दुर्घटना न हो सके ।

कृपया तत्काल इस ओर शासन का ध्यान दिलाया जाय ।]

विकास खण्ड लोनी, गाजियाबाद की ग्राम सभाओं की भूमि पर अनधिकृत कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रिछपाल सिंह बंसल—

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन एवं शासन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

मान्यवर, मेरा चुनाव क्षेत्र खेकड़ा, मेरठ जो दो जनपदों में पड़ता है जिला गाजियाबाद के विकास खण्ड, लोनी में परगना अधिकारी गाजियाबाद व तहसीलदार गाजियाबाद एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारियों ने व पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सांठ-गांठ करके आस-पास के लोगों को व क्षेत्र से बाहर के गरीब लोगों को प्लाटों का लालच देकर उनकी नसबन्दी करा दी गई है तथा उन्हें ग्राम सभा पमोण्डा, मौपुरा, वेहटा, हाजीपुर, बन्यला, धनोटी खुर्द, सदल्लाबाद, पावीसादिकपुर व लोनी कस्बा में अनधिकृत रूप से बसा दिया गया है । इसके अलावा लोनी कस्बे में व उसके आस-पास पिछले चार सालों से लगातार धारा 144 लगाकर उसका दुरुपयोग किया जा रहा है और मनमाने तरीके से स्थानीय पुलिस प्रापर्टी डीलरों से मिलकर ग्राम सभाओं की जमीन पर अनधिकृत कब्जे करा रही है ।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं :

1—नसबन्दी कराए हुए लोगों के ग्राम प्रधानों से प्रस्ताव कराकर नियमित पट्टे दिए जायं ।

2—जांच कराकर उपरोक्त ग्राम सभाओं की जमीन पर से अनधिकृत कब्जे हटाए जायं ।]

प्राइमरी पाठशाला, कुचेरा, मिल्कीपुर, फैजाबाद के भवन तथा परिसर पर अनधिकृत कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवधेश प्रसाद—

[मान्यवर, जनपद फैजाबाद में विकास क्षेत्र मिल्कीपुर है । उसी के अन्तर्गत कुचेरा बाजार में प्राइमरी पाठशाला जो कि पिछड़े क्षेत्र में स्थापित है । जहां पर इस समय लगभग 1,000 छात्र शिक्षा पा रहे हैं । इसी स्कूल परिसर की भूमि पर कुछ प्रभावशाली लोगों ने अपने ही सगे सम्बन्धी अध्यापक को तथा कुछ शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मिलाकर लाखों रुपये की भूमि पर कब्जा कर लिया है । परिणामतः इस विद्यालय भवन में लगी हुई समस्त खिड़कियां और दरवाजे बरामदे अवरुद्ध हो गये हैं । कक्षाओं में रोशनी और हवा नहीं जा पा रही है । जिससे अंधेरा रहता है । विद्यालय के अध्यापकों को पढ़ाने तथा बच्चों को पढ़ने में बहुत बड़ी असुविधा उत्पन्न हो गयी है । विद्यालय खुल चुका है । इस समस्या को लेकर छात्र-छात्राओं और उनके अभिभावकों में शेष और क्षोभ व्याप्त है क्योंकि विभागीय अधिकारी अनधिकृत रूप से कब्जा हटाने में किंकर्तव्यविमूढ़ है ।

मान्यवर, इस गम्भीर अविलम्बनीय लोक महत्व को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से मांग करता हूं कि अवैध कब्जा तथा विद्यालय से अवरोध हटाया जाय तथा दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाय ।]

विकास खण्ड खैराबाद, सीतापुर के कर्मचारियों के आवास हेतु आवंटित भूमि पर विवाद होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[मान्यवर, खैराबाद, सीतापुर के ब्लाक भवन से मिली भूमि को ग्राम सभा मुलाहिमपुर ने प्रस्ताव कर कर्मचारियों के आवास बनाने हेतु ब्लाक को दिया । राजनीतिक दबाववश परगनाधिकारी ब्लाक के नाम भूमि का पट्टा नहीं कर रहे हैं । जिलाधिकारी, परगनाधिकारी ने ब्लाक अधिकारियों पर अनुचित दबाव डाला कि कार्यालय के पीछे स्थित प्रभावशाली भूतपूर्व तालुकेदार की भूमि से इस प्रस्तावित भूमि को बदल दिया जाय । ब्लाक को मिली भूमि मुख्य मार्ग स्थित है तथा तालुकेदार की भूमि सड़क से दूर भवन के पीछे है । बदले की भूमि पर कर्मचारी कालोनी असुरक्षित रहेगी । सार्वजनिक हित की कीमत पर एक व्यक्ति को अनुचित लाभ पहुंचाने का कुचक्र जिलाधिकारियों द्वारा रचा गया । ब्लाक को एक लाख रुपया भवन की चहारदीवारी हेतु मिला है । अधिकारी ब्लाक पर दबाव डाल रहे हैं कि तालुकेदार की भूमि को बदली भूमि मानकर चहारदीवारी बनावें । इससे जनता, कर्मचारी, ग्राम प्रधान बहुत असंतुष्ट हैं । परगनाधिकारी, ग्राम सभा द्वारा प्रदत्त भूमि का पट्टा ब्लाक के नाम तभी करेंगे जब वह बदलने के लिए राजी हो जायेंगे ।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः मांग है कि शासन भ्रष्टाचार, पद एवं सत्ता के दुरुपयोग के मामले में अवलम्ब हस्तक्षेप करें । सरकारी भूमि को निजी व्यक्ति के हाथों जाने से बचावें । दबाव डालने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करें ।]

प्रदेश में महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में छात्र संघों के चुनाव न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डाक्टर दिनेश जौहरी—

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अधिकांश महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में छात्र संघों के चुनाव गत वर्षों से नहीं हुए हैं । बरेली कालेज में तो यह चुनाव गत 8 वर्षों से नहीं हुए हैं छात्रों का आरोप है कि प्राचार्य व कुलपति उनके लोकतांत्रिक अधिकारों की अवहेलना कर जान-बूझकर चुनाव नहीं करा रहे हैं । वे हर वर्ष चुनाव किसी न किसी बहाने से टाल देते हैं । प्रजातंत्र में छात्र स्तर से ही स्वस्थ राजनीतिक प्रशिक्षण दिये जाने की वकालत शिक्षाविदों व विद्वानों ने समय-समय पर की है व छात्रों में राजनीति की शिक्षा राजनीतिक वातावरण को स्वच्छ बनाने में लाभप्रद सिद्ध हो सकती है ।

गत वर्ष से प्रदेश भर के छात्र छात्र संघों के चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं इस वर्ष सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व ही यह मांग जोर पकड़ रही है । छात्र कभी भी आन्दोलित हो सकते हैं । शिक्षण कार्य में अवरोध आ सकता है ।

अतः हमारी मांग है कि सभी विश्वविद्यालयों व कालेजों में छात्रसंघों के चुनाव कराये जायं ।]

भूमि संरक्षण विभाग, बस्ती द्वारा बरती गयी अनियमितता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

[मान्यवर, बस्ती जिले की बांसी तहसील के ग्राम निहठा में भूमि संरक्षण विभाग बस्ती द्वारा 1980-81 में भूमि को समतल करने तथा मेड़बन्दी का कार्य किया गया था । इस सम्बन्ध में ग्रामवासी काश्तकारों को फार्म 17 नहीं दिया गया था, जिसके कारण काश्तकारों को न तो इसकी सही जानकारी हो सकी, न ही वे आपत्ति ही कर सके । बाद में फार्म 17 वितरित करने का कागजी खानापूर्ति की गई और सात वर्ष बाद एक डिमान्ड लिस्ट बनाकर धन वसूली करने का कार्य तहसील बांसी को सौंप दिया गया है । काश्तकारों की शिकायत है कि डिमान्ड लिस्ट में उनका नाम दर्ज है, जिनके नाम से कोई जोत ही नहीं है ।' उनके भी नाम पर धन की मांग की गई है, जिनके जोत का समतलीकरण अथवा मेड़-बन्दी नहीं हुई है, इस समय जबकि ग्रामवासी सूखे से परेशान हैं, यह वसूली उनके घाव पर नमक डालने का कार्य कर रही है । काश्तकारों की शिकायत पर भूमि संरक्षण अधिकारी, बस्ती का बांसी तहसील के अमीन को लिखा 13-7-87 का निर्देश है "कि वसूली का मूल कागज इस कार्यालय को प्रेषित करें, इसके उपरान्त लेकर वसूली करें ।" उनकी शिकायतों की पुष्टि करता है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर मैं मांग करता हूं कि वसूली को रोक कर संपूर्ण मामले की किसी सक्षम अधिकारी द्वारा जांच कराई जाये ।]

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

नगरपालिका आंवला, बरेली द्वारा भूमि भवन कर का निर्धारण होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम बिहारी सिंह—

[महोदय, बरेली जनपद में आंवला नगरपालिका में बढ़ाये हुए भूमि-भवन कर से लोगों में असन्तोष है । जिससे वहां की गरीब व हरिजन जनता में रोष है । मुख्य मंत्री द्वारा घोषणा के उपरान्त भी नये कर क्यों लगाये जा रहे हैं, जबकि निकट भविष्य में चुनाव भी सम्भावित है । जबकि प्रभारी अधिकारी नगरपालिका आंवला द्वारा जनवरी, 87 में नये कर बढ़ाये जा चुके हैं । इस बढ़ोत्तरी के बावजूद भी अब दुबारा कई गुना नये कर बढ़ाये जा रहे हैं जिससे जनता में रोष है ।

अतएव अविलम्बनीय एवं सुनिश्चित लोकमहत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो नये कर प्रस्तावित हैं उनको अविलम्ब वापस लिया जाये ।]

जनपद फैजाबाद में पुलिस उत्पीड़न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

[मान्यवर, जनपद फैजाबाद में पुलिस शातिर अपराधियों तथा कुछ प्रभावशाली राजनीतिज्ञों का एक गिरोह बन जाने से आम नागरिकों में भय और असुरक्षा व्याप्त है । पुलिस उत्पीड़न और भ्रष्टाचार का विरोध करने वालों को फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है । विवेचना में गड़बड़ी करने तथा कानून का उल्लंघन और दुरुपयोग करने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फैजाबाद ने कई पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किया था जिसके बदले में न्यायपालिका के लोगों को सबक सिखाने के इरादे से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और एक सांसद ने साजिश करके भदई नामक एक हरिजन से झूठी रिपोर्ट दर्ज कराकर 4 जुलाई को थाना कोतवाली फैजाबाद में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फैजाबाद के विरुद्ध अस्पृश्यता अधिनियम तथा भा0 दं0 वि0 की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया है ।

अतः इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर समूचे प्रकरण की हाईकोर्ट के जज, पुलिस महानिदेशक तथा बार काउंसिल उ0 प्र0 के सदस्य की तीन सदस्यीय जांच कमेटी द्वारा जांच कराकर दोषी लोगों को दंडित करने की मांग करता हूं ।]

अतरौलिया, आजमगढ़ के निवासियों पर दोहरी प्रशासन व्यवस्था के कारण न्याय पाने में कठिनाई उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बलराम यादव—

[मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय सदन एवं सरकार का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र अतरौलिया जनपद-आजमगढ़ के विकास खण्ड अतरौलिया की अदालत पंचायत गोहनारपुर (जमुवारी) के निवासियों को दोहरी प्रशासनिक व्यवस्था के कारण काफी कठिनाई उठानी पड़ रही है । उपरोक्त क्षेत्र के लगभग 25 हजार लोगों के माल एवं दीवानी के मुकदमों का निपटारा जनपद आजमगढ़ में होता है तथा फौजदारी से सम्बन्धित

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

वादों के निमित्त लोगों को थाना जहांगीरगंज, जनपद फैजाबाद में जाना पड़ता है । इस दोहरी व्यवस्था के कारण आजादी के 40 वर्षों के बाद भी कोई भी व्यक्ति शस्त्रों के लाइसेन्स आदि नहीं ले पाता है । सरकारी नौकरियों में भी जाने के लिये चरित्र प्रमाण-पत्र आदि बनने में बाधा होती है । दोहरी प्रशासनिक व्यवस्था के कारण जनता में काफी रोष व्याप्त है ।]

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार से अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

दुपहिया वाहन चालकों तथा उनके पीछे बैठने वालों के लिये हेलमेट पहनने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हृदय नरायन दीक्षित—

[मान्यवर, जबसे शासन की ओर से दुपहिया वाहन चालकों, मोटर साइकिल, स्कूटर आदि के चालकों व पीछे बैठने वाली सवारी के लिये हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है तबसे पूरे उ0 प्र0 खासतौर से राजधानी लखनऊ में वाहन रखने वालों में सरकार के प्रति आक्रोश पैदा हो गया है ।

जहां तक किसी अप्रत्याशित दुर्घटना से वाहन चालक की रक्षा के लिये हेलमेट पहनना आवश्यक माने जाने का सवाल है उस बिन्दु पर स्वयं की सुरक्षा की चिन्ता स्वयं वाहन मालिक पर छोड़ी जानी चाहिए मगर पीछे बैठने वाली सवारी को भी हेलमेट पहनना पड़ेगा यह कितना अव्यवहारिक है कि राह चलते कोई मित्र मिल जाय उनको सौहार्दवश कहीं छोड़ने जाना हो तो बिना हेलमेट वे बैठ नहीं सकते ।

इस आदेश के पीछे किसी ऐसी साजिश की चर्चा भी सुनाई पड़ रही है कि हेलमेट बनाने वाली कम्पनी और आदेश जारी करने वालों के बीच किसी समझौते के तहत यह अव्यवहारिक आदेश जारी हुआ है ।

जनता में इस आदेश के प्रति बढ़ रहे आक्रोश की अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाते हुए आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

पैराफीन वैक्स से संबंधित लघु उद्योग धन्धे हेतु कच्चे माल का अभाव होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सूर्य प्रताप शाही—

[भारत सरकार ने वर्ष 1983 में पेट्रोकेमिक्स के सबप्रोडेक्ट से पैराफीन वैक्स (मोम को परिशोधित) वाले लघु उद्योगों के आशय पत्र जारी करने के प्रतिबन्ध को हटा लिया था जिससे प्रदेश के पश्चिमी जिलों में 50 से अधिक उद्योग नये लगे । इन छोटे उद्यमियों को यह भी आश्वस्त किया गया कि उन्हें कच्चा माल पूरी मात्रा में दिया जायेगा और जब कच्चे माल की कीमत बढ़ायी जायेगी तो उसी अनुपात में दूनी कीमत पैराफीन वैक्स की भी बढ़ायी जायेगी । किन्तु इस वर्ष अचानक 500 रुपये प्रति टन की वृद्धि कर दी गयी किन्तु पैराफीन के दाम में कोई वृद्धि नहीं हुई है, इस वर्ष कच्चे माल की आपूर्ति बन्द सी है, कच्चे माल के अभाव में और शासन की नीति से प्रदेश के लगभग 50 लघु उद्योग बन्द हो गये हैं, उत्पादन ठप्प है और वित्तीय संकट में है, जिससे लगभग (5,000) पांच हजार मजदूर बेरोजगार होकर भुखमरी के शिकार है ।]

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से पैराफिस वैक्स लघु उद्योगों के संकट को दूर करने की मांग करता हूं ।]

ग्राम चिकसार, थाना सतरिख, बाराबंकी में पेड़ों की अवैध कटान होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

[महोदय, जनपद बाराबंकी, थाना सतरिख के अन्तर्गत ग्राम चिकसार में पिछले एक माह से हरे पेड़ों का अवैध रूप से कटान चल रहा है । इस अवैध कटान में पुलिस और वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी खुले रूप से शामिल हैं । अब तक तीन हजार से अधिक हरे पेड़ों का कटान हो चुका है । ये पेड़ अधिकांशतः ग्राम समाज व वन विभाग के हैं । पेड़ों की कटान करने वाले लोग 50/60 की तादाद में पेड़ काटने वालों से अतिरिक्त लाठी व बन्दूक से लैस घटनास्थल पर हर समय मौजूद रहते हैं ताकि कोई इनका विरोध न कर सके । जब तक लाखों की सार्वजनिक सम्पत्ति का नुकसान हो चुका है और शासकीय नियमों की इन असामाजिक तत्वों को कोई परवाह नहीं है । ग्राम प्रधान व क्षेत्र के नागरिकों द्वारा पुलिस व वन विभाग के अधिकारियों से शिकायत करने पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है ।

मैं इस लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर आपके माध्यम से सरकार से अपेक्षा करता हूं कि तत्काल अवैध कटान को रोकने व नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर प्रभावी कार्यवाही की जाय ।]

तहसील नरैनी, बांदा में रेंज नदी का कटाव रोकने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा—

[मान्यवर, बांदा जनपद के अन्तर्गत तहसील नरैनी के अन्तर्गत रेंज नदी के बहाव के कटान के कारण ग्राम बड़ेछा, नेदुवा, रेहुंची, शाहगारन आदि दर्सों गांवों के लोगों के जन-जीवन को भीषण खतरा पैदा हो गया है । दर्सों गांव छोड़कर दूसरी जगहों में रहने लगे हैं साथ ही साथ कृषि योग्य भूमि भी बरबाद हो रही है ।

अतः आपके माध्यम से मांग करता हूं कि अविलम्ब रेंज नदी के गांव के किनारों में इस भीषण कटाव को तत्काल रोका जाय ताकि जनजीवन एवं कृषि योग्य भूमि की सुरक्षा हो सके ।]

मंत्रिपरिषद से त्याग-पत्र देने वाले तीनों मंत्रियों से स्पष्टीकरण दिलाये जाने की मांग (क्रमागत)

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, आज सदन में दोपहर के पहले एक बड़ा गम्भीर विषय जिस पर यहां चर्चा चल रही थी कि प्रदेश के अन्दर एक कैबिनेट मंत्री ने और दो राज्य मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है । इसमें हमारा कहना यह है कि आज प्रदेश के अन्दर बड़ा गम्भीर संवैधानिक संकट

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उत्पन्न हो गया है । एक कैबिनेट मंत्री और दो राज्य मंत्री मंत्रि परिषद् से अलग हो गये हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

विद्यार्थी जी, उनको पहले अपनी बात को कह लेने दीजिये, बाद में आप अपना प्रश्न उठाइयेगा ।

श्री कल्यान सिंह—

इससे प्रदेश में अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गयी है प्रदेश में इससे अस्थिरता की स्थिति पैदा हो गयी है । प्रदेश की जनता में बड़ा भारी भ्रम पैदा हो गया है क्योंकि तीनों मंत्रियों का यह कहना है कि उन्होंने अपना त्याग-पत्र दिया है और माननीय मुख्य मंत्री का कहना है कि हमने उनको बरखास्त किया है । यह त्याग-पत्र देने वाले लोगों ने मुख्य मंत्री के ऊपर और सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये हैं, दूसरी ओर माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है इनको इसलिए बरखास्त किया गया है कि यह काम ढंग से नहीं करते थे, अकुशल थे और अक्षम थे । इसलिये अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गयी है । तीनों माननीय सदस्य मौजूद हैं । नियम 76 के अन्तर्गत उनको मौका देना चाहिए कि वह बता सकें त्याग-पत्र क्यों दिया है, अपना बयान दे सकें ।

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है . . .

श्री उपाध्यक्ष—

जब तक वह बैठेंगे नहीं, व्यवस्था नहीं उठाई जा सकती है ।

श्री राम शरण दास—

एक निवेदन करना चाहता हूं . . .

श्री उपाध्यक्ष—

कल्यान सिंह जी, समाप्त कर लें ।

श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, प्रशासन पर शासन का नियंत्रण नहीं रहा है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है । सरकार की लाश उत्तर प्रदेश के आंगन में सड़ रही है । मंत्रियों को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का मौका दिया जाये, कि त्याग-पत्र किन परिस्थितियों में दिया गया है । आज के इस माहौल में माननीय मुख्य मंत्री जी ने, दंगा, दमन और दबाव के दानव का सहारा ले लिया है और अपने पक्ष के विधायकों को खुश करने के लिये खुली रिश्वत देने का काम कर रहे हैं विधायकों का वेतन भत्ता आदि बढ़ाकर । अतः मैं व्यवस्था चाहता हूं कि नियम 276 के अन्तर्गत उन सदस्यों को स्पष्टीकरण देने का अवसर दें और क्योंकि हमारी निश्चित सूचना है कि आज यह सदन अनिश्चित काल के लिये उठने जा रहा है और उन लोगों को मौका नहीं रहेगा और सदन नहीं जान पायेगा कि त्याग-पत्र देने का कारण क्या है और जनता यह नहीं जान पायेगी कि माननीय मुख्य मंत्री पर भ्रष्टाचार

के जो आरोप हैं वह सही हैं या गलत हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि यह लोग अक्षम थे, अकुशल थे, तो मान्यवर दोनों में कौन सी बात सही है । तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इनसे वक्तव्य दिलवायें । आप दिलवा रहे हैं या नहीं ?

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, मेरा निवेदन आपसे है । इनको समझाइये । मेरी भी व्यवस्था है कि आज मैं देखता हूं कि सदन के अन्दर मुख्य मन्त्री जी बैठे है और इनके बराबर में दो मंत्री है, कैबिनेट के और तीसरी मिनिस्टर दीदी बैठी है, 4 मिनिस्टर है । संजय सिंह पीछे बैठे हैं । 4 मिनिस्टर रह गये हैं । संजय सिंह वहां बैठे हैं और संजय सिंह ने इस्तीफा दे दिया है । रेडियों पर सुबह सुना है कि सुनील शास्त्री ऊर्जा मंत्री को बर-खास्त किया गया है, उनका कहना है कि वह तो पहले ही इस्तीफा दे चुके थे । असली स्थिति क्या है ? आज मैंने करीब 50 मेम्बरों से पूछा कि राजा के साथ हो या राजू के साथ हो । मान्यवर, करीब 50 सदस्यों ने कहा कि राजा के साथ हैं, राजू के साथ नहीं हैं, तो स्थिति बहुत भयंकर है, इनका बहुमत नहीं है । तीनों मिनिस्टर मौजूद है, वह बयान देना चाहते है, स्थिति साफ हो जायेगी और एक और आये है, अम्मार रिजवी साहेब आये हैं ।

*श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

माननीय राम शरण दास जी ने जो बात की है, वह वास्तव में व्यवस्था के अन्तर्गत नहीं है । अमूल्य सदन के समय का दुरुपयोग किया है । सूखे की चर्चा का विषय है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है । दूसरी व्यवस्था मान्यवर, मैं आपसे यह चाहता हूं कि हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यों ने यहां पर नैतिकता का प्रदर्शन किया है । यदि उनमें इतनी नैतिकता है तो वह यह घोषणा कर दें कि हम बढ़ा हुआ भत्ता नहीं लेंगे और यह कह कर अपनी नैतिकता का प्रदर्शन करें कि जो बढ़ोत्तरी हुई है उसको हम नहीं लेंगे, तब हम समझेंगे कि उनमें नैतिकता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठें ।

(कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे)

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, गोंडा जिले के अधिकांश एम0 एल0 ए0 राजा साहब के साथ चले गये है और अकेले यही रह गये हैं । अम्मार साहब की स्थिति क्या है ? वह अपनी स्थिति बतायें । डम्मी साहब जो यहां पर चुनकर आये हैं, उनकी मेडिन स्पीच नहीं होने दी गयी है । उनको बाहर निकाल दिया गया है . . . (व्यवधान) । यह एक भयंकर स्थिति है । सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है . . . (व्यवधान) ।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा का नाम पुकारे जाने पर तथा कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

एक आदमी व्यवस्था मांगे तब तो कोई व्यवस्था दी जाये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सुरेन्द्र कपिल—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें । राम शरण दास जी ने एक मंत्री को पागल कहा है ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने ओझा जी को बुलाया है । आप बैठें ।

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, आपने कहा था कि राम शरण दास जी के बाद आपको मौका दिया जायेगा ...

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

एक शब्द नहीं बोलने देंगे अगर यही स्थिति रही ।

श्री उपाध्यक्ष—

ओझा जी, कृपया बैठ जायं, मुईद साहब को सुन लें । फिर आपको सुन लेंगे ।

श्री सुरेन्द्र कपिल—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें । पहले मेरा सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं दोनों का सुन लूंगा । यह कौन सी बात हुई ।

कार्यवाही से जो अनुचित शब्द होंगे, वह निकाल दिये जायेंगे ।

*श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, आज जब सदन शुरू हुआ । माननीय अध्यक्ष जी आये तो प्रश्नोत्तर काल में इस विषय पर कि तीन मंत्रियों को जो बरखास्त किया गया, चर्चा शुरू कर ली...(व्यवधान) । इस विषय को नहीं उठाना चाहिए, इसे माननीय अध्यक्ष ने खारिज किया । फिर जब सदन बैठा तो उसी विषय को लेकर उन्होंने उसे खारिज किया । मान्यवर, आज सूखे पर चर्चा चलनी है (व्यवधान) ।

श्री उपाध्यक्ष—

दो-दो मिनट में सबको दूंगा ।

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, यह सदन नियमों से चलेगा । न हमारी इच्छा से चलेगा, न विपक्ष की इच्छा से चलेगा और न आपकी इच्छा से चलेगा । मैं यह कहना चाहता हूं कि बार-बार जिस मुद्दे को, जिस विषय को तीन बार आपकी पीठ से खारिज कर दिया गया हो उसी को फिर क्यों उठा रहे हैं किस नियम के अन्तर्गत उठा रहे हैं, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं बाद में अपनी व्यवस्था दूंगा ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

जो प्रश्न यहां पर उपस्थित हुआ है उस पर सत्ता पक्ष के लोग हुड़दंग मचाकर सच्चाई पर पर्दा डालना चाहते हैं लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम तो पैदायशी हुड़दंगी हैं । हम एक को भी नहीं बोलने देंगे । मान्यवर, कांग्रेस के अन्दर क्या हो रहा है इससे हमारा कोई मतलब नहीं है । लेकिन अब वह कांग्रेस के अन्दर का मामला नहीं रह गया है वह अब इस प्रदेश का मामला हो गया है । मुख्य मंत्री कहते हैं कि हमने उनको डिसमिस किया है और कैबिनेट के एक मंत्री को भी डिसमिस किया है । आप सदन को बतायें कि उन्होंने इस्तीफा दिया है या आपने डिसमिस किया है । दूसरी बात यह है कि उन्होंने मुख्य मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के, कुनबापरस्ती के और अकर्मण्यता के आरोप लगाये हैं और मुख्य मंत्री जी ने उन लोगों पर आरोप लगाया है कि वे लोग अक्षम हैं । इतने दिनों तक इनको पता नहीं लगा कि इनके सहयोगी अक्षम हैं और एक ही रात में ज्ञान हो गया, एहसास हो गया । भगवान बुद्ध की नगरी में रहने वाले मुख्य मंत्री जी को ज्ञान हो गया कि उनके साथ बैठने वाले अक्षम हैं तो यह इनकी अक्षमता का द्योतक है । एक मिनट में किसी भी आदमी की क्षमता का ज्ञान हो जाता है यह लोग इतने दिनों तक इनके साथ रहे इनको मालूम नहीं हुआ ।

मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री मौजूद हैं (व्यवधान) हकीकत बतायें । उन लोगों का बयान आना चाहिए । आपको याद होगा माननीय बनारसी दास जी उस आसन पर बैठे थे जहां पर आज आप विराजमान हैं उस समय मुहम्मद आरिफ खां ने इस्तीफा दिया था तो उनका बयान हुआ था । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) अभी नम्बर आयेगा । उनको बोल लेने दें (व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

संसदीय परम्पराओं का सवाल है आज प्रदेश में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है, पता नहीं कल सबेरे मुख्य मंत्री जी के दस्तखत से किस को डिसमिस कर दिया जायेगा इसकी किसी को कोई खबर हम लोगों को नहीं है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय ओझा जी, समाप्त करें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

आज संविधान और सरकार नाम की कोई चीज रह नहीं गयी है इसलिये मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं उन लोगों को अपनी बात स्पष्ट करने का मौका मिलना चाहिए यह कांग्रेस संगठन के हित में होगा कि वह लोग स्टेटमेन्ट दें, यहां पर उनका स्टेटमेन्ट होना चाहिए ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, मैंने सबेरे भी नियम 311 के अंतर्गत (व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी मौका मिलेगा, उनको कह लेने दें (व्यवधान)

श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, इनको भी बाद में मौका दे दीजिये (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

(संसदीय कार्य मंत्री के खड़े होने पर) वह कुछ कहना चाहते हैं ।

*श्री कौशिक रमाशंकर—

नहीं मान्यवर, वह बैठ गये हैं । तो मैं कह रहा था कि सुबह मैंने नियम 311 के अन्तर्गत बात उठाई थी कि पूरे प्रदेश में एक अनिश्चितता का वातावरण है । हमें उनके झगड़ों से कोई लेना देना नहीं है कांग्रेस पार्टी के अन्दर क्या झगड़े हैं क्या नहीं हैं इनके बारे में कुछ नहीं कहना है । लेकिन सवाल यह है कि इनके झगड़ों का असर पूरे प्रदेश में पड़ रहा है, पूरे प्रशासन पर पड़ रहा है । जनता इस बात को जानने के लिये आतुर है कि आखिर यह सब तमाशा क्या हो रहा है, मंत्री लोग कहते हैं कि इस्तीफा दे रहे हैं और माननीय मुख्य मंत्री कह रहे हैं कि मैं डिसमिस कर रहा हूं । तो वस्तुस्थिति साफ होनी चाहिये (व्यवधान) हमारी निश्चित जानकारी है कि यह सरकार अल्पमत में है तो जो अल्पमत में सरकार है उसको एक मिनट सत्ता में रहने का हक नहीं है ।

इसके अतिरिक्त हम लोगों में से 52 सदस्य 25 दिन बाद कार्यवाही में सम्मिलित हुये हैं । मैंने नियम 300 के अन्तर्गत इस बात को उठाया है कि यह निलम्बन की जो कार्यवाही हुई 25 तारीख को उसकी वैधता को किस प्रकार सिद्ध करते हैं जो 52 लोगों को इंगित किया गया है कार्यवाही में विघ्न डालने के आरोप में अगर एक दो आदमी विघ्न डालते हैं तो वह बात कही जा सकती है लेकिन 52 आदमी पीठ का अनादर करते हैं वह अनादर नहीं कहा जा सकता है । वह पीठ के खिलाफ अविश्वास होता है वह डिफाई नहीं होता है, इसलिए आपका उपाध्यक्ष पद पर रहना किसी प्रकार उचित नहीं है । 52 सदस्य कम नहीं होते हैं । यह ऐसी संख्या नहीं है कि जिसको यों ही टाल दें इसके आधार पर गुणात्मक फर्क होता है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दो चार आदमी डिफाई करते तो वह डिफाई कहलाता लेकिन 52 सदस्य डिफाई करते हैं तो वह अविश्वास कहा जायेगा । जो कार्यवाही पिछले दिनों सदन में हुई है मैं उसकी सारी वैधता को चुनौती देता हूं (व्यवधान) उस पर प्रश्नचिन्ह लगा हुआ है (व्यवधान) कैसे विनियोग विधेयक और अन्य विधेयक पास कर दिये गये । मेरा निवेदन है कि इन सारी बातों पर चर्चा करने का मौका दीजिये ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप समाप्त करें ।

श्री कौशिक रमाशंकर—

यह सरकार अल्पमत में है या नहीं यह जानने का हमें मौका मिलना चाहिये (व्यवधान) ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मंत्री परिषद् में मंत्री आते-जाते रहते हैं, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है । लेकिन मंत्रि परिषद् को सदन का विश्वास प्राप्त होता है, ऐसी स्थिति में मंत्रि परिषद् के कुछ सदस्य चाहें अपने आप इस्तीफा दें या मा0 मुख्य मंत्री द्वारा बरखास्त किये जायं, सदन जानने का इच्छुक होगा कि यह किस कारण हुआ । प्रदेश की जनता भी जानना चाहेगी कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ । मान्यवर; दो दिन पहले मुख्य मंत्री जो अपनी किस्मत का फैसला कराने के लिये दिल्ली में पड़े थे । यहां आये तो कहा कि हटूंगा नहीं । लेकिन दूसरों को हटाना शुरु कर दिया जिससे प्रदेश में अस्थिरता और अनिश्चिता की स्थिति पैदा हो रही है, शासन और प्रशासन में कामकाज प्रभावित हो रहा है, इसलिये इस स्थिति में वह तथ्य सामने आने चाहिये जिन तथ्यों के आधार पर इस्तीफा दिये गये हों या बरखास्त किये गये हों ।

श्री श्रीप्रकाश—

(श्री श्रीप्रकाश मेज पर चढ़कर बोलने लगे कि मेरी बात को सुना जाये...)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप मेज पर खड़े होकर न बोलें, सदन की गरिमा को बनाये रखें । आप पहले आसन ग्रहण करें । (व्यवधान) यह आपका आचरण उचित नहीं है, नीचे सीट पर बैठें ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, कुछ दिन पहले इस बात पर जोर था कि सूखे पर चर्चा कराई जाय और जब आज चर्चा कराने जा रहे हैं तो उस समय तमाम व्यवस्था के प्रश्न आपके सामने आ गये यह व्यवस्था आप देखें कि किस प्रकार की । मान्यवर, जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, सरकार का तालुक है, श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में हम सभी बीर बहादुर सिंह जी की सरकार के साथ हैं । यहां पर सरकार अल्पमत नहीं है । यदि अल्पमत में बैठे होते तो विरोध पक्ष क्या बाहर जाता, वह वाक-आउट न करता । मान्यवर, इससे साफ है कि अल्पमत में हम नही वह है । मान्यवर, 268 सदस्य एक साथ हैं, एक आवाज है, एक झन्डे के नीचे हैं, एक नीति है, एक नेता है और एक मुख्य मंत्री उसके पीछे है, किसी प्रकार का यहां कोई भेदभाव नहीं है । मान्यवर, यह, विरोध पक्ष, प्रदेश की जनता के सामने इस तरह का भ्रम पैदा कर रहा है । उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधान मंडल दल का हर व्यक्ति एक है । मैं आपके सामने आज खड़ा हूं, क्या हमेशा मंत्री रहने के लिये यहां खड़ा हूं, जो भी है, जो काम हमको सौंपा जाता है, वह करते हैं, पार्टी के अन्दर रहते हैं । मान्यवर, सारे विधायक, इसलिये यहां नहीं आये हैं कि मंत्री बने और न हमेशा रह सकते हैं । यदि कोई मंत्री त्यागपत्र देता है, हटाया जाता है, किसी कारण से उस पद

पर नहीं रहता है, तो ऐसी क्या बात पैदा हो गयी । क्या इस प्रकार की घटना कभी नहीं हुई । श्री राम नरेश यादव जी, जो यहां बैठे हैं, के समय में नहीं हुई, क्या उस समय इस्तीफा नहीं हुआ । क्या श्री सत्य प्रकाश मालवीय को लिखकर भेजा नहीं, उनको हटाया नहीं। तो जब सरकार में बैठना पड़ता है, तो इस प्रकार की तमाम सब चीजें होती हैं, तो यह यूजवल मैटर है । आज दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो रहा है, दूध में से पानी साफ हो रहा है, दूध साफ रहेगा, इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं रहेगी । आज जो लोग हमदर्दी का बड़ा दावा करते हैं, उनकी उनसे हमदर्दी हो जाती है, कल तक उनके द्वारा ही पता नहीं उनके खिलाफ क्या-क्या चीजें उठाई जा रही थी । किन्तु आज ओवरनाईट उनके यह हमदर्द बन गये । यह हमदर्दी नहीं अपारचुनिज्म है, मौकापरस्ती और अवसर-वादिता है । यह अवसरवादिता की हमदर्दी है और इसके पीछे निशाना यह है कि इनमें आपस में दरार पैदा कर दो । मैं पूरे प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि जहां कांग्रेस नीतियों का सवाल है, कांग्रेस विधान मण्डल दल का सवाल है यह उसी प्रकार मजबूत है, जिस तरह से एक चट्टान होती है, जिस तरह से यह डोम जिसके नीचे हम लोग यहां बैठे हैं, मजबूत है । इसमें कोई दरार नहीं है । जो दरार की बात करते हैं वह पूरे देश और पार्टी में भ्रम डाल रहे हैं । आज सूखा जैसा महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए हमारे सामने है, जो पूरे प्रदेश के सामने आज बड़ी समस्या है । आइये यदि आप करोड़ों सूखा पीड़ित किसानों और गरीबों को राहत दिलाना चाहते हैं, किसानों की समस्याओं को सामने रखना चाहते हैं, तो उसे सदन के सामने रखें और उस पर बहस करें। किन्तु आज यहां व्यवस्था के प्रश्नों को उठाकर सूखे के बजाए और चीजों पर समय गंवाया जा रहा है । इसलिए मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आप सूखे पर चर्चा करें, वह किसानों की तरफ भी देखें उनके खेतों की ओर देखें, जो सूख गये हैं और हमें बताएं कि सरकार की ओर से उनको क्या-क्या राहत दी जा सकती है । और आप यह भी देखें कि हम किसानों के लिए क्या-क्या कर रहे हैं । इसलिए सारी बहस समाप्त करा कर आप सूखे पर बहस कराएं ।

(नेता विरोधी दल का नाम पुकारे जाने पर) (घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

नेता विरोधी दल खड़े हैं, आप बाद में बोलियेगा । (व्यवधान)

बारी साहब नेता विरोधी दल खड़े हैं, इसलिए आसन ग्रहण करें ।

श्री सत्यपाल सिंह—

इस सदन के सभी माननीय नेताओं ने आपसे इस बात के लिए कहा, निडम 276 . . . . (घोर-व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

क्या आप नेता विरोधी दल को नहीं बोलने देंगे ? नेता विरोधी दल खड़े हैं, आप आसन ग्रहण करें । आपको बुलवाएंगे, लेकिन अभी नेता विरोधी दल खड़े हैं, पहले वह अपनी बात कह लें । इस समय हम आपको कैसे मौका देंगे ।

श्री सत्यपाल सिंह—

अभी आपके माध्यम से सदन के सभी विरोधी दलों के नेताओं ने मांग की कि जिन माननीय नेताओं ने, जो मंत्रीमंडल के सदस्य रहे हैं—सुनील शास्त्री, जफर अली

नकवी और सुरेन्द्र सिंह और जिन्होंने इस्तीफे दिए, उस पर एक विवाद खड़ा हो गया है कि उन्होंने इस्तीफे दिए हैं या... (घोर-व्यवधान) (बराबर व्यवधान के कारण श्री सत्यपाल सिंह बैठ गये ।)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

यदि इस तरह से सदन चलाने की कोशिश की गई...

श्री उपाध्यक्ष—

नेता विरोधी दल खड़े हैं, उनको पहले अपनी बात कहने दीजिए ।

श्री राम आसरे वर्मा—

यदि नेता विरोधी दल को सुनने के लिए यह तैयार नहीं हैं, तो क्या नेता सदन, सदन में बोल पाएंगे ? नेता विरोधी दल को शान्ति के साथ नहीं सुनेंगे तो नेता सदन भी नहीं बोल पाएंगे ।

(घोर-व्यवधान) एक साथ कई स्वर—(सूखे पर चर्चा कराइये, सूखे पर चर्चा कराइये)

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिये, जब नेता विरोधी दल खड़े हों, । सम्मानित नेता विरोधी दल हैं और उनका दर्जा नेता सदन, मुख्य मंत्री के बाद होता है । तो उनकी बात सुननी चाहिए । जो वह बात कहते हैं, सुननी चाहिए, उनकी मर्यादित बात होती है । आप आसन ग्रहण करें और मैं नेता विरोधी दल से कहूंगा कि वह बोलें ।

(घोर-व्यवधान) (श्री फजलुलबारी के खड़े होकर कुछ बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

बारी साहब, नेता विरोधी दल बोल रहे हैं पहले उन्हें बोल लेने दीजिए ।

(घोर व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह—

हम लोगों की मांग यह थी कि जिन आरोपों को लगाकर इन मंत्रियों को निकाला गया है वह बता दें ? या इन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है ? या इनको निष्कासित किया गया है ?

(घोर व्यवधान)

(मान्यवर, सूखे पर चर्चा करवाईए, एक साथ कई आवाजें)

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

जब सूखे पर चर्चा चलेगी तब उसको सुनिएगा अभी जो बोल रहे हैं पहले उसको तो सुन लीजिए ।

(घोर व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, यह लोग सूखे की चर्चा के लिए बहुत चिन्तित हैं लेकिन सूखे से प्रभावित जनता के लिए आप लोग कुछ करना नहीं चाहते हैं इनकी सरकार की कोई घोषणा, कोई आदेश प्रदेश में नहीं लागू हो रहा है इस सदन में संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं होगी, लेकिन आज कहीं भी आपकी घोषणायें आपकी नीतियां लागू नहीं हो रहीं हैं ।

(व्यवधान)

आज प्रदेश के अन्दर ऐसा वातावरण पैदा हो गया है कि आपकी सरकार पर से जनता का विश्वास उठ गया है, आपकी सरकार पर जनता का विश्वास नहीं रह गया है । इसलिए किसी भी हालत में सूखे की चर्चा का कोई महत्व नहीं है ।

(घोर व्यवधान)

मान्यवर, 276 का कोई जिक्र नहीं किया ।

(घोर व्यवधान)

आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया होता तो मैं मानता कि आपके घर का यह झगड़ा है, लेकिन आपकी सरकार में जो इन मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है यह आपके घर का झगड़ा नहीं है....

(घोर व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया ।

[× × ×]

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

जो असंसदीय शब्द हैं उनको कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा ।

(घोर व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह—

इस सरकार के मुंह पर कालिख पुती हुई है । 100 से ऊपर विधायकगण वीर बहादुर सिंह जी के नेतृत्व में काम नहीं करना चाहते हैं वह विरोध पक्ष में आ चुके हैं । इसलिए वीर बहादुर सिंह जी इस बात का स्पष्टीकरण दें—

(घोर व्यवधान)

या फिर जो माननीय सदस्य मंत्री थे उनका स्पष्टीकरण दिलवाइए ।

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, जहां तक 276 का सम्बन्ध है सवेरे उसके बारे में कहा गया था . . .

(घोर-व्यवधान)

नोट—[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

100 के करीब विधायकों के बारे में इन्होंने कहा तो एक भी विधायक कांग्रेस से अलग नहीं है (मेजें थपथपाई गई) यह मेजों के थपथपाने की आवाज बताती है कि एक आदमी की तरह हम सब एक हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रक्रिया नियमावली के नियम 276 के अन्तर्गत भूतपूर्व मंत्रियों को अपना बयान देने का अधिकार है, किन्तु उक्त नियम के अनुसार बयान तभी दिया जा सकता है, जब भूतपूर्व मंत्री का लिखित बयान अथवा उसका संक्षिप्त आशय माननीय अध्यक्ष को तथा नेता सदन को एक दिन पूर्व उपलब्ध करा दें ।

माननीय श्री सुरेन्द्र सिंह ने तथा श्री जफर अली नकवी ने अपने बयान देने की अनुमति मांगी है जो माननीय अध्यक्ष को आज ही प्राप्त हुई है।

अत: नियमानुसार वे उक्त नियम का अनुपालन करने के उपरान्त कल बयान दे सकते हैं ।

श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । कल हाउस होगा भी ?

(मद संख्या 13 पुकारे जाने पर ।)

श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब दूसरी मद शुरू हो गयी है ।

श्री कल्यान सिंह—

पहले व्यवस्था का प्रश्न सुन लें ।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, आपने जो व्यवस्था दी वह शिरोधार्य है । मैं इस बात की व्यवस्था चाहता हूं कि मान लीजिए जिस दिन कोई मंत्री त्याग-पत्र देता है या उसको मंत्रि परिषद् से निकाला जाता है वह दिन वर्तमान सत्र का अंतिम दिन हो तो क्या उसको स्पष्टीकरण देने का मौका मिलेगा नम्बर एक, दूसरे उनको अपना वक्तव्य देने के लिये कल अनुमति दी जायगी या नहीं, हमारी जानकारी है यह सरकार थोड़ी देर बाद सदन को साइन-डाई कराना चाहती है । सूखे का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । मुख्य मंत्री को सूखे की चिन्ता सता रही है वह सूखे पर चर्चा चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

सूखे पर चर्चा शुरु करिये, बाद में देखा जायगा ।

(शोर)

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, वह केवल याचिका पढ़ना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी याचिका ले ली जायगी ।

श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, सूखे की स्थिति भयंकर है और पूरा सदन उस पर चर्चा करना चाहता है । मुझे दुःख है कि यह जो महत्वपूर्ण ईशू है मंत्रियों के त्याग पत्र का, उसे सूखे का सहारा लेकर टालने की सत्तारुढ़ दल के लोग कोशिश कर रहे हैं । सूखे पर हम भी चर्चा चाहते हैं और आप भी चाहते हैं लेकिन आपने जो व्यवस्था दी कि जो मंत्री निकाले गये हैं या जिन्होंने त्याग-पत्र दिया है उनको कल वक्तव्य देने का मौका मिलेगा । सरकार आज ही सदन को साइनडाई कराना चाहती है । मान्यवर, मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं । दो वर्जन सामने आ गये हैं । वह कहते हैं कि हमने त्याग-पत्र दिया है और मुख्य मंत्री कहते हैं कि हमने बर्खास्त किया है । उनका आरोप मुख्य मंत्री के ऊपर है और मुख्य मंत्री का आरोप उनके ऊपर है तो मुख्य मंत्री खड़े होकर जवाब दे दें । दूसरी बात कल सदन चलेगा या नहीं इस पर व्यवस्था दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

सदन तो अभी चल रहा है ।

(शोर)

श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, इस पर व्यवस्था दे दें कि कल सदन चलेगा या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

जो कार्य मंत्रणा समिति का निर्णय है, अभी 24 तक का है । मैं अभी क्या कह दूं ।

(शोर)

श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, अगर कल सदन नहीं चलेगा तो यह आपके प्रति अविश्वास का प्रस्ताव माना जायेगा क्योंकि आपने व्यवस्था दी है कि कल उनको अनुमति बयान की दी जायगी । यदि कल सदन नहीं चला तो सरकार का यह आपके प्रति अविश्वास का प्रस्ताव माना जायगा । मान्यवर, पहले आप व्यवस्था दें कि सदन कल चलेगा या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

पहले याचिका प्रस्तुत करा लें, फिर सुनूंगा । अभी मैं नहीं कह सकता, सदन चल रहा है ।

श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, व्यवस्था दीजिये कि कल सदन चलेगा या नहीं ?

श्री मैनेजर सिंह —

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष—

पहले याचिका प्रस्तुत हो जाने दीजिये । उसके बाद सुन लूंगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मद सं0-6, दीक्षित जी याचिका पढ़ें ।

(विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 50 वां प्रतिवेदनों

†श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 50 वां प्रतिवेदन (आश्वासन समिति 1986-87) जो सिंचाई, नगर विकास, सूचना, पर्यटन, श्रम, उद्योग, खाद्य, एवं रसद, गन्ना विकास, ऊर्जा एवं परिवहन विभाग के वर्ष 1977—82 के आश्वासनों से संबंधित है, को प्रस्तुत करता हूं ।

मान्यवर, आज ही यह सदन स्थगित करने जा रहे हैं । इस पर हम चर्चा चाह रहे हैं । मान्यवर, आश्वासन की स्थिति इतनी खराब है कि आश्वासन तो यह दे देते हैं लेकिन उन पर 10-10 साल तक अमल नहीं होता है । इस रिपोर्ट पर बहस हो जाय । सरकार क्या कहना चाहती है यह इस सदन को मालूम हो जाय, जनता को मालूम हो जाय । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर विचार कर लिया जायेगा ।

---

†छापा नहीं गया ।

ग्राम सेमरी, जनपद उन्नाव के छुलामऊ गांव के बसहा नाले पर पुल बनाने विषयक याचिका

श्री हृदय नरायन दीक्षित—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से ग्राम सेमरी, जनपद उन्नाव के छुलामऊ गांव में वहांसे नाले पर पुल बनाने विषयक श्री शंकर सिंह, निवासी समेरी, तहसील पुरवा, जिला उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

आगरा टाउन एरिया किरावली के पाइप लाइन व टंकी बनाकर पेयजल आपूर्ति की शीघ्र व्यवस्था किये जाने विषयक याचिका

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से आगरा टाउन एरिया किरावली के पाइप लाइन व टंकी बनाकर पेयजल आपूर्ति की शीघ्र व्यवस्था किये जाने विषयक सर्वश्री विजय कुमार बंसल, जगदीश प्रसाद मीतल तथा मुरारी लाल, किरावली आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

आगरा की तहसील किरावली के ब्लाक फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत राजस्थान सीमा से जुड़े हुए चालीस गांवों में सिंचाई व्यवस्था नहरों, राजकीय नलकूपों और पलेवा चैनल निकाले जाने विषयक याचिका

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से आगरा की तहसील किरावली के ब्लाक फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत राजस्थान सीमा से जुड़े हुए चालीस गांवों में सिंचाई व्यवस्था नहरों, राजकीय नलकूपों और पलेवा चैनल निकाले जाने विषयक श्री श्याम लाल, भूतपूर्व प्रधान, ग्राम नगला सराय, पो0 डावर, जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

नगरपालिका अछनेरा में सीवर लाइन ठीक कराकर ठप्प पड़ी जलोत्सारण योजना सुचारु रूप से चलाये जाने विषयक याचिका

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से आगरा जनपद की नगरपालिका अछनेरा में सीवर लाइन ठीक कराकर यहां की ठप्प पड़ी जलोत्सारण योजना सुचारु रूप से चलाये जाने विषयक श्री बैजनाथ गोयल तथा श्री राम बाबू मीतल, अछनेरा, आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

मथुरा जिले के ग्राम किरारयी, चुडावई और आगरा जनपद की तहसील किरावली के ग्राम गढ़ीया, नगला, लक्ष्मण, मागरौलजाट आदि की कृषि भूमि की बरबादी रोकने के लिये जनपद में स्थित वेस्टर्न डिफरेशन ड्रेन की जल निकासी की सुव्यवस्था कराने विषयक याचिका

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से मथुरा जिले के ग्राम किरारयी, चुडावई और आगरा जनपद की तहसील किरावली के ग्राम गढ़ीमा, नगला, लक्ष्मण, मागरौलजाट आदि

की कृषि भूमि की बरबादी रोकने के लिए जनपद में स्थित वेस्टर्न डिफरेशन ड्रेन की जल निकासी की सुव्यवस्था कराने विषयक श्री हयात खां, साधन, जिला आगरा तथा श्री लाखन सिंह, उप प्रधान ग्राम मांगरौला जाट, पो0 अरूंआखास, जिला आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

(मद संख्या-13 पुकारे जाने पर श्री मैनेजर सिंह व अन्य विपक्षी सदस्य एक साथ बोलने का प्रयास करने लगे)

कल दिनांक 22-7-87 को सदन का उपवेशन बुलाये जाने का आश्वासन दिये जाने की मांग

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में उत्तेजना है । वह ऐसा प्रश्न है जिस पर उत्तेजना होना स्वाभाविक है । मैं यह जानना चाहता हूं कि सदन कल चलेगा कि नहीं ? इसे या आप स्पष्ट कर दें या माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कर दें । सूखे पर चर्चा होनी चाहिये । यह दुर्भाग्य है कि सूखे की चर्चा टलती जा रही है । 2 दिन शासन ने स्वयं घोषणा किया था और 21 व 22 को चर्चा होनी थी । (व्यवधान) मान्यवर, जैसे आज सदस्यों की उपलब्धि का बिल पेश हो गया और पास हो गया इससे शंका है कि सरकार सदन नहीं चलाना चाहती है । माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करें या आप घोषणा कर दें कि कल सदन चलना है तो सूखे पर चर्चा तुरन्त प्रारम्भ कर दी जाय, यदि सदन कल नहीं चलना है तो सूखे पर चर्चा पर चर्चा बेकार है और यह स्पष्ट हो जायेगा कि सरकार और सरकारी पक्ष के लोग सूखे पर चर्चा नहीं चाहते हैं और यह केवल घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं । अगर कल सदन चलना हो तो मैं अपोजीशन के साथियों से आग्रह करूंगा कि सूखे पर चर्चा प्रारम्भ करनी चाहिए बशर्ते कि शासन स्पष्ट कर दें कि कल सदन चलेगा ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मैनेजर सिंह जी, अभी तक सदन को 21-7-87 से 24-7-87 तक चलाने की व्यवस्था है ।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)—

मान्यवर, मैं 276 के ऊपर व्यवस्था चाहता हूं । इतना तो स्पष्ट कर दें कि कल सदन चलेगा या नहीं । इसमें कौन सी कठिनाई है ।

श्री कल्यान सिंह—

माननीय मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं, यह बता दें कि कल सदन चला रहे या साइन डाई करा रहे हैं । सरकार कुछ नहीं चाहती है यह घड़ियाली आंसू बहा रही है ।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । यह बतायें कि कल सदन चलेगा या नहीं ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मंत्री बोल सकते हैं । कोई रुकावट तो है नहीं, बोलने की ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

यह बात बहुत जरूरी है कि कल सदन होगा या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह जवाब नहीं दे रहे हैं । मैं जबरदस्ती तो जवाब दिलवा नहीं सकता । सूखे पर चर्चा शुरू हो जाय । इसके बाद जवाब देते रहेंगे ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, सदस्यों की भावना को देखते हुए हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप नेता सदन से पूंछें कि कल वह सदन चलाने के लिये तैयार हैं या नहीं ?

(श्री खान गुफरान जाहिदी के खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

नेता विरोधी दल सूखे पर चर्चा शुरू करें ।

गुफरान जाहिदी जी खड़े हैं । उन्हें सुन लिया जाय वह क्या कहते हैं ।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मान्यवर, जो कार्यवाही तय की गयी है उसके हिसाब से माननीय सदस्य बोलें, तो ठीक है । कार्यवाही कार्य मन्त्रणा समिति तय करती है । आप पास कर चुके हैं । उसके हिसाब से अमल होना चाहिए । इसमें कोई नई बात क्या हो सकती है । मेरी राय है कि सूखे पर कार्यवाही शुरू करना चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष—

किरनपाल सिंह जी खड़े हैं । इन्होंने पहले व्यवस्था का प्रश्न उठाया । इनको सुन लिया जाय । तिवारी जी, आप को भी सुन लेंगे ।

श्री किरन पाल सिंह—

मान्यवर, अभी आपने यह व्यवस्था दी है कि कल माननीय मंत्रीगण वक्तव्य देंगे । सरकार की तरफ खामोशी थी । तब नया सवाल पैदा हुआ कि सदन कल चलेगा या नहीं । आपका आशय तो स्पष्ट है, आप चाहते हैं कि कल वक्तव्य आना चाहिए । संसदीय कार्य मंत्री हर बात का तुरन्त खड़े होकर जवाब दे देते हैं । इनसे मैं

इतना चाहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री जी आश्वासन दे दें कि उनकी मंशा कल सदन चलाने की है या नहीं ?

(व्यवधान)

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मान्यवर, जो बात यह रखते हैं उसमें संसदीय कार्य मंत्री के आश्वासन देने की कोई आवश्यकता नहीं है । यह तो पहले से पेश है कि 21-22-23-24 चलेगा । इसमें कोई आश्वासन की जरूरत नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

तिवारी जी को सुन लें । राणा जी आप बैठें । आपको नम्बर-2 पर बुला देंगे ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, उपाध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अभी सूखे पर चर्चा होगी आप लोग शान्ति और धैर्य बनाए रखिए । (शोर)

*श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब कार्य मंत्रणा समिति ने यह सिफारिश की थी और सरकार ने भी यह घोषणा की थी कि सूखे पर दो दिन चर्चा होगी तो मैं आपसे इस पर व्यवस्था चाहता हूं कि आप इन दोनों सिफारिश व घोषणा का परिपालन करायेंगे या नहीं एक बात और दूसरी बात यह कि नियम 276 के अन्तर्गत बड़ी आपत्तियां उठायी गयी और मान्यवर, मैं उन आदमियों में से हूं कि नियमावली के हिसाब से और नियम 276 में . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

तिवारी जी इस पर व्यवस्था हो चुकी है इसलिये इस पर अब कुछ व्यवस्था नहीं होगी ।

(घोर व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मैं एक बात इस आदरणीय सदन के समक्ष बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि मैं इस तरह से शासन पक्ष में बैठे उद्दन्ड लोगों के सामने झुकने वाला नहीं हूं, वह लोग इस प्रकार से शोर करके, यदि वह आज सदन की कार्यवाही को चलने देना नहीं चाहते हैं, तो मैं भी मान्यवर इनके इस व्यवहार के आगे झुकने वाला नहीं हूं और फिर मैं भी सदन की कार्यवाही को चलने नहीं दूंगा, इस तरह से मान्यवर, सदन नहीं चलेगा । अगर मान्यवर कोई मा0 सदस्य अपनी बात को शालीनता से रखना चाहता है, (घोर व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

तिवारी जी 276 पर व्यवस्था हो चुकी है । (घोर व्यवधान)

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, जब सूखे का मामला आता है, जब यह विपक्ष के लोग उसको छोड़ कर किसी दूसरे मसले को उठा देते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि यह सूखे परचर्चा नहीं करना चाहते हैं और यह लोग किसान विरोधी हैं । (घोर व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, सूखे पर चर्चा दो दिनों के लिए तय है और जो माननीय सदस्य आज भाग इसमें नहीं ले सकेंगे तो वह कल बोल लेंगे, इसलिए मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि बिना सदन का समय बर्बाद करवाए केवल यह बुलवा दीजिए कि कल सदन की बैठक होगी या नहीं ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

पहले चर्चा शुरू तो हो, अभी तक यह चर्चा शुरू ही नहीं हो रही है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न सुन लें कृपया । (व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

वर्मा जी, मैं व्यवस्था पर बोल रहा हूं, मा0 उपाध्यक्ष जी, मैं व्यवस्था पर बोल रहा हूं । मेरी पूरी बात को मान्यवर, सुन लें । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

सभी लोग व्यवस्था पर बोल रहे हैं और जिस चीज पर व्यवस्था हो चुकी है, उसको दुबारा कृपया न उठाएं । (शोर)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मैंने एक बात बड़ी नम्रता के साथ स्पष्ट कर दी कि मैं उन आदमियों में से हूं कि जहां तक हो सकता है मैं नियमों के हिसाब से बोलता हूं, लेकिन अगर उधर के लोग धैर्य पूर्वक किसी की बात को सुनना ही नहीं चाहते तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि (घोर व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । (व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

अगर जरा सी नियमों की बात करते हैं तो उधर के सदस्यगण छुई-मुई हो जाते हैं और मुझे जैसा सदस्य जो नियमों की परिधि के बाहर बोलने का प्रयास ही नहीं करता, उसकी आवाज को दबाने का प्रयास करते हैं । अगर मानीटरेसी के जरिये से किसी

की आवाज को दबाने का प्रयास किया जायेगा, तो मैं इसको नहीं मानूंगा । मान्यवर, मैं एक निवेदन कर रहा था, मुझे सुबह से बड़ी परेशानी थी (घोर व्यवधान) । मैं अपनी बात कहे बिना नहीं बैठूंगा । अगर आप चाहें कि भीड़ को खड़ा करके कहें कि मैं बैठ जाऊं तो मैं नहीं बैठूंगा । मेरी बात सुननी पड़ेगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

तिवारी जी, अब आप समाप्त करें ।

(श्री माता प्रसाद पाण्डेय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, जब तक मेरी बात नहीं सुनी जायगी, मैं नहीं बैठूंगा । यहां पर भीड़ का जोर डालकर चर्चा सूखे पर नहीं करनी है तो अभी से अनिश्चितकाल के लिये उठ जाइये । अगर सदन नहीं चलाना चाहते हैं तो इसी समय वह प्रस्ताव लाइये और सदन को चलाने की जरूरत नहीं है । आप इस तरह से सदन नहीं चला पाएंगे... (घोर व्यवधान)... आप इस तरह से सदन चलाएंगे तो नहीं चला पाएंगे ... (घोर व्यवधान) . . . सदन नहीं चलेगा . . . (घोर व्यवधान) . . . सदन नहीं चलेगा (घोर व्यवधान) . . . नहीं चलेगा . . . (घोर व्यवधान) . . .

(बहुत से मा0 सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग आसन ग्रहण करें । तिवारी जी आसन ग्रहण करें । आप सब बैठें । मैं व्यवस्था बनाने के लिये खड़ा हुआ हूं । आप सब लोग बैठें . . . हरदेवजी, आप भी बैठें । सब बैठ जाइये (घोर व्यवधान) . . . मैं आप सब से निवेदन करना चाहता हूं, तिवारी जी आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं . .

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मैं नहीं बैठूंगा ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

तिवारी जी आसन ग्रहण करें । मैं व्यवस्था करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैंने आपको बुलवाया । आप वहां से कोई व्यवस्था नहीं कर पायेंगे । पीठ से ही व्यवस्था हो सकती है । मैं व्यवस्था के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं आपको रोके नहीं रहा हूं । जब व्यवस्था खराब हो गयी तो मुझे खड़ा होना पड़ा । आप सब बैठें । आपस में बात न करें । मैं कोई वैसी बात नहीं कहने जा रहा हूं । जिस तरह का माहौल सदन में बन गया, इससे सदन नहीं चलेगा । एक-एक आदमी बोले तो मैं बुलवा सकता हूं. लेकिन 2-2, 4-4 एक साथ नहीं बोल सकते हैं । मैंने किसी को नहीं रोका है । एक-एक आदमी इधर से बोले और फिर उधर से बोले तो सदन चल सकेगा । मुझे कोई परेशानी नहीं है । अगर सदन व्यवस्थित नहीं होगा तो कार्यवाही कैसे चलेगी । मैंने कहा कि एक-एक आदमी को बुला सकता हूं । किसी को भी बोलने की इजाजत देता हूं तो एक अपनी बात समाप्त न करे तो दूसरे को मैं कैसे बुला सकता हूं । मैंने तिवारी जी के बाद माता प्रसाद पाण्डेय जी को बुलाया था ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मैं तो बोल रहा था, लेकिन हल्ला मच गया ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग बैठें, मैं सबको बोलने का मौका दूंगा ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, सूखे पर आप चर्चा कराइये । यह लोग सदन का समय बरबाद कर रहे हैं, सूखे के अलावा कोई भी चर्चा नहीं होनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस तरह से कोई चर्चा नहीं हो सकती । दोनों तरफ से लोग बोलने लगेंगे तो कोई व्यवस्था या कोई काम नहीं हो सकता । माननीय तिवारी जी आप अपनी बात कहें ।

(घोर व्यवधान)

अगर आप लोग एक दूसरे की बात को सुनेंगे नहीं तो चर्चा कैसे होगी । आप तिवारी जी को अपनी बात कह लेने दीजिये मैं सबको बोलने का मौका दूंगा, तब आप लोग बोल लीजियेगा, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री स्वीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, सूखे पर चर्चा के लिये हमारे मित्र बड़ी जागरूकता दिखा रहे हैं । मुझे खुशी होती, अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने नियमों के अनुमोदन का प्रस्ताव लाकर सूखे पर चर्चा का श्रीगणेश करवाया होता, लेकिन मान्यवर ऐसा नहीं हुआ । आज सारा प्रदेश सूखे से त्रस्त है और मान्यवर यह चर्चा नहीं कराना चाहते, यह कितनी शर्मनाक बात है ? एक निवेदन और करना चाहता हूं कि मान्यवर, नियम 276 में मैं जो कह रहा था . . .

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री गजराज सिंह—

मान्यवर, यह किसान विरोधी लोग हैं, यह सूखे पर चर्चा नहीं होने देना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, आप कुछ कहना चाहते हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मेरा तो वही अनुरोध है कि सभी लोग सूखे पर चर्चा करें । आज प्रदेश में बारिश नहीं हुई है । मैं चाहता हूं कि सूखे पर चर्चा हो जिसके लिये

हम लोग यहां पर बैठे हुये हैं । परन्तु यह व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं यह तो कोई व्यवस्था वाली बात नहीं है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मैं केवल एक निवेदन कर रहा था . . .

(सर्वश्री विजय सिंह राणा, हरिश्चन्द्र, हरीश जी व कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर ।)

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा कौन आदमी है जो व्यवस्था पर नहीं बोलना चाहता ?

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, पूरे प्रदेश के सभी जिलों से सूचना आ रही है कि वहां सूखा पड़ा है । आज पूरा प्रदेश सूखे से प्रभावित है । जो समस्या है, माननीय विरोधी दल के लोग व इधर के माननीय सदस्य भी सूखे पर चर्चा करना चाहते हैं और सरकार द्वारा जो-जो कार्यवाही की गई है, उसकी जानकारी दी जाय और क्या-क्या कदम उठाने जा रही है, उसे सरकार बताये, जिससे लोगों को फायदा हो । लेकिन ऐसा न कर, दूसरे कामों में चर्चा की जा रही है, इससे लगता है कि इन्हें उस बात की चिन्ता नहीं है ।

(थपथपाहट की आवाज और शेम-शेम की आवाज)

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, सूखे के बारे में हम लोग भी चिंतित हैं । कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में हम लोगों ने भी यह धारणा व्यक्त की कि हम लोग भी सूखे पर पूर्ण रूप से चर्चा चाहते हैं । एक व्यवस्था का प्रश्न उठा, और उस व्यवस्था के प्रश्न पर आप एक मिनट के अन्दर अपना निर्णय दे दें तो मामला समाप्त हो जाता, लेकिन जानबूझकर उधर के दमदमी टकसाल के जो लोग बैठे हैं, वह ऐसा माहौल क्रियेट कर रहे हैं, जिससे कि इस सूखे के मामले पर चर्चा न हो पाय । आप भी देख रहे होंगे कि सत्ता पक्ष की तरफ से बराबर गतिरोध पैदा किया जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप ही सूखे पर चर्चा शुरू कर दीजिए ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, पहले आप उधर के दमदमी टकसाल के लोगों को शांत करवायें । हम तो रात भर इस सूखे के विषय पर चर्चा करना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं कह तो रहा हूं कि आप ही सूखे पर चर्चा शुरू कर दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता—

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक तथाकथित भाषण दे दिया । यह साफ-साफ नहीं बताया कि कल भी सूखे पर चर्चा होगी । इसलिए पहले आप मुख्य मंत्री जी

*सभा ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

से कहलवायें कि वह कल सूखे पर चर्चा करेंगे कि नहीं, तभी हम सूखे पर चर्चा शुरू करेंगे । बहुमत के बल पर यह हमारी जुबान को दबा नहीं सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मान्यवर, जैसा कि बार-बार कहा जा रहा है कि सूखे पर चर्चा की जा रही है । यह कोई सिनेमा का टिकट तो है नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय श्री फजलुल बारी साहब, व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री फजलुल बारी—

मान्यवर, आपकी अनुमति से प्रेस गैलरी में लोग बैठते हैं अखबार के सम्वाददाता, सदन की कार्यवाही आपकी अनुमति से छापते हैं, बहुत जिम्मेदार लोग हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि प्रेस के लोगों ने इतनी बड़ी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है कि मुझको मजबूर होकर कहना पड़ रहा है । व्यवस्था का प्रश्न इसी पर है ।

(घोर व्यवधान)

पूरे प्रदेश की जनता भ्रमित हो गयी है कि मुख्य मंत्री जी ने उन तीन मंत्रियों को निकाला है या उन्होंने इस्तीफा दिया है । आप इस बात का स्पष्टीकरण करा दें हाउस में ।

(सत्ता पक्ष एवं विरोध पक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने से घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप बैठें । अब मैं सूखे पर बुलवा रहा हूं ।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा "श्री माता प्रसाद पाण्डेय" का नाम पुकारा गया)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, जिस प्रदेश में पानी का बाहुल्य हो, शस्य श्यामला जमीन हो. . . .

(विरोध पक्ष के अनेक मा0 सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रत्यन करने से उत्पन्न घोर व्यवधान)

श्री पूरन सिंह माहरा—

मान्यवर, ये सूखे पर चर्चा कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं 5—5 एक साथ खड़े हैं । मेरा आरोप है कि आप किसानों के हितैषी नहीं हैं, दुश्मन हैं, व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था फैला रहे हैं, सूखे पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं ।

श्री हरेन्द्र सिंह—

आपने सूखे पर बोलने की अनुमति दी है । मान्यवर, आज सम्पूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकाल की स्थिति है . . .

(विरोध पक्ष के अनेक मा0 सदस्यों के खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने से घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय नेता, विरोधी दल । आप खड़े होकर चर्चा प्रारम्भ कर दें तो यह स्थिति समाप्त हो जायगी ।

श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, नेता विरोधी दल से तो आप कह रहे हैं लेकिन इस सरकार के मुख्य मंत्री, नेता सदन से आप कुछ नहीं कह रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपसे बोलने के लिये ही तो कह रहा हूं और तो कुछ नहीं कह रहा हूं । सूखे पर चर्चा प्रारम्भ करने के लिये कह रहा हूं ।

(घोर व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह—

जिस सूखे के विषय पर आप बोलने के लिये कह रहे हैं, अब समय कितना है ? कितनी चर्चा इस पर हो पायेगी ? सरकार का यह रवैया जो है, सदन का बहुमूल्य समय बरबाद हो रहा है माननीय नेता सदन बैठे हुए हैं, अगर ये कह देते कि यह चर्चा आज के अलावा कल भी करवायेंगे, लेकिन उन्होंने यह न कह कर स्पष्ट कर दिया है । तो एक घंटे में इस पर कितनी चर्चा हो पायेगी ?

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

उपाध्यक्ष जी, आप दो मिनट हमें सुन लीजिये । माननीय मुख्य मंत्री जी, आप सबको इस पर दो-दो मिनट बोलने का मौका दिलवा दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप चर्चा शुरू तो करिये ।

श्री हरेन्द्र सिंह—

इस प्रदेश की खेतिहर जनता सूखे से परेशान है, सूखे से प्रदेश में बड़ी गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी है । इस पर कम से कम चार दिन बहस होनी चाहिये ।

(घोर व्यवधान)

श्री बंशी प्रसाद वर्मा—

व्यवस्था का प्रश्न है । आप सुन लीजिये ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

व्यवस्था की बात सुनी कहां जा सकती है क्योंकि सब खड़े हैं । एक आदमी बोलता है तो चार और खड़े हो जाते हैं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

आप सदन को व्यवस्थित कीजिये । हमारा प्रश्न यह है—

(घोर व्यवधान)

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सूखे की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया । यह बड़ा प्रदेश है और इस बार बरसात न होने से या बरसात देर से होने से जो स्थिति उत्पन्न हो गयी है उससे तीन-चार प्रदेश सूखे की लपेट में आ गये हैं ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

हम 15 मिनट के लिए सदन को स्थगित करते हैं ।

(इस समय 4 बजकर 23 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित कर दी गयी ।)

(4 बजकर 38 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुयी ।)

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मान्यवर, मैं बोल रहा था । 3 तहसीलों में 2 तहसीलें एसी हैं, जहां पर मुकम्मल तरीके से सूखा पड़ा हुआ है । मैं कह रहा था कि जो नहरें हैं, उनमें पानी समय से जाये और पानी रुका हुआ है । माइनरों की सफाई की जाये । लोगों को गेहूं दिया जाये ताकि वह खा सकें । बहुत से ट्यूबवेल एसे पड़े हुए हैं, जहां पर इनर्जी न होने के कारण वह चल नहीं रहे हैं । बिजली किसानों को समय पर दी जाये ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

जाहिदी साहेब, आप बैठें ।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

सरकार ने जो इस साल कदम उठाया है . . .

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें ।

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, उसकी उदासीनता के कारण, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ सदैव आती रही है, और तभी सूखा पड़ता रहा है ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो भाषण देने लगे हैं ।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

आपने माता प्रसाद पांडे जी को बुला लिया है, तो अब व्यवस्था का प्रश्न कहां रह गया । चर्चा शुरू हो गयी है ।

श्री उपाध्यक्ष—

कल्याण सिंह जी, आपकी व्यवस्था क्या है ?

(व्यवधान)

प्रदेश में सूखे की स्थिति पर चर्चा

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, इस प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है कि इस प्रदेश की सरकार एक ही पार्टी की सरकार रही है । इसने इस प्रदेश को दैवी विपत्तियों से बचने के लिये कोई प्रयास नहीं किया है । 1986-87 में सूखे से पीड़ित 40 जिलों में इस सरकार ने कुछ नहीं किया है । वहां पर कोई राहत की व्यवस्था नहीं की है । जो बरसात के आंकड़े हैं, जो हमारे पास हैं, यद्यपि पूरे प्रदेश के उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि बस्ती जनपद जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का है, सबसे अच्छा जनपद है जहां की जमीन शस्य श्यामला है वहां पर पिछले वर्ष जून, 1985 में औसत बरसात 146.1 मिली मीटर, 1986 में जून के महीने में 231.3 मिली मीटर और जून, 1987 में 142.2 मिलीमीटर हुई है और बरसात का औसत 97 दशमलव कुछ मिलीटर होता है । जब मान्यवर, हमारे जिले में स्थिति यह रही है, तो पश्चिमी जिलों में और दयनीय स्थिति है । आज भी सरकार किसानों को पानी देने की बात करती है । मान्यवर, हमारे प्रदेश में 1,72,05,305 हेक्टेयर भूमि में बुवाई होती है जिसमें 60 प्रतिशत से अधिक ऐसे किसान हैं जिनके पास 5 हेक्टेयर से कम जमीन है और जिनके पास सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं । वे किसान जहां अपनी जमीन में उनको धान का बीज डालना होता है पानी न होने की वजह से वह भी नहीं कर सकते हैं । जब उनके पास सिंचन क्षमता नहीं है, वह बढ़ नहीं है तो किसान का उत्पादन कैसे बढ़ सकता है । पिछले वर्ष पानी नहीं बरसा लिहाजा पूरा प्रदेश सूखे से पीड़ित रहा । लोग बुवाई नहीं कर सके । आपके ही कृषि विशेषज्ञ बताते हैं, गांवों के लोग बताते हैं कि 10 प्रतिशत रोपाई भी किसान नहीं कर पाये । बाकी छिटका बुवाई करते हैं । इसके लिए जून के अंतिम सप्ताह में बरसात का होना बहुत जरूरी है । लेकिन जब पानी ही नहीं बरसा तो इससे जाहिर है कि आज पूरा प्रदेश सूखे की चपेट में है ।

मान्यवर, जिस उत्तर प्रदेश की भूमि वेदों में ऋग्वेद में शस्य श्यामला भूमि कही जाती है, जहां की पानी का अभाव नहीं माना गया है वहीं पर आज पीने के पानी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के अभाव में लोग तरस रहे हैं, मर रहे हैं । आज स्थिति यह है कि यहां पर 100 से अधिक लोग पीने के पानी के अभाव में मरे हैं । हमारे प्रदेश में लोग ठंड से और धूप से मर जाते हैं, शासन ने उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं की है । यही नहीं, यह सरकार किस ढंग से वसूली किसानों से बढ़ा रही है, यह किसी से छिपा नहीं है । मान्यवर, कल मैं बस्ती से आ रहा था मुझे बताया गया कि किस तरह से सरकार वसूलियाबी कर रही है । इस सदन में रिजवी साहब ने कहा था कि किसी भी वसूली में किसान के साथ सख्ती नहीं की जायेगी । डुमरियागंज तहसील में 20 लोगों को इसके लिये वहां पर बिठाया गया है । किसानों से सख्ती से वसूली की जा रही है । उन्हें कोई राहत की व्यवस्था नहीं की गई है । मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी, आपको भले ही ज्ञान न हो, 5 अरब रुपये का आपको नुकसान हो गया है । आप आंकड़े मंगाकर देख लें । पूरे उत्तर प्रदेश में पानी का अभाव हो गया है । जहां पूर्वी उत्तर प्रदेश में छिट-पुट वर्षा हो जाती है आप हेड क्वार्टर पर इसके आंकड़े मंगा लेते हैं और एक बार पानी बरसने पर उसकी जो नाप आती है वही आपके पास यहां आ जाती है और उसी के हिसाब से आपके आंकड़े भी बन जाते हैं कि इतना पानी बरसा है । लेकिन स्थिति है कि कहीं पर चारों तरफ पानी नहीं है । कहीं बरसता है कहीं नहीं बरसता है । एक जगह पानी बरस जायेगा तो आपके पास आंकड़े आ जाते हैं । आज पूरा प्रदेश अवरसण से पीड़ित है । इसलिए आज हमारी फसल को जो हानि हुई है उसका आप समुचित निदान निकालें । किसानों की वसूली को तत्काल स्थगित न करें बल्कि मैं चाहता हूं कि आप अपने खजाने से उसकी पूर्ति करें । हो सकता है कि इससे आपको असुविधा हो और आप दयों की पूर्ति नहीं कर सकते तो कम से कम उतने दिनों तक जैसे पिछले दिनों आपने स्थगित किया वैसा कर लें और उसका ब्याज सरकारी खजाने से दें ।

मैं खुलकर कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी आपके उत्तर प्रदेश में भूख से भी यहां पर लोग मरे हैं लेकिन आपके आंकड़े कुछ नहीं बताते हैं । आदमी मर जाते हैं भूख से मरते हैं लेकिन जब पोस्टमार्टम होता है तो आप बता देते हैं कि हैजे से और किसी बीमारी से लोग मरे हैं । लेकिन वास्तविकता यह है कि लोग अन्न के अभाव से मरे होते हैं । आज स्थिति यह है कि तालाबों में जो भसीन होता है उसको पीस कर लोग खाते हैं, आम की गुठलियां खाते हैं । आगे भी यही स्थिति पानी के अभाव में होने वाली है और लोग भूख से मरने वाले हैं । मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि यहां पर 20 प्रतिशत से अधिक लोग भूख से मरे हैं । भले ही आपके आंकड़े कुछ बोलें । यहां पर 150 से अधिक आदमी पीने के पानी के अभाव में और लू के कारण मरे हैं । इन शब्दों के साथ मैं इस विषय पर अपनी बात समाप्त करता हूं क्योंकि कई सदस्य इस चर्चा में हिस्सा लेंगे ।

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, आज सबेरे भी नेता विरोधी दल ने कहा . .

श्री भोपाल सिंह—

पहले हमको बोल लेने दें . . अंत में यह कहेंगे . .

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

अंत में हमारे राजस्व मंत्री जी जबाब देंगे । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप चर्चा में भाग लेंगे, अभी नम्बर आयेगा, मुख्य मंत्री जी को बोल लेने दें ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

यहां पर कहा कि लोग भूख से मर गये, तो कोई आदमी भूख से नहीं मरा है, हमारे पास इतना गल्ला है कि कोई भूख से नहीं मरेगा । यह कहना कि लोग भूख से मर गये सही नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि सूखा काफी हमारे प्रदेश में है । जून में वर्षा बहुत कम हुई, नहीं के बराबर हुई जिससे बुआई बिल्कुल नहीं हो पाई । जहां पर हमारी नहर या ट्यूबवेल हैं यी निजी साधन हैं वहां पर लोगों ने बुआई कर ली नरसरी डाल ली लेकिन जहां सिंचाई के साधन नहीं हैं वहां पर हालत खराब है और बुआई नहीं हो पायी । पूर्वी जिलों में कुछ एरियाज में वर्षा कुछ हुई लेकिन पश्चिमी जिलों में मेरठ कमिशनरी, आगरा कमिशनरी, बुंदेलखण्ड एरिया में वर्षा बहुत कम हुई (व्यवधान) बरेली कमिशनरी, मुरादाबाद कमिशनरी तथा मध्य यू0 पी0 में भी वर्षा कम हुई यह बात सही है । तो इससे काफी नुकसान हुआ है । लेकिन यह कर दिया गया है कि 10 घंटे बराबर बिजली किसानों को दी जाय निजी नलकूपों को भी तथा राजकीय नलकूपों को भी दी जाय । जो अभी तक विद्युत कटौती की गयी थी आज से पूरी कटौती खतम कर दी गयी है चाहे शहरों में हो चाहे उद्योगों में हो अब कोई कटौती नहीं रहेगी ।

हमारे जो विश्व बैंक के जो नलकूप हैं उनको आदेश दिये गये हैं कि कम से कम 18 घंटे उनको बिजली दी जाय ताकि सिंचाई हो सके ।

जहां तक उत्पीड़न की कार्यवाही की बात है 7 जुलाई को आदेश दिये गये हैं जिलाधिकारियों को कि कोई उत्पीड़न की कार्यवाही न की जाय । यह 16 जुलाई को आदेश दिया गया है कि मालगुजारी की वसूली को स्थगित कर दिया जाय, इसकी वसूली न की जाय । इसी प्रकार यह प्रयास किया गया है कि जो भी काम हो सकें सूखा प्रभावित क्षेत्र में एन0 आर0 इ0 पी0 आदि के द्वारा किये जायं । इसके साथ ही डी0 पी0 ए0 पी0 के द्वारा भी सूखा प्रभावित एरियाज में काम किया जाय और जो भी हमारे ग्रामीण रोजगार के कार्यक्रम हैं उनको तेजी से चलाया जाय और विकास के कामों में तेजी लाई जाय । यह भी कहा गया है कि नहरों को पूरी क्षमता से चलाया जाय तथा ट्यूबवेल जहां कही खराब हैं उनकी मरम्मत के लिये पैसे की कमी न हो उनकी मरम्मत की जाय इस प्रकार नहरें और ट्यूबवेल पूरी क्षमता से चलाने के लिये कहा गया है ।

हमने भारत सरकार को भी कहा है कि हमारा प्रदेश सूखे से काफी प्रभावित है इसलिए हम चाहते हैं कि भारत सरकार की टीम यहां आये और यहां का सर्वे करे । तो जो भी सहायता भारत सरकार से मिल सकती है वह हमें दें ताकि और भी कार्यक्रम हम सूखा प्रभावित क्षेत्रों में चला सकें । जाहिर है कि सूखे से काफी एरिया प्रभावित है जिससे काफी परेशानी बढ़ गयी है इसलिये हमारे उपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गयी है ज्यादा से ज्यादा जो हमारे साधन हैं उनका हम उपयोग करें । साथ ही साथ और भी जो निजी साधन हैं या बधियां छोटी-छोटी बांध कर पानी दें सकें तो उसमें तेजी लाई जाय ताकि

जितना हम फसल को बचा सकते हैं बचायें । यह एक दैवी आपदा है उसमें हम जो भी कर सकते हैं जो भी हमारे साधन हैं उसमें कमी नहीं होने दंगे । सरकार द्वारा जितनी सहायता किसानों की हो सकती है वह हम करेंगे । हम अपने क्षेत्र में जाकर देखें, मैंने कल ही कुछ क्षेत्रों में जाकर देखा कि वहां क्या काम हो रहा है, ट्यूबवेल कैसे चल रहे हैं, नहरें कैसी चल रही हैं, मैंने सरपराइज चेकिंग की थी, कहीं कहीं शिकायतें भी मिली । हमने आदेश दिया है कि जो अधिकारी/कर्मचारी इसमें लापरवाही करता है, उसके खिलाफ जितनी सख्त कार्यवाही कर सकते हैं वह करेंगे चूंकि लापरवाही से प्रदेश का और जनता का नुकसान होगा । इसलिये अनुरोध है कि सरकार की जितनी क्षमता है उसके साथ इस सूखे की समस्या का समाधान करने के लिये हर तरह का प्रयास सरकार करेगी ।

(व्यवधान, कई माननीय सदस्यों के बोलने पर कि हमें बोलने का समय दिया जाये ।)

श्री उपाध्यक्ष—

एक साथ सब लोग तो नहीं बोल सकते हैं । श्री राम शरण दास । आप लोग बैठ जायं, श्री रम शरण जी को बुला लिया है ।

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, इन्हीं मुख्य मंत्री के समय में पिछले साल और इस साल भी पानी बरसना ही बन्द हो गया है, पता नहीं किस ज्योतिषी से हाथ दिखाकर यह मुख्य मंत्री बने थे । जब यह आये तो बाढ़ के जरिए यहां आये थे और तबसे दो सालों से यहां सूखा ही सूखा पड़ा है । इसलिये मैं आपके माध्यम से इनसे कहना चाहता हूं कि हमारे यहां, सहारनपुर में, चारा नहीं रहा है, गन्ने की फसल झुलस गयी है, मक्का की फसल बरबाद हो गयी है, ज्वार समाप्त हो गयी है और नहरों से पानी नहीं मिल रहा है चूंकि वह बन्द पड़ी है या ठीक से पानी नहीं दे रही हैं । ट्यूबवेल सूख गये हैं, निजी ट्यूबवेलों का पानी नीचे चला गया है, इसलिये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और खासतौर से सहारनपुर की हालत बहुत खराब हो गयी है जिससे वहां की जनता भुखमरी के कगार पर पहुंच गयी है । इसलिये मुख्य मंत्री जी बिजली की जो 10 घंटे की सप्लाई की घोषणा की है उससे काम नहीं चलेगा, इसका समय और बढ़ायें । सरकारी ट्यूबवेल खराब पड़े हैं नहरें पानी ठीक से नहीं दे रही हैं, धान अभी तक नहीं लग सका है, चारा नहीं है और पूरे प्रदेश में अकाल की स्थिति हो गयी है । मान्यवर, जैसा अभी श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी कह रहे थे कि वसूलयाबी बराबर जारी है, चैलेन्ज के साथ मैं कह सकता हूं और इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं कि आपके अमीन गांव गांव में घूम रहे हैं, वह किसानों को प्रतीड़ित कर रहे हैं, लोगों को पकड़ा जा रहा है, इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पूरे प्रदेश में, खासतौर से, मेरठ डिवीजन को आप सूखाग्रस्त घोषित करें और जितने राहत कार्य हो सकते हैं वह वहां ज्यादा से ज्यादा करायें । यदि आप किसानों के साथ खिलवाड़ करेंगे तो वह भूखों मर जायेंगे । मान्यवर, आज किसान इनके कारनामों से पीड़ित और दुखी है, इधर सूखे की मार और उधर इनकी मार उसके ऊपर पड़ रही है, इसलिये मेरठ डिवीजन को आप सूखाग्रस्त तत्काल घोषित कर ।

***श्री राजेन्द्र शर्मा—**

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि सूखे जैसे महत्वपूर्ण विषय पर, जिसमें सत्ता पक्ष के सभी लोग विजी थे और प्रदेश के किसान व इस सदन के सभी माननीय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सदस्य परेशान हैं, बोलने का अवसर दिया । आज हमारी सरकार बराबर चिन्तित है कि इस बड़े सूखे से कैसे निपटा जाये । माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो इस सम्बन्ध में घोषणा की है, उसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देना चाहता हूं । अभी रामशरण दास, मेरठ मंडल के सूखे के बारे में भाषण कर रहे थे, यदि मेरठ जिला में सन् 82 से 87 तक के वर्षा के चार्ट पर ध्यान दिया जाए तो यह वर्ष किसानों की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष रहा है । जून माह में मेरठ व बुलन्दशहर में कम से कम वर्षा हुई है । जिससे खरीफ की फसल पूरे मेरठ मंडल के अन्दर करीब करीब 50 प्रतिशत नष्ट हो गई है । खेती सूख गई है और खेती सूखने के कारण चारे का जबरदस्त अभाव वहां पैदा हो गया है । चारे की कमी हो जाने के कारण पशु भारी बीमारी का शिकार हो रहे हैं । जानवरों की बीमारी के कारण आदमी भी बीमारी से प्रभावित हो रहे हैं ।

गन्ना की फसल जो मेरठ मंडल में मुख्य फसल होती है, उसमें बुआई से लेकर अब तक 30 प्रतिशत फसल वर्षा न होने के कारण चौपट हो गई है । बिजली आपूर्ति के बराबर अश्वासन देने के बावजूद मेरठ में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, जहां कहीं तीन घंटे से अधिक बिजली आती हो । सरकार की घोषणा के अनुसार 10 घंटे का तो कोई सवाल ही नहीं है । इस 10 घंटा बिजली आपूर्ति के स्थान पर आप 12 घंटा बिजली आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करायें, तभी गन्ने की फसल बर्बाद होने से रुक सकती है । धान की बुआई जो होनी थी, वह भी करीब 30 प्रतिशत ही धान की रोपाई हो पाई है और जो अरली वैराइटीज थीं, उसमें भी करीब करीब 30 प्रतिशत फसल नष्ट हो गई है । खरीफ की फसल ही सूखे से नष्ट नहीं हुई है, बल्कि आने वाली रबी की फसल पर भी इस सूखे का गम्भीर प्रभाव पड़ेगा । मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी हालत में मेरठ जिले की जो दो बड़ी नदियां हैं, काली और कृष्ण हिंडन, इनके आस-पास भयानक सूखा पड़ता है, के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए । काली नदी में पहले छोटी-छोटी नदियों का पानी छोड़ा जाता था, उसी तरह फिर उसकी सफाई करके उसमें उनका पानी छोड़ा जाये जिससे जो 7 फुट वाटर लेवेल नीचे चला गया है, उसे ऊपर लाया जा सके । जो उनको आज हर फसल सूखे से नष्ट हो गई है, उसके लिए मेरा आपसे अनुरोध है कि केवल रिकवरी को स्टे करायें, बल्कि किसानों पर जो ऋण है, उसको माफ करायें । साथ ही किसानों को पूरी बिजली दें और अन्य सुविधाएं देकर किसानों को इस भयानक सूखे से निपटने के लिए शक्ति प्रदान करें । . . .

(श्री कल्यान सिंह का नाम पुकारे जाने पर) (व्यवधान) जैसा कि हमारी सरकार की नीति रही है और आजादी के बाद बराबर प्रयास रहा है, किसान हमारी अर्थ व्यवस्था की आधारशिला हैं, उसकी मदद करने की कृपा करें । (धन्यवाद)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

एक साथ कैसे बोल लेंगे ?

श्री भोपाल सिंह—

हमारे क्षेत्र में पीने का पानी नहीं है, आप हमें बुलवा नहीं रहे हैं . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

क्या इनके क्षेत्र में वर्षा हुई है । क्या कल्यान सिंह के क्षेत्र में सूखा नहीं है, तो आप नहीं उनको बोलने दे रहे हैं ?

श्री भोपाल सिंह—

हमने नियम 301 में, 56 में लिखकर इस पर आपको दिया कि हमारे क्षेत्र में पीने को पानी नहीं है . . . (व्यवधान) आप मुझे बुलवाइए । मेरे क्षेत्र में कई लोग मारे गये हैं आप कभी भी बोलने का मौका नहीं देते हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

बोलने का मौका सबको मिलेगा आप आसन ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

श्री भोपाल सिंह—

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में पीने का पानी नहीं है . .

(व्यवधान)

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)—

मान्यवर, यह लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं, कितने सदस्यों को बोलने का मौका मिलेगा इसलिए हर सदस्य अपने क्षेत्र की बात रखना चाहते हैं । माननीय कल्यान सिंह जी को आदेश आपने दिया है, लेकिन आप यह सुनिश्चित कर दें कि कितने बजे तक आप सदन को चलायेंगे ताकि सभी माननीय सदस्य निश्चित रहें, कि चर्चा में भाग लेने का मौका मिल जाएगा । तो मान्यवर आप यह बता दें कि कितने बजे तक सदन चलायेंगे । सूखे की चर्चा के लिए जिन लोगों ने मांग की है उनको भी आप बुलवायें ।

श्री उपाध्यक्ष—

जब तक आप चाहेंगे सदन चलेगा । सब बोलेंगे ।

(व्यवधान)

श्री भोपाल सिंह—

पहले आप मुझे बुलवाइए, नहीं तो सदन नहीं चलेगा । मेरे क्षेत्र में लोग मर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री बाबूराम यादव—

मैं पूरे सत्र में बाहर रहा मेरी बात सुननी चाहिए मुझे अवसर मिलना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आपको भी अवसर मिलेगा मैंने कल्यान सिंह जी को बुलाया है आप भी बोलेंगे लेकिन पहले उनको बोल लेने दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री भोपाल सिंह—

आप हमको क्यों नहीं बुलवाना चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

पहले लीडर बोलेंगे तब कोई और बोलेगा ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

व्यवस्था जैसी है मैं तो वैसे ही करूंगा । परम्परा यही रही है कि लीडर पहले बोलते हैं बाद में और लोग बोलते हैं । लीडर खड़े रहें और मैं आपको बुलवा दूं यह तो परम्परा नहीं है । इसमें तो परम्परा का दोष है मेरा दोष नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री भोपाल सिंह—

इतनी पानी की समस्या कहीं नहीं होगी जितनी कि मेरे क्षेत्र में है ।

(व्यवधान)

श्री बाबूराम यादव—

मान्यवर, न तो आप इनको (भोपाल सिंह) बुलवाइए, न इनको (कल्यान सिंह) बुलवाइए, मैं पूरे सत्र के बाद आया हूं इसलिए मैं बोलूंगा ।

श्री भोपाल सिंह—

मान्यवर, उनके बाद हमारा नम्बर आयेगा या नहीं । मान्यवर, उनके बाद हमको बोलने का अवसर दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

बी0 जे0 पी0 के बाद जनता पार्टी बोलेगी । आपका नम्बर बाद में आयेगा ।

श्री बाबू राम यादव—

मान्यवर, पहले हमें बुलवाइये ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें । कल्यान सिंह जी को बोलने दें । आपके दल के रामशरण दास जी बोल चुके हैं ।

श्री बाबू राम यादव—

मान्यवर, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह अधिकारों का हनन नहीं है यह परंपरा और व्यवस्था है ।

श्री बाबू राम यादव—

आप बराबर मौका उन्हीं लोगों को देते हैं जो रोज बोलते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय कल्यान सिंह को समय दिया है, वह बोलेंगे ।

श्री बाबू राम यादव—

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

आप जो बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायगा ।

नोट—[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री बाबू राम यादव—

[× × ×]

श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, आपने सदन की भावनाओं को समझा, यह ऐसा सवाल है जिस पर ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी बात कहना चाहते हैं । यह स्वाभाविक भी है क्योंकि प्रदेश का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो सूखे से प्रभावित न हो । मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि सूखे के ऊपर होने वाली बहस को कल भी जारी रखा जाय ।

श्री लाल प्रताप सिंह—

आपकी कोई चीज सुनायी नहीं पड़ रही है ।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

आपकी आवाज सुनायी नहीं पड़ रही है ।

श्री सत्यपाल सिंह—

आवाज नहीं आ रही है ।

(माननीय कल्यान सिंह दूसरे माइक पर आ गये ।)

श्री कल्यान सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी सूखे का सवाल ऐसा सवाल है जिससे पूरा प्रदेश प्रभावित है । मान्यवर, आपने सदन की भावनाओं को देखा होगा कि ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहते है और उनका ऐसा सोचना स्वाभाविक है । मैं चाहता हूं कि सूखे पर चलने वाली बहस को कल भी जारी रखा जाय और सरकार को भी इसमें कोई जिद नहीं होना चाहिए । अगर सरकार वास्तव में ईमानदारी से राहत कार्यों को चलाना चाहती है तो प्रदेश के किन क्षेत्रों में सूखे की उग्रता व्याप्त है इसको जान ले । मैं समझता हूं कि दोनों पक्षों को इसमें रुचि है । दोनों तरफ के लोग सूखे पर बोलना चाहते हैं इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सूखे की चर्चा को आज ही समाप्त न किया जाय कल भी चालू रखा जाय । आज मान्यवर, सूखे से पूरब प्रदेश तबाह हो चुका है वर्षा नहीं हो रही है और करोड़ों किसानों की जिन्दगी तबाह हो रही है । एक फसल नहीं दो-दो फसल बरबाद हो रही है । खरीफ की फसल तो जलकर खाक हो चुकी है और रबी की फसल के लिए जो बुवाई की तैयारी होनी चाहिए वह नहीं हो पा रही है । आज इस अवर्षण के कारण केवल खरीफ की फसल बरबाद नहीं हुई है, रबी की फसल भी बरबाद होने जा रही है । इतना ही नहीं कुओं के सूख जाने से पीने के पानी का भी भीषण संकट पैदा हो गया है । अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ घोषणाएं कीं कि बिजली देंगे 10 घंटों तक और पानी देंगे बम्बों में । मैं सरकार को बता देना चाहता हूं कि आज की स्थिति यह है कि यह सरकार इस सदन में बैठकर घोषणाएं चाहे कितनी ही क्यों न करें लेकिन सच्चाई यह है कि गांवों में नलकूपों के लिए बिजली नहीं दी जा रही है । 24 घंटे में 4 घंटे और 4 घंटे में भी 14 ट्रिप जा रहे हैं ।

नोटः— [× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

रजबहा सूखे पड़े हैं । रजबहों में पानी नहीं है । किसान तबाह हो रहा है । यह किसान की 3/4 आबादी वाला प्रदेश है अगर यह किसान चौपट हो गया तो प्रदेश का कोई विकास सम्भव नहीं है । अगर हमारी खेती चौपट हो गयी तो प्रदेश का औद्योगिक विकास भी नहीं होगा । अगर खेत में खाद्यान्न उत्पादन नहीं हुआ तो लोग भूखों मरने की स्थिति में आ जायेंगे अगर युद्धस्तर पर सूखे का मुकाबला करने का कदम नहीं उठाया गया तो कम ही दिनों में भुखमरी की स्थिति आ जायेगी । मान्यवर, सरकार की जितनी भी घोषणाएं हैं इनके अधिकारी उन घोषणाओं को मानने के लिए तैयार नहीं हैं वह जानते हैं कि सरकार जाने वाली है, अस्थिर सरकार के आदेशों का क्या पालन करना । आज माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि उन्होंने आदेश दिया है कि किसानों के उत्पीड़न की कार्यवाही न की जाय, हमारे कांग्रेसी मित्रों ने मेज थपथपाई और घोषणा का स्वागत किया । स्वागत होना चाहिए, लेकिन अगर उस घोषणा का क्रियान्वयन न हो तो क्या कीजियेगा? इनकी हालत यह हो गयी है कि सरकार तो सदन में बैठकर कुछ भी घोषणा करे अधिकारी उसको मानने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वीर बहादुर सिंह के शासन का नियंत्रण नौकर शाही पर समाप्त हो चुका है । मैं इस सम्बन्ध में केवल एक उदाहरण दूंगा, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता ।

मान्यवर, एक ओर तो सरकार का आदेश जाता है कि किसानों के उत्पीड़न की कार्यवाही न हो और दूसरी ओर मेरे क्षेत्र के 22 गांव शाहपुर कोटरा, तहसील अतरोली, जिला अलीगढ़ के एक छोटे लाल की जमीन को वहां के नायब तहसीलदार, तहसीलदार और एस0 डी0 एम0 ने मिलकर नीलाम कर दिया है । क्या हुआ आपके आदेश का । कर्जा था उसके ऊपर ट्रैक्टर का, एक चौथाई भाग उसने जमा कर दिया था और बाकी जमा करने की बात थी लेकिन उस गरीब की जमीन को नीलाम कर दिया । आज वह गरीब दर-दर की ठोकरें खा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है । एक आश्चर्य की बात है कि उस व्यक्ति के ट्रैक्टर कर्जे की किश्तें मुख्य मंत्री जी ने दी, कलेक्टर मानने को तैयार नहीं है । कलेक्टर ने कहा कि ऐसे आदेश आते जाते रहते हैं । अब मुख्य मंत्री जी होते तो कहता । मान्यवर, यह तो केवल एक उदाहरण दिया गया है ऐसे उदाहरण खोजे जायेंगे तो कोई निर्वाचन क्षेत्र नहीं होगा जहां किसानों के उत्पीड़न की कार्यवाही न हो रही हो ।

सरकार ने जितनी घोषणायें की हैं मैं उन राहत के कार्यों को अपर्याप्त मानता हूं । मेरा कहना है कि यह सरकार घोषणा करे कि उत्तर प्रदेश के किसान जितने सूखे से प्रभावित हैं, जिनकी खरीफ की फसल जलकर नष्ट हो गयी है और रबी की फसल को बुवाई के लिए जमीन तैयार नहीं हो पाई है । ऐसे सभी किसानों के सारे कर्जे माफ किये जायं, सरकारी देय माफ किये जायं, उत्पीड़न की कार्यवाही समाप्त की जाय और उत्पीड़न की कार्यवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाय । जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी फीस माफ की जाय तथा गांवों में रोजगार के साधन उपलब्ध कराये जायं । 10 घंटे की बिजली नाकाफी है अगर सूखे का मुकाबला करना चाहते हैं तो ग्रामीण अंचलों के लिए कम से कम 15 घंटे बिजली देनी चाहिए । हमारी यह भी मांग है कि बम्बे में पानी अनवरत रूप से चलाया जाय जिस क्षेत्र के अन्दर बिजली समय से नहीं आ रही है और बम्बे नहीं चल रहे हैं वहां के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए । मान्यवर, सरकार इन 3 घोषणाओं को करे तभी माना जायेगा कि सरकार कुछ कार्य ईमानदारी से करना चाहती है अन्यथा सरकार की खाली ढपोरशंखी घोषणाओं से किसान का कुछ भला होने वाला नहीं है और इसीलिये इस सरकार पर से किसान का विश्वास उठ गया है । सरकार के घड़ियाली आंसुओं से जलती हुई फसलों को पानी नहीं मिल सकता ।

मेरी आपके माध्यम से पुनः सबल शब्दों में मांग है कि सूखे पर होने वाली चर्चा को आज ही न समाप्त करें । कल कोई बादल नहीं फट जायेंगे । यदि यह चर्चा कल भी जारी रहेगी तो बहुत से सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा ।

*श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सूखे पर चर्चा करने का मौका दिया । सूखे से आज जितना नुकसान किसानों का हो रहा है, उसका आकलन नहीं किया जा सकता । लोग बाढ़ के नुकसान का आकलन कर लेते हैं लेकिन सूखे के नुकसान का आकलन नहीं हो पाता । पश्चिम में सूखा है । पूर्व में वर्षा हुई है लेकिन वहां भी कुछ इलाके हैं जहां पर थोड़े एरियाज में वर्षा हुई है सभी जगह नहीं । सुलतानपुर में आजतक वर्षा नहीं हुई । अगर वर्षा हुई भी है तो बहुत थोड़े एरिया में मुख्य मंत्री जी ने राहत की घोषणा की है, उसका स्वागत करता हूं । लेकिन अधिकारी लोग किसानों को इन राहतों को पहुंचा नहीं पा रहे हैं । वह देख रहे हैं कि जहां पानी बरस गया है वहां वसूली जारी रखें । जहां पानी गिरा है वहां वे राहत सामग्री नहीं पहुंचाते । जहां पानी नहीं गिरा है वहां उत्पीड़न की कार्यवाही रोक रखी है, राहत पहुंच रही है । अधिकारियों का यह डिस्क्रिशन ठीक नहीं है । अगर थोड़े क्षेत्र में वर्षा हो गयी है तो इसके माने यह नहीं है कि उस संपूर्ण क्षेत्र को छोड़ दिया जाये । वहां भी राहत पहुंचानी चाहिये । अधिकारी कहता है कि जहां पानी गिर गया है वहां वसूली जारी रखेंगे । राहत घोषणाओं का किसान को पूरी तरह से लाभ मिलना चाहिये ।

सुल्तानपुर में थोड़ा-सा पानी गिरा है । जून में बिलकुल ही पानी नहीं गिरा । जुलाई में थोड़ा-सा पानी गिरा है, जो बिल्कुल ही नाकाफी है । किसान की हालत है कि बैल ले जाकर जोत नहीं सकता । बुवाई का तो प्रश्न ही नहीं है । इस प्रकार सूखे के कारण बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गयी है । सुल्तानपुर को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करवायें । लोगों को राहत दिलवायें । सूखे से भीषण संकट है । पूरा प्रदेश परेशान है, किसान परेशान है । सरकार से जो हो रहा है वह कर रही है । केवल ताकीद की जरूरत है । जो घोषणायें की गयी हैं, किसानों को नहीं मिल पा रही है, उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाये । इन शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

श्री अशोक बाजपेयी के बोलने पर एतराज हो तो आपको बुलवा दूं?

श्री भोपाल सिंह—

हम बहिष्कार कर देंगे सदन का ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो आपकी बात है, हम क्या कहें । जो परम्परा है, उसी के हिसाब से बुलवाया जायेगा । यह तो नहीं हो सकता कि लीडर खड़ा रहे और आप बोलते रहें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हरेन्द्र सिंह—

मेरे यहां पीने का पानी नहीं है । मेरठ मंडल का सवाल है । मैं सूखे पर बोलना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

जब आपका नम्बर आयेगा तब कहियेगा । अशोक बाजपेयी जी भी सूखे पर ही बोलेंगे । वह और कुछ नहीं बोलेंगे । आप लोग अपना समय स्वंय बरबाद कर रहे हैं, नहीं मैं इस तरह से किसी को नहीं बोलने दूंगा । श्री अशोक बाजपेयी जी को मैं बुला चुका हूं, वह बोल लेते 5 मिनट फिर आप बोलते, कृपया बैठिए ।

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, आज पूरा प्रदेश भयंकर सूखे की लपेट में है और मान्यवर, इस सरकार को सूखे की स्थिति से निपटने का अवसर नहीं है । (शोर)

श्री हरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, आपका यह तरीका अलोकतांत्रिक है, मान्यवर, मेरी भी बात सुनी जाए । (शोर)

श्री भोपाल सिंह—

मान्यवर, मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है, हमारे यहां मान्यवर, मेरठ की स्थिति भी बड़ी भयंकर है सूखे के कारण । (शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं किसी को मौका नहीं दे रहा, अशोक बाजपेयी जी आप अपनी बात चालू रखिए ।

*श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, आज सारा प्रदेश भयंकर सूखे की चपेट में है लेकिन मान्यवर, इस सरकार के सिवाय अपनी कुर्सी बचाने के अलावा और कोई काम नहीं है और जो भागीदारी कांग्रेस पार्टी में आपस में व्याप्त है, उससे यह मुख्य मंत्री और सारा मंत्रि-मण्डल आज कल बहुत परेशान है और दूसरी तरफ मान्यवर, सारे प्रदेश की खड़ी फसलें नष्ट हो रही हैं और नहरों में पानी की व्यवस्था भी बड़ी दयनीय है । (व्यवधान)

श्री भोपाल सिंह—

मान्यवर, आज पूरा मेरठ मंडल भी सूखे से पूरी तरह से पीड़ित है मान्यवर, मेरी बात को भी सुना जाए ।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री बाजपेयी जी, आप अपनी बात को जारी रखिये ।

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, मैं कह रहा था कि आज नहरों के पानी की व्यवस्था व अन्य नलकूप व बिजली की आपूर्ति आदि की व्यवस्था बड़ी दयनीय है और यह सरकार द्वारा घोषणा की जा रही है कि हम ग्रामीण-क्षेत्रों में 15 से 16 घंटे तक बिजली अवश्य उपलब्ध करा देंगे लेकिन आज मान्यवर, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आज ग्रामीण क्षेत्रों में 8 घंटों से अधिक बिजली उपलब्ध नहीं हो सकती है और उसमें भी मान्यवर, बड़े

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

व्यवधान के साथ । इधर किसान अपने खेतों में पानी देने के लिए जाता है, उधर बिजली चली जाती है, फिर वह घंटों बिजली के इंतजार में अपना समय नष्ट कर रहा है, फिर थोड़ी देर के लिए आती है और फिर उसी प्रकार से चली जाती है, इसी के साथ मान्यवर, इनकी नहरों की व्यवस्था भी बड़ी दयनीय रही है और जितनी इनकी सिंचन क्षमता थी, उसके अनुसार मान्यवर 25 फीसदी भी पानी नहीं दिया गया है । मान्यवर, इस प्रकार से किसान एक तरफ तो सूखे की स्थिति से पूरी तरह से परेशान है और दूसरी तरफ इस सरकार द्वारा निरन्तर किसानों के कर्जों की माफी की घोषणा होने के बावजूद कर्जे माफ नहीं किये जा रहे हैं और तहसील के कर्मचारी उन्हें बराबर परेशान कर रहे हैं, उनके खेतों को नीलाम करके, उनके जानवरों को नीलाम करके और उनके ट्रैक्टर्स को नीलाम करके परेशान कर रहे हैं ।

इस प्रकार से आज प्रदेश का किसान सरकार की इस दोहरी नीति का शिकार है और मान्यवर, मेरा क्षेत्र हरदोई भी इस विपदा से 85 फीसदी परेशान है और पूरा जनपद भयंकर सूखे की लपेट में है, इसका धान सूख रहा है, इसकी ज्वार सूख रही है और पूरी खरीफ की फसल पूरी तरह से प्रभावित है । वहां की नहरों की व्यवस्था, राजकीय ट्यूब-वेल आदि सब बंद पड़े हुए हैं और मैंने इस संबंध में पहले भी दावे के साथ कहा था कि वहां पर 70 परसेंट से अधिक नलकूप व्यवस्था बंद पड़ी हुयी है और दूसरे बिजली व्यवस्था भी पूरी तरह से फसलों को नष्ट करने पर उतारू है, नहरों की व्यवस्था भी पानी की सही नहीं है, इन कारणों से आज पूरी तरह से किसान एक तरफ तो व्याकुल है और दूसरी तरफ सरकारी ज्यादतियों के कारण किसान परेशान है उस पर दिन पर दिन उत्पीड़न की कार्यवाही बढ़ रही है और दूसरी तरफ माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हमने निर्देश दे दिये हैं किसानों पर ज्यादती न की जाय और इनकी राहत के लिए कदम उठाये जा रहे हैं, लेकिन मौके पर मान्यवर, आज किसान उसी प्रकार से परेशान है, इस लिए मान्यवर, मैं चाहूंगा कि सदन में आज जो इस गम्भीर विषय पर चर्चा हो रही है इसको और लम्बा चलाया जाय ताकि सारे प्रदेश की इस सूखे की स्थिति पर कठोर कदम उठाये जायं और उन्हें पूरी तरह से राहत पहुंचाई जाये । मान्यवर, आज खेतों में पैदावार न होने की वजह से खेतिहर मजदूर भी अपनी जगह बहुत परेशान है, उसको अपने और परिवार वालों की (इस समय 5 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए) जीविका चलाना दूभर हो रहा है, इसलिए इस ओर भी सक्रिय कदम उठाये जायें । पिछले समय में जब जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय भी जब ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था तो इन सारी परिस्थितियों को निपटाते हुए खेतिहर मजदूरों की जीविका हेतु उन्हें भी काम उपलब्ध कराये गये थे । और यह शासन ने घोषणा की थी कि एक भी खेतिहर मजदूर को भूख से पीड़ित नहीं होने दिया जायगा । लेकिन इस शासन को ऐसी कोई योजना नहीं चल रही है । यह सरकार किसान विरोधी सरकार हो गयी है । यह किसानों का हमदर्द होने का दावा करने वाली सरकार प्रदेश के 85 फीसदी किसानों के हितों की उपेक्षा कर रही है ।

मेरी इस सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी की सरकार से गुजारिश है कि वे कुर्सी की जोड़-तोड़ से मुक्त होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करें और सूखे का सामना करने के लिये प्रभावी कदम उठायें । इस सरकार का अपने सदस्यों पर से विश्वास उठ गया है, इसका अपने विधायकों पर से विश्वास उठ गया है, इसीलिए कोई भी विभाग का अधिकारी भी इनकी बात मानने के लिये तैयार नहीं है और इनके आदेशों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है माननीय मुख्य मंत्री जी इस सदन में घोषणा करें कि

सूखे से निपटने के लिये प्रभावी कदम उठाये जायेंगे । मैं आपसे चाहता हूं कि आप स्वयं अपने गरिमामय पद का उपयोग करके इस शासन का ध्यान आकर्षित करावें इस गम्भीर सूखे की ओर, जिससे कि किसानों की इस गम्भीर समस्या का निराकरण कराया जा सके । सूखे से निपटने के लिये वैकल्पिक व्यवस्थाएं करें । खेतिहर मजदूरों, जिनकी जीविका के लिये प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, ऐसी गम्भीर स्थिति में उनके लिये कोई व्यवस्था करें । बिजली आपूर्ति के बारे में जितनी घोषणाएं की गयी हैं, जितनी योजनाएं बनाई गयी हैं, कम से कम उसको 3/4 बिजली उपलब्ध हो सके, ऐसी व्यवस्था करें । नहरों के बारे में देखना होगा कि वे अपनी सिंचन क्षमता के अनुरूप काम कर सकें । केवल आंकड़ों में घोषणा से ही नहीं, वास्तव में देखना होगा कि बिजली मिल रही है या नहीं, नहरें पानी दे रही हैं या नहीं, राहत का का काम ठीक से किया जा रहा है या नहीं । प्रदेश के करोड़ों मजदूर आज भूख से पीड़ित हैं, उनके लिये रोजगार की वैकल्पिक व्यवस्था की जाय । एन0 आर0 ई0 पी0 की तथा अन्य तमाम योजनाएं बेकार साबित हुई हैं, इनके लिये भी प्रभावी कदम उठाएं ।

*श्री नरेन्द्र देव—

माननीय अधिष्ठाता जी आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ...

श्री अधिष्ठाता—

बोलने वाले ज्यादा हैं, इसलिये समय कम मिलेगा ।

श्री नरेन्द्र देव—

आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिये धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, मैं मिर्जापुर जिले से आता हूं । मिर्जापुर जिले में पिछले 20 वर्षों से औसत फसल बहुत कम हुई है और लगातार 6 साल से वहां पर सूखा पड़ रहा है । मिर्जापुर एक पहाड़ी इलाके पर बसा हुआ जिला है और बहुत लम्बा जिला है । मान्यवर, वहां पर असिंचित भूमि बहुत अधिक है । खास तौर से मेरे निर्वाचन क्षेत्र कड़िया, मधुपुर आदि ऐसे इलाके हैं, जहां पर टैंकरों से पानी कभी-कभी पहुंचाया जाता है । मेरा इस सदन में कहना है कि इस वर्ष उनको टैंकरों से भी पानी नहीं पहुंचाया गया और बड़ी बुरी हालत में वहां के लोग जी रहे हैं । मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक तो पिछले 20 वर्षों से औसतन फसल कम हो रही है, दूसरे वहां के लोग कर्जे से लदे हुए हैं और वहां पर इतनी उत्पीड़न की कार्यवाही जब शुरू होती है तो गांव के गांव खाली हो जाते हैं । लोग गांव छोड़कर भागना शुरू कर देते हैं, मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो बांध हैं, जैसे जाखो बांध और भी जितने बांध हैं, उनका जल स्तर और वर्षों से सबसे नीचा रहा है, इस वर्ष । कई बांध तो पूर्णतया सूख चुके हैं । अभी तो बरसात हुई है वह इतनी पर्याप्त नहीं है कि वहां पर पेयजल की आपूर्ति हो सके । अब भी वहां पर गर्मियों वाली स्थिति है । इस समय भी वहां पर पेयजल आपूर्ति के लिये प्रशासन को प्रयास करना होगा ।

मान्यवर, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के घुरावल के उन जंगलों की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं वहां पर आज तक सड़क नहीं पहुंची है । वहां पर भी चाहता हूं कि नहर को रोक कर किसी तरह से पेयजल की आपूर्ति के लिये व्यवस्था

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

करा दें । उससे कभी-कभी सिंचाई की जाती थी । इस बार तो उनकी मूंग की हालत बहुत खराब है । क्योंकि पहाड़ी नालों में पानी नहीं आ सका है । माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से उ0 प्र0 सरकार से मांग करना चाहूंगा कि मिर्जापुर में समस्त वसूलियां तत्काल स्थगित करके राहत पहुंचाई जाय । पिछले 20 वर्षों से चूंकि वहां पर फसल औसतन कम हुई है, इसलिये वहां पर छोटे कर्जे माफ किये जायं और अन्य सहूलियतें जिला प्रशासन द्वारा वहां के लोगों को उपलब्ध करायी जायं । धन्यवाद ।

(श्री भोपाल सिंह के बुलाये जाने पर)

श्री बाबू राम यादव—

मान्यवर, मैं तो इतने दिन बाहर रहने के बाद आया हूं, मुझे मौका दें । मान्यवर, यह तो एक माह से लगातार बोल रहे हैं, सारी समस्याओं को इन्होंने साल्व कर लिया है ।

श्री भोपाल सिंह—

मैंने तो आपको नहीं भेजा, आप क्यों बाहर रहे ?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य आपस में बात न करें । मैंने माननीय भोपाल सिंह को बुला लिया है ।

*श्री भोपाल सिंह—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अधिकांश जगहों पर वर्षा न होने के कारण अकाल जैसी समस्या उत्पन्न हो गयी है । मेरठ मण्डल में, मेरठ जनपद में, वर्षा न होने की वजह से, अकाल की वजह से, पूरी फसल नष्ट हो गयी है । पीने के पानी की समस्या वहां उत्पन्न हो गयी है । मान्यवर, मैं मेरठ जनपद के जिस चुनाव क्षेत्र बरनावा से जीत कर यहां आया हूं, वहां पेयजल की योजना का कार्य जल निगम द्वारा चल रहा है, परन्तु वह अभी तक कम्पलीट नहीं हो पाया है । दो साल पहले बरसाती नहर के लिये वहां परिकल्पना की गयी थी, लेकिन वहां भी कोई काम अभी तक नहीं हो पाया है । मान्यवर, मेरे क्षेत्र में सौ प्रतिशत हैंड पम्पों ने काम करना बंद कर दिया है । बिजली बहुत कम आती है । वहां पर 10-20 लोगों की पेयजल के अभाव की वजह से मृत्यु भी हो गयी । मेरा यह अनुरोध है कि वहां टैंकरों के द्वारा पानी की तत्काल व्यवस्था करायी जाय । जल निगम द्वारा नये हैंड पम्प वहां लगवाये जायं । वहां हैंड पम्पों की स्थिति यह है कि 300 फुट बोरिंग पर लग सकते हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य शान्ति बनाये रखें ।

श्री भोपाल सिंह—

जल निगम द्वारा जो हैण्डपम्प लगाये जा रहे हैं, वह 100 फीट के आधार पर है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री भोपाल सिंह—

मान्यवर, वहां बिजली बिल्कुल नहीं आती है । आती भी है तो कभी 4 घण्टे । बिजली की आपूर्ति वहां निरन्तर बनी रहनी चाहिये । मान्यवर, वर्षा न होने की वजह से फसल नष्ट हो गयी है । पेयजल का अभाव वहां पर बना हुआ है, तमाम पशु मर रहे हैं । खरीफ की फसल को भी नुकसान पहुंच रहा है । वहां बिजली की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, बिजली पूरे वक्त आ नहीं रही है, पीने के पानी की समस्या वहां पर उत्पन्न है, नहर की व्यवस्था नहीं है । ट्यूबवेल की समुचित व्यवस्था नहीं है । नहर की व्यवस्था तुरन्त करायी जानी चाहिये । मान्यवर, मेरठ में साम्प्रदायिक दंगों की वजह से, मजदूर लोग मजदूरी करने नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिये तथा परिवार के लिये खाने की समस्या उत्पन्न हो गयी है । उनको सरकार द्वारा तत्काल राहत पहुंचायी जानी चाहिये । उनके बच्चों की पढ़ाई के लिये निःशुल्क व्यवस्था की जानी चाहिये, चिकित्सा के लिये निःशुल्क व्यवस्था की जाय ।

मान्यवर, हिन्डन और कृशनी के बीज में जो चौगासा क्षेत्र कहलाता है, वहां लोग एक किलो घी पिला सकते हैं लेकिन एक गिलास पीने का पानी नहीं उपलब्ध करा सकते । इस समय वहां यह स्थिति हो गयी है । पेयजल के अभाव के कारण बहुत लोगों की मृत्यु हो गयी है । मेरा यह अनुरोध है कि 10 घंटे कम से कम वहां बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाय, पेयजल की समस्या को हल कराया जाय और तमाम राहत लोगों को पहुंचायी जाय ।

श्रीमती सरस्वती देवी—

मान्यवर, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे सूखे की चर्चा पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मैं इस अवसर पर माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं कि इस दैवी आपदा से त्रस्त किसानों को राहत पहुंचाने के लिये अनेक कार्यक्रम आरम्भ कर दिये गये हैं । मान्यवर, मैं पर्वतीय क्षेत्र से चुनकर आयी हूं । पर्वतीय क्षेत्र मैदानी क्षेत्र से बिल्कुल भिन्न है । वहां अप्रैल-मई-जून में अति ओलावृष्टि के कारण, उद्यान नष्ट हो गये । इस वजह से वहां के उद्यानपतियों के समक्ष आर्थिक संकट जैसी स्थिति आ गयी है । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से यह अनुरोध करती हूं कि वहां के प्रभावित उद्यानपतियों को, उनके पेड़ों के हिसाब से, मुआवजा दिलाया जाय । मान्यवर, इस साल असामयिक वृष्टि से हमारे यहां खेती बिल्कुल नष्ट हो गयी, फसल चौपट हो गयी । यहां तक स्थिति हो गयी कि किसानों के पास बीज बोने के लिये नहीं है ।

मान्यवर, किसानों के पास बोने के लिए बीज तक नहीं है, उनके लिये अच्छे बीज की व्यवस्था कराई जाय । मान्यवर, मेरे क्षेत्र में इस समय इतना सूखा पड़ा है वहां पर किसानों के लिए सिंचाई करने का पानी नहीं है नहरें जहां-तहां टूटी पड़ी है उनकी मरम्मत की जाय और जानवरों के लिये चारे का अभाव उत्पन्न हो गया हो उनके लिये चारे की व्यवस्था की जाये । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको अपनी बात समाप्त करते हुये हार्दिक धन्यवाद देती हूं ।

*श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, सूखे की वजह से बड़ी भयावह स्थिति है और इसमें कोई शक नहीं है कि जो यह दैवी आपदा है, उसका सामना करने में यह सरकार अभी तक बिल्कुल विफल रही है । यह बात सर्वविदित है और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने भी स्वयं स्वीकार किया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

है कि वाकई सूखे की वजह से बड़ी खराब स्थिति है । मान्यवर, ऐसी स्थिति में मैं चन्द सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगा । हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिसमें सभी जिले आते हैं जैसे मेरठ, मुरादाबाद, बरेली आदि, इन सब जिलों में पानी की इतनी तंगी हो गई कि पेयजल की व्यवस्था हो पाना भी संभव नहीं हो पा रहा है । हमारे घरों में जो हैण्डपम्प लगे थे, वह भी सूख गये हैं और पानी आना बन्द हो गया है, ऐसी स्थिति में भी जो सरकारी एजेन्सिया हैं, और जो सरकार की पूर्व व्यवस्थाएं हैं वह ठीक से काम नहीं कर पा रही है, जैसे, जल निगम के जरिये से हैण्डपम्प लगाने की जो व्यवस्था है, जो पहले से मंजूर है, लेकिन जल निगम कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है और देहातों में पेयजल की व्यवस्था का कोई इन्तजाम नहीं कर रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि पहले से जो स्वीकृत कार्यक्रम हैं, वह काम पूरे करायें जायें । हमारे यहां मुरादाबाद जनपद में जो पहले से स्वीकृत कार्यक्रम हैं, उनको भी पूरा नहीं कराया जा रहा है । मान्यवर, सूखे की वजह से, जैसा कि हमारे माननीय सदस्य बाजपेयी जी ने कहा, कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जिनके पास करने के लिये काम नहीं है, जिनके लिये रोटी की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है, मान्यवर, इसमें मेरा सुझाव है कि उनके लिये तत्काल ऐसे काम शुरू करायें कि हर ब्लाक, हर तहसील व हर गांव में लोगों को रोजगार की व्यवस्था हो सके । मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो विकास के कार्यक्रम पहले से स्वीकृत है या जो सरकार की ओर से जारी कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों को भी बहुत से जनपदों में पूरा नहीं कराया जा रहा है । जैसे एन0 आर0 ई0 पी0 का कार्यक्रम है, तो वह लोग यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि इसको ब्लाक स्तर से कराया जाय या तहसील स्तर से कराया जाये या किसी और एजेन्सी के जरिये से कराया जाये । मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था की जाये कि लोगों को काम मिल सके । सरकार के स्वीकृत कार्यक्रमों, जो वहां पहले से निर्धारित है, उनको भी यह सरकार पूरा न कर पाने के कारण बिल्कुल नकारा साबित हो गई है । यह सरकार अपने अधिकारियों से इन कामों को लेने में नाकामयाब हो गई हैं । मान्यवर, ट्यूववेलों की जो स्थिति है, वह भी बेकार पड़े हुये हैं और मैं कहना चाहता हूं कि तत्काल ऐसी व्यवस्था करायें कि यह ट्यूबवेल चालू हो सकें । सरकारी ट्यूबवेल जो हैं वह तो बिल्कुल बन्द पड़े हैं, कहीं पर नाली नहीं है और कहीं पर ट्रांसफारमर खराब है, जिसकी वजह से इनको चलाया नहीं जा सकता । सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि वह भी तब जब इस सरकार पर लोगों का विश्वास हो । आज लोगों का इस सरकार के ऊपर से विश्वास उठ गया है आज यह सरकार रहेगी या नहीं, यह प्रशासन आज बिल्कुल लुंजपुंज हो गया है तो मान्यवर, मेरा यह सुझाव है कि विकास के जो काम स्वीकृत हैं, उनको पूरा कराया जाये । जिन-जिन तहसीलों, ब्लाकों में सूखा पड़ा है, वहां पर तत्काल ऐसे कार्य कराये जायें, जिनसे लोगों को रोजगार मिल सके और उनके लिये रोटी की व्यवस्था हो सके, जो ट्यूबवेल बन्द पड़े हैं उनको चालू कराया जाये । यही मेरे चन्द सुझाव हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि यह सरकार अगर सरकार होने का सबूत देना चाहती है, तो इन कामों को अवश्य पूरा करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है ।

श्री दीप नारायण—

मान्यवर, आपने मुझे सूखे की चर्चा में बोलने का अवसर दिया, इसके लिये धन्यवाद । मैं आजमगढ़ से विधायक होकर आया हूं, जो बहुत बड़ा जिला है । वहां पर 6 तहसीलें हैं और इस जिले की आबादी 42 लाख के लगभग है । सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले साल भी यहां सूखा पड़ा था और इस वर्ष भी सूखा पड़ा हुआ है। इसलिए मेरा

मंत्री जी से अनुरोध है कि इस जिले को सूखाग्रस्त घोषित कर राहत सामग्री दी जाय । छात्रों की फीस माफ की जाय, उनको छात्रवृत्ति दी जाय और गरीब जनता को बीज का वितरण किया जाय । मेरे क्षेत्र के अन्तर्गत व्यापक राहत कार्य चलाये जायं ताकि गरीबों की परेशानी दूर हो सके । नहरों में पानी दिया जाये । बिजली की व्यवस्था की जाये ।

श्री बाबू राम यादव—

मान्यवर, सूखे की चर्चा पर आपने बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद । हमारे प्रदेश के किसानों का इतना दुर्भाग्य है कि पिछली रबी की फसल को खलिहान में रखा गया था तो असमय वर्षा होने के कारण ज्यादातर किसानों की फसल सड़ गई थी, सारा दाना व भूसा सड़ गया था । मैं मैनपुरी जनपद के बारे में कहना चाहता हूं जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा धान पैदा करता है । सेला वहां का पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है लेकिन वहां आज तक वर्षा न होने के कारण धान की नर्सरी नहीं लग पाई है और बिना नर्सरी के धान नहीं लग सकता है । आपके जो ट्यूबवेल्स हैं, उनमें 80 प्रतिशत ट्यूबवेल्स खराब पड़े हुए हैं, किसी में यांत्रिक खराबी है तो, किसी में विद्युत् की कमी है । जहां तक आपके नहरों का सवाल है, उनकी रि-माडलिंग न होने के कारण, सफाई न होने के कारण, किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है । जहां तक पीने के पानी का सवाल है, हमारे यहां विकास खण्ड करहल बरनाहल, अरांव मदनपुर में 80 प्रतिशत ग्रामों में पानी की व्यवस्था नहीं है । जब राजकीय नलकूप चलाये जाते हैं तो लोग अपनी बैलगाड़ियों में बड़े-बड़े बरतन रखकर ले जाते हैं और वहां से पानी भरकर लाते हैं और उसे 2-2 या 3 दिन तक चलाते हैं । आज तक सरकार ने इस जनपद में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की है । जल निगम द्वारा कुछ हैण्ड-पम्पस् लगाये गये हैं, वह बहुत कम हैं । किसी-किसी गांव में 1 या 2 लगे हुए हैं । 80 प्रतिशत गांवों में पानी की व्यवस्था नहीं है । इसलिए मेरी मांग है कि जिन गांवों में पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है, वहां पर जल निगम द्वारा पानी की व्यवस्था कराई जाय, वहां पर हैण्ड-पम्पस् लगाये जायं । जिन गांवों में लोग प्यास से मर रहे हैं, वहां पर पानी के टैंकर की व्यवस्था की जाय ।

हमारे जिले में कोई ऐसा उद्योग नहीं है, जिससे खेतिहर मजदूर, जो बेकार पड़े हैं, उन्हें रोजी-रोटी मिल सके । इसलिए वहां पर रोजगार के ऐसे अवसर दिए जायं, या उद्योग लगाये जायं, ताकि इन बेकार खेतिहर मजदूरों को रोजगार मिल सके । किसानों ने जो कर्जे लिये हैं, उसे माफ किया जाय और वसूलयाबी के लिए जो उत्पीड़न की कार्यवाही की जा रही है, उसे रोक दिया जाय, बच्चों की फीस माफ की जाय और किसानों के पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराया जाय ।

*श्री प्रकाश नारायन अवस्थी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया । मैं फतेहपुर जनपद से आता हूं, यह जनपद पूर्णरूप से सूखे से प्रभावित है, लेकिन दुर्भाग्य है कि उसे सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया जाता है । राजस्व आंकड़ों के हिसाब से सूखाग्रस्त घोषित किया जाता है, इसलिए मंत्री जी से अनुरोध है कि वहां के आंकड़े राजस्व के फिर से मंगाये जायं और इसे सूखा-ग्रस्त घोषित किया जाय । मेरे क्षेत्र जहानाबाद में एल0 जी0 सी0 व घाटमपुर-रजबाहा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नहरों से सिंचाई होती थी, किन्तु पिछले एक वर्ष से नहरों में पानी न आने के कारण कुलाबों द्वारा सिंचाई नहीं हो पा रही है, सारी फसल चौपट हो गई है । सरकार द्वारा जो ट्यूबवेल लगाये गये हैं, उनमें आधे से ज्यादा खराब हैं । किसी में स्ट्राईकर नहीं है तो किसी में स्विच नहीं हैं और तार भी अच्छे क्वालिटी का नहीं है, इसलिए मेरी मांग है कि इन्हें ठीक किया जाय । इसके साथ ही मेरी आप से मांग है कि फतेहपुर जनपद सूखाग्रस्त घोषित किया जाय ।

*श्री हरेन्द्र सिंह—

माननीय अधिष्ठाता जी, आज पूरा प्रदेश सूखे की समस्या से ग्रस्त है । पश्चिमी उत्तर प्रदेश विशेष रूप से प्रभावित है, जिसकी कि उपेक्षा की जा रही है । ये लोग यहां सुख-सविधाओं की बात करते हैं । हम लोग जो सबसे ज्यादा अन्न उत्पादन करते हैं । हम कमाते हैं और पूरब के लोग खाते हैं । जहां आज इतना ज्यादा सूखा पड़ा हुआ है, वहां पर सरकार द्वारा अभी तक राहत कार्य शुरू न करना और सूखाग्रस्त जिले घोषित न करना, इनकी राजनीतिक बेईमानी को इंगित करता है । पहले भी ऐसा हुआ है कि ये लोग पूर्वी जिलों को, जहां इनका राजनीतिक लाभ है, पहले सूखाग्रस्त घोषित करते हैं फिर बाढ़ग्रस्त घोषित करते हैं और सारा धन डकार जाते हैं ।

(इस समय 5 बजकर 50 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए) ।

उत्पीड़न को समाप्त किये जाने की बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने कही । मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना तहसील में जब इसी सदन के माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्र सिंह ने किसानों के उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज उठायी तो अफसरान बहुत नाराज हुए । जब श्री अमीर आलम, एम0 एल0 ए0, एस0 डी0 एम0 से कुछ काम के लिये कहने गये थे तो वीरेन्द्र सिंह का नाम लेकर उनके सामने एस0 डी0 एम0 ने उन्हें मां-बहन की गालियां दीं । मुजफ्फरनगर की हर तहसील में चार-चार ट्रैक्टर पकड़े खड़े हुए हैं । किसानों के पशु नीलाम किये जा रहे हैं और ये कहते हैं कि उत्पीड़न बन्द है ।

ये लोग जो पेयजल की समस्या की बात करते हैं । मेरे क्षेत्र के मुंडवर ग्राम समूह मोहम्मदपुर, रायसिंह, गढ़ी ग्राम समूह, काकड़ा ग्राम समूह, जोड़ा ग्राम समूह में पेयजल योजना की स्वीकृति हुई थी, आज तक उन पर काम शुरू नहीं हुआ । मेरी प्रबल मांग है कि जनपद मुजफ्फरनगर को अविलम्ब सूखाग्रस्त घोषित किया जाय ।

विद्युत व्यवस्था के लिये सुझाव देना चाहूंगा । मेरे क्षेत्र में टोड्डा, कुटबा, कुरावा में विद्युत सब-स्टेशन प्रस्तावित थे, किन्तु आज तक निर्माण कार्य ही शुरू नहीं हुआ, वहां पर बिजली की सप्लाई कैसे होगी ? इसी प्रकार वर्ल्ड बैंक से बिजली के नलकूपों का जो प्रोजेक्ट लगना था, नहीं लगाया गया, जब कि बुढ़ाना व शाहपुर विकास खण्ड "डार्क" घोषित हैं । फसलें सूख रही हैं । यहां पर 25 ट्यूबवेलों का एक क्लास्टर लगाया जाना अत्यन्त आवश्यक है ।

मैं मांग करता हूं कि तत्काल वहां के विद्यार्थियों की फीस माफ की जाय, गरीब किसानों के कर्जे माफ किये जायं और स्वीकृत योजनायें तत्काल लागू की जायं । मेरे क्षेत्र में बुढ़ाना तहसील में टैंकरों से पेयजल उपलब्ध कराया जाय और तत्काल राहत कार्य किये जायं । जिस एस0 डी0 एम0 ने सम्मानित विधायक के साथ दुर्व्यवहार किया है, उस एस0 डी0 एम0 के खिलाफ केस रजिस्टर कर कार्यवाही की जाय, इस पर विशेषाधिकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

को सूचना अलग से दे रहा हूं क्योंकि एस0 डी0 एम0 ने विधान सभा के बारे में भी अपशब्द कहे हैं ।

(सत्ता पक्ष एवं विरोध पक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा खड़े होकर बोलने की अनुमति मांगने पर ।)

श्री उपाध्यक्ष—

इतने लोगों का तो बोल पाना संभव नहीं है, आप अपने सुझाव लिखकर सरकार को भेज दें ।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत 5 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, श्री राज किशोर सिंह जी को वक्तव्य के लिये स्वीकार हुई है । शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई ।

जनपद देवरिया के कोषागार में 1.5 लाख रुपये के रेवेन्यू स्टैम्प एवं एक बड़ी धनराशि की चोरी के सम्बन्ध में वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

वित्त तथा नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

[देवरिया जनपद में जून के अंतिम सप्ताह में वहां के कोषागार में कोषाध्यक्ष द्वारा लगभग 1.5 लाख के रेवेन्यू स्टैम्प और लगभग इतनी ही राशि हड़प कर देने का मामला प्रकाश में आया किन्तु जिला मजिस्ट्रेट जिनकी वजह से इतनी बड़ी धनराशि की चोरी हुई अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए देवरिया जनपद के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री विश्वबन्धु आर्य को बेरहमी के साथ पीटे हैं और आज भी उनके और उनके परिवार के प्रति उत्पीड़क कार्यवाही जारी है जिसके कारण कांग्रेस जन तथा आम जनता में भीषण रोष व्याप्त है । देवरिया कोषागार के प्रति लोगों का विश्वास उठ गया है । ऐसा माना जा रहा है कि जितनी धनराशि की चोरी का मामला बताया जा रहा है वह रकम उससे भी अधिक है । वस्तुस्थिति से सदन को अवगत कराने के लिए वक्तव्य आवश्यक है ।

वक्तव्य

इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि माह मई, 1987 के कोषागार के प्लस-माइनस मेमो बनाते समय यह पाया गया कि उक्त महीने में निकासी तथा आमद में रुपये 1,28,270 का अन्तर आ रहा है । अभिलेखों की जांच करने पर यह पाया गया कि दिनांक 30-5-1987 को कोषागार के ट्रेवतालक से स्टैम्प की निकासी के लिए रुपये 1,70,470 के चालान राजकीय कोषाध्यक्ष के एजेन्ट श्री विमल प्रसाद गुप्त द्वारा कोषाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करके नान जुडीशियल स्टैम्प प्राप्त किये गये किन्तु वास्तव में मात्र 42,200 रुपये की धनराशि स्टेट बैंक में एक चालान द्वारा जमा की गयी तथा रुपये 1,28,270 का कोषाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत दूसरा चालान फर्जी था । इस प्रकार रुपये 1,28,270 का स्टैम्प बेचकर उससे प्राप्त धनराशि स्टेट बैंक में जमा नहीं

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

की गयी । अपेक्षा किये जाने पर भी राजकीय कोषाध्यक्ष द्वारा यह धनराशि जमा नहीं की गयी । कोषाधिकारी द्वारा कोषागार के सिंगिल लाक के निरीक्षण पर यह पाया गया कि दिनांक 30-5-1987 को सम्बन्धित कैश बुक तथा फार्म 50-ए पंजिका के पृष्ठ फटे हुए हैं और वारण्ट रजिस्टर उपलब्ध नहीं है । चूंकि सिंगिल लाक का प्रभारी राजकीय कोषाध्यक्ष होता है और उन्हीं की इसकी समस्त जिम्मेदारी होती है, अतः चर्चित स्थिति में गबन की आशंका हुई और तद्नुसार राजकीय कोषाध्यक्ष का समस्त प्रभार बनारसी राम, डिप्टी कलेक्टर को हस्तगत करवा दिया गया । तत्पश्चात् राजकीय कोषाध्यक्ष श्री विश्वबन्धु आर्य उनके एजेन्ट श्री विमल प्रसाद गुप्त तथा स्टैम्प वेण्डर श्री जवाहर लाल के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दिनांक 3-7-1987 को स्थानीय कोतवाली में दर्ज कराई गयी ।

उक्त कोत्वाली में इन तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 244/87 अन्तर्गत धारा 420/409/201 आई0 पी0 सी0 अंकित किया गया और दिनांक 3-7-1987 को ही इन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया । दूसरे दिन मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, देवरिया की अदालत से इन अभियुक्तों को तीन दिन के लिए पुलिस रिमान्ड पर लिया गया । पुलिस द्वारा जांच के फलस्वरूप अभियुक्त विमल प्रसाद गुप्त व जवाहर लाल की निशानदेही पर उनसे क्रमशः रुपये 64,150 तथा 64,120 बरामद हुआ । पुलिस रिमान्ड की अवधि समाप्त होने पर दिनांक 10-7-87 को श्री विश्वबन्धु आर्य जमानत पर रिहा हुये हैं शेष दो अभियुक्त अभी जेल में हैं ।

1—माननीय सदस्य का यह आरोप कि देवरिया जनपद में जून के अन्तिम सप्ताह में वहां के कोषागार में कोषाध्यक्ष द्वारा लगभग 1·5 लाख रेवेन्यू स्टैम्प और लगभग इतनी ही राशि हड़प कर देने का मामला प्रकाश में आया, के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि गबन मात्र 1,28,270 रुपये की धनराशि का किया गया जो रेवन्यू स्टैम्प के माध्यम से न होकर नान जुडीशियल स्टैम्प की बिक्री के माध्यम से किया गया है ।

2—माननीय सदस्य का यह आरोप कि जिला मजिस्ट्रेट की वजह से इतनी बड़ी धनराशि की चोरी हुई, भी सही नहीं है । गबन सिंगिल लाक से हुआ है । सिंगिल लाक का पूर्ण प्रभार राजकीय कोषाध्यक्ष का होता है और वहां की समस्त जिम्मेदारी उन्हीं की होती है । अतः जिलाधिकारी का इस मामले में कोई उत्तरदायित्व नहीं आता है । साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि मामला चोरी का न होकर धोखाधड़ी और गबन से सम्बन्धित है ।

3—माननीय सदस्य का यह आरोप कि जिलाधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए देवरिया जनपद के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री विश्वबन्धु आर्य को बेरहमी से पीटे हैं और आज भी उनके और उनके उनके परिवार के प्रति उत्पीड़क कार्यवाही जारी है, सही नहीं है । जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है जिलाधिकारी गबन के लिए उत्तरदायी नहीं है । वे दिनांक 31-3-87 को कोषागार का निरीक्षण कर चुके थे जिसमें कि कोई अनियमितता नहीं पायी गई । जहां तक श्री विश्वबन्धु आर्य को बेरहमी से पीटे जाने का आरोप है, उनको एफ0 आई0 आर0 के आधार पर दिनांक 3-7-87 को गिरफ्तार किया गया तथा दूसरे दिन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवरिया से आदेश प्राप्त कर पुलिस रिमाण्ड पर लिया गया । रिमाण्ड पर लेने के पश्चात् और जेल दाखिल करने के पूर्व उनका चिकित्सा परीक्षण कराया गया जिसमें किसी प्रकार की चोट नहीं पायी गई । जिलाधिकारी के अनुसार श्री विश्वबन्धु आर्य के परिवार के सदस्यों के विरुद्ध कोई उत्पीड़क कार्यवाही नहीं की गई ।

4—माननीय सदस्य का इस आशय का आरोप भी सही नहीं है कि श्री विश्वबन्धु आर्य के विरुद्ध गबन के मामले में की गयी कार्यवाहियों के कारण कांग्रेस जन तथा आम जनता में भीषण रोष व्याप्त है और देवरिया कोषागार के प्रति लोगों का विश्वास उठ गया है । वास्तविकता यह है कि यद्यपि श्री विश्वबन्धु आर्य जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं परन्तु उनके अथवा उनके सहयोगियों द्वारा कोषागार में किये गये गबन तथा जालसाजी से कांग्रेसजनों तथा कांग्रेस दल ने अपने को असम्बद्ध रखा है । आम जनता इसे श्री आर्य का व्यक्तिगत मामला मानती है । जनपद के लोग जिला प्रशासन द्वारा बरामद किये गये शासकीय धन के लिए प्रशासन के प्रशंसक हैं । आम जनता में जिला प्रशासन एवं उ0 प्र0 शासन की छवि अच्छी हुई है । गबन की गयी पूरी धनराशि की बरामदगी निश्चय ही प्रशंसनीय है ।]

(घोर व्यवधान)

(श्री श्रीप्रकाश सदन के फ्लोर पर आकर बैठ गये और अनुरोध करने लगे कि मैं बोलूंगा, मुझे मौका नहीं मिला है ।)

श्री रामाश्रय राम पुत्र लक्ष्मण राम, निवासी दलजीत टोला, थाना बैरिया, जिला बलिया के यहां भीषण डकैती के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)—

[प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 24-6-87 की रात्रि में श्री रामाश्रय राम, निवासी दलजीत टोला, जिला बलिया के घर डकैती होना नहीं पाया गया । इस सम्बन्ध में श्री रामाश्रय राम ने स्वयं लिखित रूप से सूचित किया है कि उनके घर या गांव में दिनांक 24-6-87 को कोई डकैती नहीं पड़ी । वास्तविकता यह है कि श्री रामाश्रय राम की एक भैंस कहीं खो गई है जो अभी तक काफी ढूंढ़ने के बाद भी नहीं मिल पायी है । इस मामले में प्रथम दृष्टया कोई हस्तक्षेपीय अपराध होना नहीं प्रतीत होता है इसलिये इस मामले में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं किया गया । फिर भी थानाध्यक्ष बैरिया को भैंस की खोज में मदद करने के निर्देश दिए गए हैं ।

2—पुलिस द्वारा लक्ष्मण राम से 500 रुपया लेने का आरोप जांच से नहीं पाया गया । इसी प्रकार जय प्रकाश नगर पुलिस चौकी के दीवान द्वारा डलवाने तथा किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप भी जांच से सही पाया गया ।]

सदन को अनिश्चित काल के लिये स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन अनिश्चित काल के लिये स्थगित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि क्या यह सदन अनिश्चित काल के लिये स्थगित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम अनिश्चित काल के लिये उठते हैं ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 55 मिनट पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
21 जुलाई, 1987

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 9 पर)

सुझावों/उपायों तथा उन पर की गई कार्यवाही का विवरण

हिम एवं हिमस्खलन अध्ययन संगठन (एस0 ए0 एस0 ई0) द्वारा अपनी रिपोर्ट 5 अक्टूबर, 1982 को प्रस्तुत की गई जिस पर मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग, हुआ एवं जून, 1983 में राज्य बाढ़ परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति से अनुमोदन कराई गई ।

इसके अंतर्गत मुख्यतः नारायण पर्वत से आने वाले बर्फीले तूफानों से मंदिर की सुरक्षा व अलकनन्दा नदी के कटाव से बचाव एवं घाटों के सौन्दर्यीकरण व सुदृढ़ीकरण हेतु 56.09 लाख रुपये की योजना जिसमें 22 मिट्टी के माउण्ड्स, 130 मी0 डाईवर्जन डाम, 750 मी0 कैचड्रेन, 80 मी0 लम्बी मैशनरी गाइडवाल, 450 घ0 मी0 कैविटी भरान कार्य एवं घाटों के मरम्मत के अन्तर्गत 1200 घ0 मी0 फ्लोरिंग कार्य, 120 घ0 मी0 ब्लाकों की मरम्मत का कार्य है ।

उक्त सुझाव एवं योजना के अन्तर्गत प्राविधान किये गये समस्त कार्यों पर निर्माण कार्य 1982-83 से प्रारम्भ किया गया है । वर्तमान में लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं । शेष कार्य इस सत्र में 15 नवम्बर, 1987 को पूर्ण हो जाने की आशा है ।

—

नत्थी 'ख'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 140 का उत्तर पीछे पृष्ठ 60 पर)

मार्ग का नाम	लम्बाई
1	2
1—लखनऊ-बांगरमऊ मार्ग से सरी सादिकपुर मार्ग	1.50 कि0 मी0
2—बांगरमऊ-जगतनगर से छिरकपुर मार्ग	3.00 कि0 मी0
3—चकलबंशी संडीला मार्ग से पुरवा	2.00 कि0 मी0
4—बी0 यू0 ए0 मार्ग से दरौली मार्ग	1.00 कि0 मी0
5—चकलबंशी संडीला मार्ग से पुरथीवान	2.00 कि0 मी0
6—औरास मोहान से रामपुर गढावा मार्ग का विस्तार	2.00 कि0 मी0
7—लखनऊ झांसी मार्ग से केवाना मार्ग	3.00 कि0 मी0
8—बांगरमऊ संडीला मार्ग से जोगीकोट मार्ग	1.75 कि0 मी0
9—उगू गौरिया कलां से अरगूपुर मार्ग	6.00 कि0 मी0
10—लखनऊ बांगरमऊ मार्ग से मुरसैनी मार्ग	2.00 कि0 मी0
11—काली-मिट्टी दबोली से सूसमऊ मार्ग	5.00 कि0 मी0
12—सफीपुर मियांगंज मार्ग से औंसिया मार्ग	4.50 कि0 मी0
13—चकबंशी संडीला मार्ग से कोरारी कलां	3.00 कि0 मी0
14—उगुगौंरिया कलां से निगोही मार्ग	1.00 कि0 मी0
15—अजगैन मुंशीगंज मार्ग से जनसार	2.50 कि0 मी0
16—चकलबंशी संडीला मार्ग से दिपवल पूरचांद मार्ग	8.00 कि0 मी0
17—अजगैन मुंशीगंज से परंदा	2.00 कि0 मी0
18—हसनगंज रसूलाबाद से भोलाबांकेपुर	1.00 कि0 मी0
19—जैतीपुर सोहरामऊ मार्ग	6.00 कि0 मी0
20—नवई निवाजी खेड़ा मार्ग	9.00 कि0 मी0
21—ओरास रहीमाबाद से बछौली मार्ग	4.50 कि0 मी0
22—शारदा कैनाल से गुरधरी मार्ग	1.50 कि0 मी0
23—मोहान मलिहाबाद से बीबीपुर चिरियारी मार्ग	4.60 कि0 मी0
24—खानपुर मुरौली-मलहौली मार्ग	2.50 कि0 मी0
25—हुलासी हुआ मऊ सुसुरंपुर मार्ग	3.00 कि0 मी0
26—मुलुक उर्फ गडार रुपऊ सुदेशा बहादुर मार्ग	6.00 कि0 मी0
27—खरौली सातनरथेना मार्ग	10.00 कि0 मी0
28—बरदहा कुम्भी अकबरपुर के पास धनुही खेड़ा मार्ग से मिलाना	2.50 कि0 मी0
29—आव पाही हरदो को बी0 यू0 ए0 मार्ग से मिलाना	3.50 कि0 मी0

1	2
30—मवई अहेसा नरोचक को मोरांवा गुलरिया मार्ग से मिलाना	7.00 कि0 मी0
31—पनई बुजुर्ग लिंक मार्ग	1.00 कि0 मी0
32—सिजनी सोहरामऊ को ममरेजपुर से पुरवा पाटन से मिलाना	2.50 कि0 मी0
33—रीमेश्वर से शंकरपुर सराय वाया कन्जौरा एेसा भदियार मार्ग	12.50 कि0 मी0
34—अकोहरी लिंक मार्ग	1.00 कि0 मी0
35—लहुआ सिंहन खेडा मार्ग	5.00 कि0 मी0
36—कसरौर लिंक मार्ग	1.00 कि0 मी0
37—बनीखेखपुर बाल्हेमऊ दरेहटा चौपाई ओरहररायपुर बुजुर्ग मार्ग	5.00 कि0 मी0
38—जीरगांव को विछिया जमुका मार्ग से मिलाना	3.00 कि0 मी0
39—पडरी खुर्दभैराई मगरायर मार्ग	15.00 कि0मी0
40—कांथा से नरसिंहपुर मार्ग	2.40 कि0 मी0
41—उन्नाव से कानपुर - लिंक मार्ग सहजनी परियर वाया शंकरपुर	10.00 कि0 मी0
42—गरीचक रजवाहा मवई मार्ग	9.00 कि0 मी0
43—गरीचक रजवाहा मवई मार्ग का विस्तार	▣ ▣

नत्थी 'ग'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 40 का उत्तर पीछे पृष्ठ 60 पर)

वर्ष 1982-83 में प्रशंसनीय कार्य हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को पुरस्कार स्वरूप दिए गए मेडल की सूची

अधिकारी का नाम	पद
1	2
सर्वश्री	
1—महेश प्रसाद	उपायुक्त (शा0) लखनऊ ।
2—एस0 पी0 एस0 चौहान	उपायुक्त (शा0) मेरठ ।
3—चन्दू लाल	उपायुक्त (शा0) इलाहाबाद ।
4—पी0 डी0 श्रीवास्तव	सहायक आयुक्त (शा0) लखनऊ ।
5—एस0 एस0 वर्मा	सहायक आयुक्त (शा0) सीतापुर ।
6—एस0 बी0 दीक्षित	सहायक आयुक्त (शा0) मेरठ ।
7—बी0 के0 कुरील	सहायक आयुक्त (करनि0)-2, लखनऊ ।
8—ए0 एल0 जैसवाल	सहायक आयुक्त (करनि0)-4, लखनऊ ।
9—राम प्रकाश	सहायक आयुक्त (करनि0), गाजियाबाद ।
10—राम प्यारे सिंह	सहायक आयुक्त (चेकपोस्ट), वाराणसी ।
11—हरज्ञान शंकर	सहायक आयुक्त (न्याय)-2, अलीगढ़ ।
12—जी0 डी0 शुक्ला	सहायक आयुक्त (न्याय)-1, लखनऊ ।
13—एच0 सी0 शर्मा	बिक्रीकर अधिकारी (राप्रति0) मु0 नगर ।
14—जी0 एम0 अग्रवाल	बिक्रीकर अधिकारी (वि0 अनु0 शा0) मेरठ ।
15—विजयपाल सिंह	बिक्रीकर अधिकारी (वि0 अनु0 शा0) वाराणसी
16—सभाजीत शुक्ला	मंडल कार्यालय खंड-2, लखनऊ ।
17—एल0 पी0 गुप्ता	मंडल कार्यालय, बाराबंकी ।
18—आर0 के0 केसरवानी	मंडल कार्यालय, खंड-9, लखनऊ ।
19—सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव	चेकपोस्ट, नौबतपुर ।
20—एस0 बी0 एल0 श्रीवास्तव	चेकपोस्ट, चौखाटा ।
21—के0 के0 बाजपेयी	बि0 क0 आ0 (सचलदल) प्रथम, मुरादाबाद ।
22—ज्ञानेन्द्र वर्मा	डिप्टी कलेक्टर (सं0) लखनऊ ।
23—हेमराज सिंह चौहान	डिप्टी कलेक्टर (सं0) आगरा ।
24—पी0 डी0 खरे एवं सी0 पी0 सक्सेना	डिप्टी कलेक्टर (सं0) कानपुर ।
25—के0 बी0 श्रीवास्तव	सीनियर आडिटर, कानपुर ।
26—एल0 बी0 त्रिपाठी	सीनियर आडिटर, वाराणसी ।
27—आर0 आर0 शुक्ला	बिक्रीकर अधिकारी कोटवन चेकपोस्ट ।